राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का ५२वां दिवस [संख्या ३२

गुरुवार, दिनांक ३ मई, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बज कर ६ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत, स्वायत शासन, सहकारी, स्वास्थ्य, पंचायत एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग]

प्रश्न संख्या ३९७

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

बिजली की दरें

३९८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि अलवर शहर में बिजली की रोशनी के लिए आठ आने प्रति यूनिट और पॉवर के लिये तीन आने प्रति यूनिट की दर से नए स्टीम पॉवर हाउस के लग जाने के बाद भी वसूल किए जा रहे हैं?

(२) क्या यह सही है कि अलवर शहर की जनता ने 'नल-बिजली उपभोक्ता संघ' के माध्यम से इन ऊंची दरों का विरोध किया है और सरकार से इन दरों में संशोधन करके रोशनी के लिए छः आना प्रति यूनिट और पॉवर के लिए दो आना प्रति यूनिट करने की मांग की है ?

(३) क्या यह सही है कि अलवर नगर के नल-बिजली उपभोक्ता संघ के एक प्रतिनिधि मंडल को मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि अलवर शहर में बिजली की इन दरों में तुरन्त कमी कर दी जावेगी ?

(४) क्या सरकार इस प्रतिनिधि मंडल की मांग के अनुसार अलवर नगर में ली जाने वाली बिजली की दरों को कम करने के लिए कदम उठा रही है ?

Page No.2

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(५) यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र): (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) वस्तुस्थिति की जांच करने का आश्वासन दिया गया था ।

(४) अलवर नगर में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में बिजली की दरों को जांचने के लिये एक समिति की नियुक्ति की गई है ।

(५) समिति का सुझाव आने पर इस सम्बन्ध में निर्णय किया जावेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि माननीय मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि जयपुर, अलवर, भरतपुर में बिजली की रेट्स स्टीम पॉवर हाउस की इमीडियेटली उतनी कर दी जावेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने आश्वासन दिया था कि I would write to the Electricity Board about it, and I have already written to them.

श्री रामानन्द अग्रवाल : सारे राजस्थान की फहरिश्त तैयार होने में समय लग सकता है, लेकिन जहां तक स्टीम पॉवर हाउस का सवाल है अलवर, भरतपुर और जयपुर में हैं, उनमें असमानता इमीजियेटली दूर करदी जायं, इसमें क्या आपत्ति है ?

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य ने कहा, उससे मैं सहमति रखता हूं । उसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लिखा है । जहां तक इस प्रश्न का सवाल है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इससे ताल्लुक है वह इसमें तरमीम करे या न करें । मैंने उसको लिखा है । उनका जवाब यह आया है कि युनिफाइड टेरिफ बनाना चाहते हैं इसलिए इस मामले को उस वक्त कन्सीडर किया जावेगा । सरकार और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बीच में यह बातचीत चल रही है कि क्या किया जावे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार इस बात के लिए आग्रह करेगी कि इसके लिए वेट न करें ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं उनसे निवेदन करूंगा ।

प्रश्न संख्या ३६६

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतलाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४००

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४०१

श्री दिग्विजयसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

Page No.3

गबन के मामले

४०२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): Will the Minister for Power Department be pleased to state :—

1. How many cases of embezzlement have taken place in various Power Houses after the formation of Rajasthan State Electricity Board ? A list of the cases showing amount involved there may please be laid on the Table of the House.

2. What action has been taken against the persons involved for the recovery of the amount ?

3. What measures have been devised to be adopted by the Rajasthan State Electricity Board to check such cases ?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : Sir, I have asked for more time to collect the information. The information required is lengthy and detailed and it will take some time to collect it.

श्री अध्यक्ष : Next week ?

श्री हरिश्चन्द्र : I hope to get it by that time.

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

नगरपालिका—कुचामन

४०३. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका कुचामन का सन् १९६१-६२ का बजट करीब ६,०००) रुपये की बचत का राज्य सरकार ने स्वीकार किया था ?

(२) क्या यह सही है कि इस बजट वर्ष में बजट के अलावा राज्य सरकार से ७,५००) रुपये सड़कों बाबत व १,३००)रु. मनोरंजन कर बाबत नगरपालिका कुचामन की आय हुई है

(३) क्या यह सही है कि इस समय तक करीब ६,०००) रु० कर्मचारियों का नगरपालिका में वेतन के रूप में बकाया निकलता है ?

(४) क्या यह सही है कि इस बजट वर्ष में.नगरपालिका, कुचामन ने कुचामन पॉवर हाउस का करीब ७,८००) रु० कर्जा और बढ़ा लिया है ?

(५) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका-कोष में इस वक्त ५००) रु० से कम ही पोते बाकी हैं ?

(६) क्या यह भी सही है कि इस बजट वर्ष में कुचामन नगरपालिका के लिये राज्य सरकार ने जनरल बजट के अलावा कोई स्पेशल बजट स्वीकार नहीं किया है ?

(७) यदि हां, तो नगरपालिकाध्यक्ष ने यह २८,६००) रु० की रकम बजट के विरुद्ध कहां और कैसे खर्च की और राज्य सरकार इस अध्यक्ष की अनुचित कार्यवाहियों के लिये अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही करनेवाली है ?

उप-मन्त्री, स्वायत शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(श्री दौलतराम सारण)

(२) जी हां !

(३) ता. १-५-६२ तक लगभग ५,०००) रु० वेतन के रूप में बकाया है ।

(४) नगरपालिका की ओर बिजली विभाग का मार्च, ६१ तक ८,८५६) रु०, ५८ न. पै. बकाया था और ३१-३-६२ तक १८,८१६) रु., ६० न०पै० बकाया हो गये हैं । पालिका द्वारा १९६१—६२ में ५,५००) रु० का भुगतान किया गया है ।

(५) जी नहीं दिनांक २३-४-६२ को नगर-पालिका के कोष में १,६००) रु० पोते बाकी थे ।

६)) जी हां ।

(७) जी हां सूची (अ) और (ब) पर विश्लेषण दिया गया है । इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री हनुमानसिंह चौधरी : वेतन के रूप में कितनी बकाया थी ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया ५,०००) रुपया वेतन के रूप में बकाया है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : जो पब्लिक पार्क के मजदूर हैं क्या उनको वेतन दिया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : आपने कर्मचारियों के लिये पूछा था वह मैंने बता दिया ।

श्री अध्यक्ष : बोर्ड के जो कर्मचारी होते हैं चाहे वे पर्मानेन्ट हों चाहे सेमी पर्मानेन्ट इसमें आ जाते हैं ; मजदूर इसमें नहीं आते हैं ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : मेरा प्रश्न पंचायत के सम्बन्ध में था ६ हजार की बचत में से १ अप्रेल, ६२ तक क्या खर्चा हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग प्रश्न है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ अप्रेल, ६२ तक नगरपालिका के खाते में कम से कम कितनी रकम रही ?

श्री दौलतराम सारण : जो सूचना आपने चाही थी वह उत्तर में निवेदन कर चुका हूँ ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने, आपने जो बातें कही हैं उन बातों को स्वीकार किया है । इसमें जिस किसी की भी गलती होगी उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्न संख्या ४०४

श्री अब्दुलजब्बार ।

(अनुपस्थित)

सीमेन्ट वर्क्स, लाखेरी के मजदूरों की गृह-निर्माण सहकारी समिति

३०५. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) :

Page No.5

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि लाखेरी सीमेन्ट वर्क्स के मजदूरों द्वारा गृह निर्माण सहकारी समिति बनाई गई है ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन हुए करीब १।। वर्ष हो चुका है परन्तु समिति के सदस्यों के लिए मकान बनाने हेतु जमीन अभी तक नहीं दी गई है ?

(ग) यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

(घ) क्या सरकार शीघ्र ही जमीन देकर गृह निर्माण कार्य को पूरा करवाने का विचार रखती है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मकान बनाने हेतु जमीन जिलाधीश द्वारा दी जाती है। प्राप्त सूचना के अनुसार जिलाधीश के यहां इस सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।

(घ) जो जिलाधीश ने प्रस्तावित जमीन के सम्बन्ध में एतराजात' मांगे हैं उनका निपटारा होने पर ही समिति के नाम जमीन का अलॉटमेंट होना संभव होगा ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : किस प्रकार के एतराज मांगे गये हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जमीन सहकारी समिति मकान बनाने के लिए मांग रही है, किसी को इसके लिए एतराज है क्या ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सीमेन्ट कम्पनी के लिए जो रिज़र्व एरिया है उसमें है इसलिये मजदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन नहीं मिली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी वजह क्या है, यह मैं नहीं कह सकता। मेरे पास तो केवल इतनी सूचना है कि जो जमीन मांगी गई है उसके लिए कलेक्टर ने एतराजात मांगे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह जो जमीन मांगी गई है वह रिज़र्व में है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो जमीन आपने मांगी है उसके लिये कलेक्टर ने एतराजात मांगे हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या आप बता सकते हैं कि वह जमीन किसकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस जमीन का नक्शा तो मेरे पास नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अफसोस की बात यह है कि जो मजदूर सहकारी समिति बना कर मकान बनाना चाहते हैं उनको जमीन नहीं मिलती, कम्पनी के लिये इतनी बड़ी जमीन रिज़र्व में रख रखी है, कम्पनी भी मकान बनाती नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में बहस हो चुकी थी। जो जमीन सहकारी समिति ने मांगी है उसके बारे में कलेक्टर ने एतराजात

Page No.6

(श्री अध्यक्ष)

आमन्त्रित किये हैं ; उसके बाद निर्णय दिया जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मजबूरी इसलिये है कि वह रिजर्व में है कम्पनी के लिये ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं नक्शा तो साथ लेकर नहीं आया हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो इसी प्रश्न के अन्तर्गत है।

सिकराय में खुजली रोग का प्रकोप

४०६. **श्री लक्ष्मणप्रसाद** (सिकराय-सु.): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या सरकार को विदित है कि इलाका तहसील सिकराय में खुजली के प्रकोप की अत्यधिक शिकायत है ?

(ख) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी, सिकराय द्वारा इस विषय में उपचार प्रबंध हेतु जिला विकास अधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अनेक पत्र लिखे गये ?

(ग) यदि हां, तो इस प्रकोप के उपचार का क्या प्रबन्ध स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया है ?

(घ) यदि नहीं किया गया है, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक इसके उपचार की समुचित व्यवस्था सरकार करेगी ?

उप-मंत्रिणी, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) जी हां; एक पत्र विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिकराय, जिला जयपुर द्वारा प्राप्त हुआ था।

(३) इस प्रकोप के उपचार के लिए १०० पौंड बेंजिल बेंजोइट दवाई विकास अधिकारी, सिकराय के पास भेजी जा चुकी है।

(४) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (चांदीकुई) : शिकायत आने के बाद रिपोर्ट ली गई क्या कि इस प्रकोप में कितनी कमी हुई है आपके कदम उठाने के बाद में ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या आपने जो सामान भेजा है उससे एपेडेमिक में शान्ति हुई या नहीं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : सामान भेजा ही इसीलिए गया था। इसके विपरीत शिकायत नहीं आई।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपने अपनी तरफ से इस बारे में रिपोर्ट मांगी क्या ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जब तक इसके विपरीत कोई चीज नोटिस में न आये तो यही मानना चाहिये कि एपेडेमिक सब्साइड हो गई।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : सामान का बराबर वितरण हुआ या नहीं, इस बारे में तो आपको जानकारी करनी चाहिये।

Page No.7

श्रीमती प्रभा मिश्रा : विपरीत कोई चीज सामने नहीं आई इसलिये यह मान लेना चाहिये कि सामान जो भेजा गया है वह ठीक पहुंच गया है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जैसी कि शिकायत है वहां के लोगों की कि बीमारी में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, मजीद आप इसकी जांच करेंगे ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : आप सूचना दे रहे हैं, जांच करा ली जायगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

जिला पाली के सरपंचों के विरुद्ध गबन की शिकायतें

४०७. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) पाली जिले में किन किन सरपंचों के विरुद्ध गबन व फोर्जरी की शिकायतें जिलाधीश, पाली के पास १-१-६० से ३१-३-६२ तक की गईं व किस किस तारीख को व उनमें से कितनी फैसल कीं व कितनी जेर-जांच हैं ?

(२) पाली जिले में किन किन पंचायत समितियों के कर्मचारियों के विरुद्ध पंचायत समिति की सम्पत्ति का दुरुपयोग (मिसएप्रोप्रिएशन) करने की शिकायतें उक्त अर्से में हुईं और कलेक्टर ने उनमें से किन किन पर क्या २ कार्यवाही की ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो सूचना मांगी गई है वह अभी तक नहीं आई है, इसलिये समय बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : Next week :

अस्पताल बांदीकुई

४०८. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार की बांदीकुई के अस्पताल को 'ए' श्रेणी का अस्पताल बनाने व उसमें २० बैड्स का प्रावधान रखने की कोई योजना है ?

(२) यदि हां, तो वह कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

उप-मंत्रिणी, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इसके मुत्तल्लिक पेपर्स बनाकर 'ए' श्रेणी का अस्पताल बनाने की स्कीम प्रस्तुत हुई थी गये साल में ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : इसका कोई आधार है क्या ? किन आधारों पर आप 'ए' श्रेणी में कन्वर्ट करते हैं ? वहां की आबादी, म्युनिसिपल लिमिट्स आदि किन हालतों में आप 'ए' श्रेणी में कन्वर्ट करते हैं ?

Page No.8

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार के नियम हैं ; अन्य सुविधायें कितनी प्राप्त हैं; उसी आधार पर डिसपेन्सरीज़ बढ़ायी जाती है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या आधार है, कन्वर्ट करने के ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : क्या क्या सुविधायें प्राप्त हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कदम उठाया जाता है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : कौनसी सुविधायें आप देखते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : डिसपेन्सरी, रेलवे फेसीलिटीज़ उपलब्ध हैं या नहीं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा सिविलियन्स के लिये नहीं होती है दूसरे म्युनिसिपल टाउन में यह सुविधा नहीं है, रेलवेवालों का अस्पताल सिविलियन्स को उपलब्ध नहीं होता ।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : रेलवे पोपुलेशन भी वहां का ही पार्ट है वह उससे अलग नहीं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : वह रेलवे के लोगों के लिये है । वह म्युनिसिपल टाउन है । उस एरिया के लोग उससे रेलवे होस्पिटल से थोड़े ही मदद ले सकते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : बस्ती के लिए जो प्रावधान है उस प्रावधान को देखते हुए समुचित है ।

डिस्पेन्सरी, सिकराय के लिये भवन की व्यवस्था

४०६. **श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल** (सिकराय-सु.) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिकराय डिस्पेन्सरी को चलते हुए १७ वर्ष हो चुके हैं परन्तु डिस्पेन्सरी चलाने के लिए अब तक भवन की उचित व्यवस्था नहीं की गई है ?

(२) क्या पंचायत सिकराय व स्थानीय जनता ने डिस्पेन्सरी भवन बनाये जाने की बाबत स्वास्थ्य विभाग को अनेक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सही है कि १९६१-६२ के बजट में डिस्पेन्सरी भवन बनाने हेतु प्रावधान रखा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या डिस्पेन्सरी भवन निर्माण हेतु इस वर्ष बजट में कोई प्रावधान रखा गया है ?

(५) यदि नहीं, तो क्यों ?

(६) सरकार कब तक इस भवन निर्माण कार्य को करवाये जाने का निश्चित विचार रखती है ?

उप मन्त्रिणी, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां। धनराशि के अभाव के कारण अभी तक सरकारी बिल्डिंग नहीं बन पाई है ।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(२) जी हां। परन्तु खेद है कि धनराशि के अभाव के कारण इन प्रार्थना-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(३) जी नहीं, धनराशि के अभाव के कारण नहीं रखा गया।

(४) जी नहीं।

(५) धन राशि की कमी के कारण।

(६) धनराशि की व्यवस्था होने पर इस पर विचार किया जावेगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): यह डिसपेन्सरी कब से किराये के मकान में चल रही है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जब से खुली है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : कितना अर्सा हो गया और इस अर्से में उसका अपना भवन बनाने के लिए प्रावधान न होने का क्या कारण है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : धनराशि का अभाव ही कारण है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : पर कितने अर्से से है यह किराये के मकान में?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): इस प्रश्न का उत्तर भी आर्थिक अभाव दे दिया जावे।

प्रश्न संख्या ४१०

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

ग्राम पंचायतों का नगरपालिका में परिवर्तन

४११. **श्री मथुरेशबिहारी माथुर** : (बांदीकुई): क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कितनी नगरपालिकाओं को ग्राम पंचायतों में परिवर्तित करके पुन: ऐसी ग्राम पंचायतों को नगरपालिकाएं सरकार द्वारा गत दो सालों में घोषित किया गया व उन नगर-पालिओं की आबादी क्या है?

(२) क्या लालसोट ग्राम पंचायत को पुन: नगरपालिका घोषित करने की सरकार द्वारा कोई विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी? अगर हां, तो उसको कितना अर्सा हो गया तथा पंचायत लालसोट को नगरपालिका बनाने के निर्णय में विलम्ब क्यों हो रहा है?

उपमंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) पंचायत भवानी मण्डी, बिसाऊ व टोडा रायसिंह को नगरपालिकाएं घोषित किया गया है, जिनकी जनसंख्या क्रमशः ५,२२६, ७,८०२ व ७,१६६ है।

(२) जी हां, दिनांक २।११।६० को विज्ञप्ति जारी की गई थी; प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या यह

Page No.10

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

सही है कि लालसोट नगरपालिका पहले थी और चुनावों के टाइम पर तब्दीली की गई पंचायत में और फिर नोटिस निकाला गया नगरपालिका में परिवर्तित करने के लिए और ऑब्जेक्शन्स भी मांगे गये; वे भी आ चुके हैं, उनकी मयाद भी गुजर गई है ! फिर अब एक साल से निर्णय नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो उत्तर में ही निवेदन कर चुका हूँ ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आपके यहां ऑब्जेक्शन्स कब आये और निर्णय उन पर कब से नहीं हो रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : २।११।६० को विज्ञप्ति जारी की गई। अब ऑब्जेक्शन्स पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र अन्तिम निर्णय लिया जावेगा ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : २।११।६० से कितनी अवधि के अन्दर ऑब्जेक्शन्स मांगे गये थे ?

श्री दौलतराम सारण : कानून के प्रावधान के अनुसार यह विज्ञप्ति जारी की गई और उसमें आपत्तियां आमन्त्रित की गईं । अवधि उसकी समाप्त हो चुकी है और अब नगरपालिका में उसे परिवर्तित करने की कार्यवाही पर निर्णय ले रहे हैं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मेरा प्रश्न था कि नोटिस की अवधि कितनी थी ?

श्री दौलतराम सारण : दो महीने की थी ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : दो महीने तो ६० में ही निकल गये, इतने अर्से तक भी अब निर्णय नहीं लेने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : अब कारण तो क्या है, हुआ नहीं निर्णय, अब जल्दी कर दिया जावेगा । बीच में चुनाव आ गये थे इसलिए ध्यान नहीं दिया जा सका इस तरफ ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या चुनावों के कारण ऐसा न करके वे चुनाव में राजनैतिक लाभ उठाना चाहते थे ?

श्री दौलतराम सारण : नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, पर सारी मशीनरी चुनावों में व्यस्त थी, यह सब जानते हैं ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आप अब आश्वासन देंगे कि कितने अर्से में यह हो जावेगा ?

श्री दौलतराम सारण : अब जल्दी हो हो जावेगा ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : एक विज्ञप्ति ६० में निकाली जावे और डेढ़ साल तक उसका निर्णय न हो ! अब तो अवधि कोई तय कीजिये कि दो महीने या तीन महीने या चार महीने में आप करवा देंगे ।

श्री दौलतराम सारण : अब तो महीनों की बात नहीं, दिनों में ही निर्णय हो जावेगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): दिन तो ३६५ भी हो सकते हैं ।

Page No.11

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या यह सही है कि टोडा रायसिंह का परिणाम चुनावों का घोषित होने के बाद पंचायत करने का निर्णय लिया गया था ?

श्री दौलतराम सारण : जो जो पंचायतों में परिवर्तित होना चाहती थीं उनको पंचायतों में बदला गया और फिर नगरपालिका में होना चाहते थे तो उनको फिर वैसा किया गया। इसमें चुनावों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेरा प्रश्न टोडा-रायसिंह नगरपालिका के सम्बन्ध में था। वैसे आम प्रश्न नहीं था। इसलिए क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उसे नगरपालिका से पंचायत में परिवर्तित किया गया और हाई कोर्ट से रिट आने पर वापिस नगरपालिका में रख दिया ?

श्री दौलतराम सारण : यह जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : यह बात नगरपालिका तिजारा के बारे में हुई। जो आपने उत्तर दिया पहले उसमें तिजारा को भी शामिल और करना था। यह अलग प्रश्न नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य ने शायद प्रश्न को ठीक तरह से पढ़ा नहीं। उसमें लिखा है कि "कितनी नगरपालिकाओं को ग्राम पंचायतों में परिवर्तित करके पुनः ऐसी ग्राम पचायतों को नगरपालिकाएं सरकार द्वारा गत दो सालों में घोषित किया गया व उन नगरपालिकाओं को आबादी क्या है ?"

यह प्रश्न था। उसके उत्तर में मैंने निवेदन किया कि इन इन नगरपालिकाओं को पंचायतों में बनाया और अब उनको फिर नगरपालिकाएं बनाया गया।

श्री हरिराम चौहान : तिजारा को नगरपालिका बनाने का प्रश्न क्या सरकार के विचाराधीन है, यह तो आपने बना दिया उसकी सूची है ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग सवाल है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : लालसोट की नगरपालिका की क्या आबादी है ? यह नियम में आता है या नहीं, इसका उत्तर दिला दिया जावे। यह उत्तर नहीं आया ?

एक माननीय सदस्य : कुछ तो हमारे हाथ में रखो।

श्री दौलतराम सारण : आपने जो पूछा उसका उत्तर दे चुका। आपको बतला दिया। अब उस पर विचार किया जा रहा है। अब आप क्या यह चाहते हैं कि नगरपालिका नहीं बनाई जावे ? अगर ऐसा है, तो ऐसा कह दीजिये।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं तो, बन जावे, इस राय का हूँ। अब उसकी आबादी का प्रश्न तो इसलिए पूछा था कि उन नगरपालिकाओं की आबादी क्या है, और इसकी आबादी क्या है, इसका मिलान कर लिया जावे, इसके मिलान के लिए प्रश्न किया है। पहले प्रश्न में ही मेरा यह सवाल है।

श्री दौलतराम सारण : आपने लाल-सोट के लिये तो आबादी नहीं पूछी। जिनको परिवर्तित किया है उनकी आबादी मैंने आपको बतला दी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : वह तो दो ही के लिये दिया टोडारायसिंह और बिसाऊ। लालसोट का नहीं बताया।

श्री अध्यक्ष : वे बतला चुके। श्री लक्ष्मणप्रसाद।

पाडली ग्राम पंचायत चांदेरा (सिकराय) के सरपंच को स्कूल भवन के लिये दिया गया अनुदान

४१२. श्री लक्ष्मणप्रसाद (सिकराय-सु.) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि पाडली ग्राम पंचायत चांदेरा के स्कूल भवन निर्माण के लिये ५८-५९ के बजट लोकल डेवलपमेंट फण्ड से श्री रामजीलाल अग्रवाल सरपंच को अनुदान तहसील सिकराय द्वारा दिया गया था ?

(२) क्या यह भी सही है कि इसी भवन के लिये जिला बोर्ड से भी इन्हीं सरपंच को निर्माण हेतु अनुदान मिला है ?

(३) यदि हां, तो कितना कितना पैसा लोकल डेवलपमेंट फण्ड का जिला बोर्ड से इस स्कूल भवन निर्माण हेतु दिया गया है ?

(४) क्या यह भी सही है कि इस स्कूल भवन में प्राप्त शुदा धनराशि उक्त सरपंच द्वारा पूरी नहीं लगाई गई है तथा गलत हिसाब प्रस्तुत किया गया है, जिसकी शिकायत जनता द्वारा सम्बन्धित विभागों में की गई है ?

(५) क्या यह भी सही है कि शिकायत के जांच के दौरान में दो बार ओवरसियरों द्वारा धनराशि पूर्ण व्यय नहीं करने की रिपोर्ट कर पत्रादि जिला विकास अधिकारी जयपुर को तहसील सिकराय द्वारा भेजे गये हैं ?

(६) यदि हां, तो इस विषय में जिला विकास अधिकारी, द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) केवल स्थानीय विकास कार्यों के मद से २,५५०) रु०

(४) शिकायत प्राप्त हुई थी। हिसाब की जांच की जा रही है।

(५) तहसील से भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(६) हिसाब की जांच की जा रही है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद : यह शिकायत कब प्राप्त हुई ?

श्री दिनेशराय डांगी : शिकायत की तारीख की जानकारी तो नहीं है। पर तहसीलदार के द्वारा जांच की गई है और हिसाब की जांच बाद में अधिशासी अभियन्ता, भरतपुर के द्वारा भी की गई है जिसमें १,६१७)रु. का काम किया गया आंका गया है। जांच अभी और जारी है।

श्री लक्ष्मणप्रसाद : यह जांच कब तक जारी रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : इसका निर्णय कब तक दे दिया जावेगा ?

श्री दिनेशराय डांगी : वहां से पूरी जानकारी आने के बाद में दिया जावेगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : कब रिपोर्ट होकर आपके पास आई ? एस्टीमेट पी० डब्ल्यू० डी० से बन चुका है रिपोर्ट भी आपके पास आ चुकी है, उसको आये कितना ही अर्सा हो गया।

श्री दिनेशराय डांगी : उसकी रिपोर्ट आने का सवाल नहीं होता। अभी जांच जारी है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है। पी. डब्ल्यू. डी. और तहसीलदार से भी जांच होकर आ गई है और इसके ऊपर एम्बेज़लमेन्ट का केस चलाने की रिपोर्ट आ चुकी है, पर आप उसे दबा कर बैठे हैं। वैसे सब जांच हो चुकी है।

श्री दिनेशराय डांगी : रुपया पूरा खर्च नहीं हुआ होगा तो रुपया वसूल कर लिया जावेगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : पैसा ही वसूल कर लिया जावेगा या कानून के तहत एम्बेलज़मेन्ट के लिये भी कार्यवाही की जावेगी ; जब आधा भी रुपया खर्च नहीं हुआ और बाकी का २,१००) रु. हड़प कर लिया। एम्बेजलमेन्ट का केस बनता है। रिपोर्ट आपके पास आ गई। पर इसके बाद में भी क्यों लेपाचेपी की जा रही है और कितने अर्से से की जा रही है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मैं निवेदन कर दूं। कुल २,५००) रु० मिले थे। बाकी श्रमदान से था। कुल तीन हजार के करीब का काम किया गया था, जिसका ओवरसियर और तहसीलदार ने जांच करके एस्टीमेट दिया कि दो हजार खर्च हुए हैं। इस पर सरपंच ने यह मांग की है कि यह एस्टीमेट गलत बनाया है इसलिये एस्टीमेट दुबारा बनवाया जावे। इसलिये असिस्टेन्ट इन्जीनियर से दुबारा एस्टीमेट करवाने के लिये भेजा है। दुबारा एस्टीमेट आने के बाद एक्चुअली पता लगेगा कि वास्तव में जो कहते हैं उतना खर्चा हुआ है या नहीं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : ओवरसियर की रिपोर्ट के बाद में आपने दुबारा असिस्टेन्ट इन्जीनियर से पूछा, वह भी जाकर कर आया और उसकी रिपोर्ट भी भेजी जा चुकी है, लेकिन उसके ऊपर निर्णय नहीं हो रहा है; क्या कारण है इसका ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह रिपोर्ट हमारे पास नहीं आयी है। जब तक असिस्टेन्ट इन्जीनियर की रिपोर्ट नहीं आयेगी तब तक हम फैसला नहीं कर सकते।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या आप जांच करेंगे कि आपके हायर ऑफिस में यह रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है........

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मैं आपको कल शाम तक के ऑफिस की सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरदत्तसिंह।

नगरपालिका में प्रशासकों की नियुक्ति

४१३. **श्री हरदत्तसिंह** (नोहर) : क्या

Page No.14

(श्री हरदत्तसिंह]

स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि कस्बा नोहर और कस्बा भादरा की नगरपालिकाओं की अवधि समाप्त हो जाने के कारण उनको भंग कर दिया गया है और कस्बा भादरा में तत्कालीन चेयरमैन को व कस्बा नोहर में स्थानीय रेवेन्यु तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उपरोक्त दोनों नगरपालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति में यह फर्क क्यों रखा है ?

(ग) क्या सरकार उपरोक्त नगरपालिकाओं का चुनाव यथासंभव शीघ्र कराने की व्यवस्था करेगी ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट, १९५९ की धारा २९३-ए के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति (सरकारी या गैरसरकारी) को प्रशासक नियुक्त कर सकती है ।

(ग) जी हां ।

श्री हरदत्तसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासक, नगरपालिका, भादरा के खिलाफ कुछ आरोप थे और उनकी जांच आपके विभाग द्वारा होकर उनको चार्जशीट दी गयी थी जिसका कोई फैसला नहीं हुआ । फिर भी उनको प्रशासक मुकर्रर क्यों किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार ने जिस समय इनको प्रशासक नियुक्त किया उस समय यह जांच कर ली थी कि इनके खिलाफ एम्बेज़लमेन्ट वगैरह के केसेज़ सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री दौलतराम सारण : मैं नहीं कह सकता कि इनके खिलाफ ये केसेज़ हैं। इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है । अगर माननीय सदस्य ऐसा कहते हैं तो मैं उसकी जानकारी करा लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय आपने उसको प्रशासक नियुक्त किया उस समय उसके कन्डक्ट की, उसके कैरेक्टर वगैरह की जांच की या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : साधारणतया जो आदमी वहां काम करता है या जो गैर-सरकारी व्यक्ति उपयुक्त समझा जाता है उसको नोमीनेट कर दिया जाता है और इसी तरह से सरकारी अधिकारी जो भी नियरेस्ट अवेलेबल होता है उसको नियुक्त कर दिया जाता है। फिर भी अगर आप कहते हैं कि उनके खिलाफ शिकायत है तो मैं उसकी जानकारी कर लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : यह उपरोक्त व्यक्ति ही प्रशासक नियुक्त करने के उपयुक्त है; यह आप कौनसी मशीनरी के द्वारा जानकारी करते हैं ?

Page No.15

श्री दौलतराम सारण : वह जनता ने वोट देकर चेयरमैन बनाया था और सरकार को प्रशासक नियुक्त करने की जरुरत पड़ी अवधि समाप्त होने के पश्चात्, तो उसको अपोइन्ट कर दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : किस मशीनरी के द्वारा मंत्रि मण्डल या सेक्रेटरी को मालूम होता है कि उपरोक्त नगरपालिका में एक ही आदमी प्रशासक पद के लिये उपयुक्त है और उनको प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है ?

श्री दौलतराम सारण : वह तो सरकार के पास सरकारी तंत्र है। डी०एल० ओ० है, कलेक्टर है, एस० डी० एम० है और बहुत से अधिकारी हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उपरोक्त एडमिनिस्ट्रेटर के लिये कलेक्टर की यह राय नहीं थी कि उसको नियुक्त किया जाये ?

श्री दौलतराम सारण : मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, यह धारणा के आधार पर प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह ; मैं कहता हूं कि इनको नियुक्त किये जाने के लिए कलेक्टर से नहीं पूछा गया, एस० डी० एम० से नहीं पूछा गया और डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ से नहीं पूछा गया, आप और फिर बता दें कि पूछा गया है ?

श्री हरदत्तसिंह : मैं आपको सूचना देता हूं कि डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ के कार्यालय में प्रशासक, भादरा के खिलाफ चार्जशीट जांच होकर पड़ी है और वह आपके विभाग द्वारा दबाई जा रही है और उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। क्या इसके ऊपर गौर करके इनको हटाने का फैसला करने का सरकार सोचेगी।

श्री दौलतराम सारण : दबाने का सवाल नहीं है। हो सकता है शिकायत हो और उनके कार्यालय में जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायेगी ?

श्री हरदत्तसिंह : मैं शिकायतों को दलील नहीं दे रहा हूँ। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपके विभाग द्वारा जांच होकर उनको ठीक मान कर उनको चार्जशीट दी गयी और उसके बाद में चार्जशीट का जवाब भी नहीं दिया और उनको प्रशासक बना दिया।

श्री दौलतराम सारण : हो सकता है जांच की गयी हो, हो सकता है चार्जशीट दी गयी हो और हो सकता है शिकायतें पड़ी हों........

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : हो सकता है ; सवाल का जवाब नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं जानकारी करके बता दूंगा इसके सिवाय और क्या उत्तर दे सकता हूं ?

श्री भैरोंसिंह : आपको इनकी शिकायतों के बारे में भी जानकारी नहीं है, यह तो रखनी ही चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : आपका प्रश्न केवल इतना था कि वहां कौन कौन प्रशासक

(श्री दौलतराम सारण)

हैं, मैंने निवेदन कर दिया। उससे फर्दर क्वेश्चन से अलग जाकर आप जानकारी करना चाहते हैं तो उसके लिये मैं अभी निश्चित जानकारी नहीं दे सकता। अगर आपको और पूछना है तो उसके लिए आप सूचना दें, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। फिर भी मैंने आपको आश्वासन दिया है कि मैं जांच करा लूंगा। इससे अधिक और आप क्या चाहते हो ?

श्री हरदत्तसिंह : मैंने सवाल पूछा है कि इस समय दो प्रशासक नियुक्त किए गए, जिनमें से एक तो आपने सरकारी कर्मचारी को लगाया और एक आपने भूतपूर्व चेयरमैन को लगाया है; तो उसकी वजह आपने कुछ नहीं बताई कि यह फर्क क्यों रखा गया ?

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य की जानकारी के लिये मैं निवेदन करूंगा कि हमने निर्णय ले लिया है कि किसी भी गैर-सरकारी व्यक्ति को यथासम्भव प्रशासक नहीं बनायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : फिर इस केस में क्यों बनाया ?

श्री दौलतराम सारण : यह पहले बनाया जा चुका था। इस समय हमने यह निर्णय ले लिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: पहले के बारे में ही तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपने जो दो नगरपालिकाओं के बारे में फर्क किया उसका क्या आधार था ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार को अधिकार था कानून के अनुसार कि वह किसी भी सरकारी या गैरसरकारी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त कर सकती थी। उसके अन्तर्गत यह किया गया लेकिन अब हमने यह निर्णय ले लिया है कि किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति को यथासम्भव प्रशासक नियुक्त नहीं करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न यही उठता है कि सरकार अपने डिस्क्रिशन से आर्बिट्रेरी तरीके से अधिकारों का इस्तेमाल कर सकती है या दूसरे तरीके से इस्तेमाल कर सकती है ? आपको अधिकार था, उसको नहीं इन्कार करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया, यह जानना चाहते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सरकार का अधिकार नियम और न्याय है, उसके अन्तर्गत यह किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसी कानून, अधिकार और न्याय का आपने उल्लंघन किया है; यही तो सवाल है।

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : कतई नहीं किया है।

श्री हरदत्त सिंह : मेरा सवाल यह है कि आपने दो जगह प्रशासक नियुक्त किये, उनमें फर्क रखने की कौनसी आपको न्याय प्रणाली है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या जिसके खिलाफ आरोप हों, चार्जशीट हों उसको सरकार बैटर क्वालिफाइड मानती है, यह जवाब दिया जाये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या ४१४

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री दयाचन्द ।

अस्पताल बारां

४१५. **श्री दयाचन्द** (बारां) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राजकीय अस्पताल बारां नगर के लिये डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, कम्पाउन्डर व नर्सों आदि की कितनी पोस्ट्स निर्धारित हैं ? और इस समय इनमें से कितने नियुक्त हैं ?

(२) बारां अस्पताल में कितने समय से लेडी डॉक्टर नहीं है और अब कब तक नियुक्ति हो जावेगी ?

(३) क्या यह सच है कि बारां अस्पताल में इस समय एक भी शिक्षित नर्स नहीं है ? यदि हां, तो कब तक नियुक्त हो जावेगी ?

उप-मन्त्रिणी, स्वास्थ्य (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) राजकीय अस्पताल बारां के लिए निर्धारित एवं नियुक्त पोस्ट्स निम्न प्रकार हैं :-

पद	निर्धारित संख्या	नियुक्त संख्या
डाक्टर्स	३	२
कम्पाउन्डर्स ग्रेड २	१	१

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रिणी की आवाज क्लियर नहीं आ रही है ?

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : सब आ रही है ।

श्री अध्यक्ष : It is a very faminine voice.

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : It is but natural, Sir.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : It should be a little louder, Sir.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी रेंज थोड़ी नॉर्मल रेंज से हाई होनी चाहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : The wave length should be longer, Sir.

श्रीमती प्रभा मिश्रा : (१) राजकीय अस्पताल बारां के लिए निर्धारित एवं नियुक्त पोस्ट्स निम्न प्रकार हैं :

पद	निर्धारित सं०	नियुक्त सं०
१. डॉक्टर्स	३	२
२. कम्पाउन्डर्स ग्रेड २	१	१
३. कम्पाउन्डर्स ग्रेड ३	४	४
४. स्टाफ नर्स	१	इस समय वहां नहीं है ।
५. मिडवाइफ	१	१

(२) हालांकि वहां पर लेडी डॉक्टर का खास तौर पर प्रावधान नहीं है फिर भी जब

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

कमी लेडी डॉक्टर उपलब्ध हो जाती हैं, नियुक्त कर दी जाती हैं।

(३) जी हां। प्रशिक्षित नर्स के अभाव के कारण नियुक्ति नहीं की जा सकी है। ज्योंही प्रशिक्षित नर्स प्राप्त होगी, नियुक्त कर दी जावेगी।

श्री दयाचन्द : क्या यह सही है कि स्टाफ की कमी होने से मरीजों की देखरेख ठीक तरह से नहीं हो सकती ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जितना निर्धारित स्टाफ है वह सब मौजूद है केवल स्टाफ नर्स और एक डाक्टर के; और उनकी नियुक्ति जब डाक्टर और नर्स मिल जायेंगी तो कर दी जायेगी। अभी कोई मिली नहीं हैं तो वहां पर कैसे नियुक्ति की जायें।

श्री दयाचन्द : कम से कम वहां पर एक प्रशिक्षित नर्स तो होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नर्स; फिर एक लेडी डाक्टर भी होनी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यदि कमी है तो वे 'बाला बाला' नियुक्त कर दें ?

श्री मथुरादास माथुर : पर हमें सूचना दे दीजिए। आप नियुक्त कर लीजिए पैसे हम दे देंगे। आप 'बाला बाला' बहुत करते हैं।

श्री हरिराम (तिजारा) : यह 'बाला बाला' तो आपका ही क्षेत्र है।

पुलिया निर्माण

४१६. **श्री हरिराम चौहान** (तिजारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि तिजारा से भिवाड़ी तक जाने वाली पक्की सड़क के बीच बड़े बड़े नाले पड़ते हैं ? यदि हां, तो उन पर कितनी पुलिया बनाने की योजना है ? यदि कोई योजना नहीं है, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि इस सड़क के कुछ हिस्सों पर डाम्बर भी नहीं पड़ा है ? यदि हां, तो कितने टुकड़े पर ?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) जी हां, सिर्फ २८ पुलियों तथा एक पुल बनाने की योजना है।

(ख) सही है। ११ मीलों पर।

श्री हरिराम चौहान : यह योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : यह योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पूरा हो जायगा।

श्री हरिराम चौहान : कौन सी बताई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : चौथी पंच वर्षीय योजना के लिए काफी काम हो गया- इसीलिए पांचवीं की बात कीजिये।

श्री हरिराम चौहान : उसके लिये क्या यह जरूरी है कि आप ही रहेंगे।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया है कि तीसरी में लिया जा रहा है और चौथी में पूरा हो जायगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या तिजारा क्षेत्र के सभी काम चौथी पंच वर्षीय योजना के लिए नियत कर दिये गये हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या चौथी पंचवर्षीय योजना बनाली गई है ?

श्री हरिराम चौहान : क्या आपको जानकारी है कि वहां पर मोटर वगैरह व आने जाने वाले लोग रुक जाते हैं जब कि पानी आता है नदी के अन्दर और बड़ी परेशानी होती है । लोगों में त्राहि-त्राहि मच जाती है और आप चौथी पंच साला योजना का नाम ले रहे हैं, तो कैसे लोगों को तसल्ली दी जा सकती है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में प्रावधान करके काम शुरू कर दिया जायेगा। पहले नदी की पुलिया का काम जल्दी ही शुरू कर दिया जायेगा ।

सहायक रजिस्ट्रार के हैड-क्वार्टर्स का स्थानान्तरण

४१७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या कोटा में दो सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, पूर्वी व पश्चिमी के नाम से नियुक्त हैं, और दोनों का हैड क्वार्टर कोटा में ही है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि सहायक रजिस्ट्रार पूर्वी सहकारी समिति का हैडक्वार्टर बारां में रखे जाने के बाबत पंचायत समिति, बारां व जिला परिषद्, कोटा द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है ?

(ग) अगर हां, तो इस संबन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसा निवेदन यहां आना नहीं पाया जाता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस सम्बन्ध में बारां पंचायत समिति और कोटा जिला परिषद् ने निवेदन किया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा निवेदन नहीं आया, मैं कह चुका हूं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : रजिस्ट्रार के ऑफिस में निवेदन आया कि नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रजिस्ट्रार के ऑफिस में नहीं आया, सेक्रेटेरियट में नहीं आया, कहीं भी नहीं आया अभी तक ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या पूर्वी सहकारी रजिस्ट्रार के ऑफिस को बारां में लाने की योजना है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने यहां पर निवेदन किया है। हम भी देखेंगे कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के वर्क को डिवाइड करके और एरिया को डिवाइड करके विचार किया जा सकता है।

हरिजन कॉलोनी, बारां

४१८. **श्री दयाचन्द** (बारां) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या म्युनिसिपल बोर्ड, बारां नगर को समाज कल्याण विभाग से हरिजन कॉलोनी बनाने हेतु कोई सहायता मिली है ?

(२) यदि हां, तो उक्त धन-राशि इस कार्य में लाई गई या नहीं ?

उपमन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) २२ हरिजन परिवारों को मकान बनाने हेतु ७५०) रुपये प्रति परिवार के हिसाब से १६,५००) रुपये की धनराशि नगरपालिका बारां को समाज कल्याण विभाग द्वारा वितरण हेतु दी गई।

(२) दी गई राशि अभी तक काम में नहीं ली जा सकी है।

श्री दयाचन्द : यह धन कब प्राप्त हुआ ? यह धन म्युनिसिपैलिटी को कब मिला ?

श्री दौलतराम सारण : ३१-३-१६६०।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : मकानों का निर्माण नहीं होने का क्या कारण है, जैसा कि आपने स्वीकार किया है कि मकान नहीं बने।

श्री दौलतराम सारण : मकान नहीं बने। यह धनराशि म्युनिसिपैलिटी के पास है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मकान क्यों नहीं बनें ? अमानत रखने के लिए नहीं है। इसको जानकारी दें।

श्री दौलतराम सारण : क्यों नहीं बनने का कारण नगरपालिका ने यह बताया है कि ७५०) रु० जो दिये गये हैं उसमें जो निश्चित मकान का नक्शा बनाया गया है तो उसमें हरिजनों को और रुपया मिलाना पड़ता है। वे मिलाने की स्थिति में नहीं हैं इसलिए नहीं बनाये गये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : धनराशि दी जाती है तो कुछ अपने पास से लगाने के बाद ही धनराशि दी जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार उन नक्शों में तब्दीली करने का सोच रही है, ताकि ७५०) रु० में वे नक्शे बन सकें ?

श्री दौलतराम सारण : यह समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित है। जो नगरपालिका से सम्बन्धित था वह मैं निवेदन कर चुका हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप समाज कल्याण विभाग से सिफारिश करेंगे कि हरिजनों के मकान इतने रुपये में नहीं बन सकते हैं, वे अपने पास से पैसा नहीं लगा सकते इसलिये या तो नक्शे में परिवर्तन करें या उनका अनुदान बढ़ाया जाय ?

Page No.21

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान में बहुत सी जगह हरिजनों की बस्तियों के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से पैसा दिया जाता है। बस्तियां बनी भी हैं और बन भी रही हैं : एक जगह दिक्कत है उस पर नगर-पालिका जो है उनसे लिखा–पढ़ी करके निश्चित करेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार की शिकायत और किस नगरपालिका की ओर से आपके विभाग में प्राप्त हुई है कि वहां पर हरिजनों के लिए इतने रुपये में मकान बनाने में दिक्कत आ रही है ?

श्री दौलतराम सारण : ऐसी किसी शिकायत की मुझे इस समय जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपको नगरपालिका ने कब सूचना दी थी कि ७५०) रु० हमारे लिए दिए गए हैं उनमें मकान नहीं बन सकते ?

श्री दौलतराम सारण : सूचना देने के तिथिपत्र की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपको जानकारी नहीं है तो किस आधार पर कह रहे हैं कि सूचना दे दी गई ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका की सूचना पर।

श्री भैरोंसिंह : नगरपालिका ने इन दो वर्षों के समय में कब सूचना दी कि वे ७५०) रुपये को काम में नहीं ला सके ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका का जवाब यह है कि मकान बनाने के लिए निम्नतम राशि दी गई है वह कभी भी काम में नहीं ली जा सकती है क्योंकि हरिजनों की आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं है। नगर–पालिका द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पैसा और काम में नहीं खर्च कर दें। अगर मकान नहीं बना सकते हैं तो वापिस लिया जाय।

श्री दौलतराम सारण : नियम के अनु-सार अगर पैसा नहीं खर्च करेंगे और खर्च करने का प्रमाण–पत्र नहीं प्रस्तुत करेंगे तो धनराशि ६ प्रतिशत ब्याज के साथ वापिस लौटानी पड़ेगी।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या ७५०) रु० देने से पहले उनसे यह बोन्ड लिखाये गये थे उनके शेयर की मनी देने के लिए ?

श्री दौलतराम सारण : समाज-कल्याण विभाग द्वारा नियमानुसार जो कार्यवाही आव-श्यक होती है वह कार्यवाई है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या विधि नियत की गई है कि इतने समय में मकान बना लें वर्ना मनी लौटायें।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द।

श्री दयाचन्द : हरिजन लोग मकान बनाने के लिए तैयार नहीं हैं और म्युनिसि–पैलिटी खर्चा नहीं करना चाहती और वह सूद कमा रही है क्योंकि उसने उस पैसे को बैंक में पटक रखा है।

श्री दौलतराम सारण : हरिजन लोग मकान बनाने के लिए तैयार होंगे तो मैं भी प्रयास करूंगा कि नगरपालिका जल्दी करे ।

श्री हरिराम चौहान : क्या यह सही है कि ७५०) रुपये कम होने की वजह से बहुत से हरिजनों ने पैसा नहीं लिया है, क्योंकि ७५०) रु० में मकान नहीं बनाया जा सकता है; तो क्या इस काम की जानकारी आपको है ?

प्रश्न संख्या ४१६

श्री अध्यक्ष : श्री जीवराज ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४२०

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

पुलिया निर्माण

४२१. **श्री महेन्द्रसिंह** (दीगाद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(क) क्या तहसील दीगोद, जिला कोटा में मानस ग्राम की पुलिया का एस्टीमेट मन्जूर हो चुका है ?

(ख) यदि हां, तो इस कार्य पर अब तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

(ग) क्या उपरोक्त काम इस समय बन्द है ? यदि हां, तो क्यों तथा यह कब तक पूरा हो जावेगा ?

उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (क) जी हां ।

(ख) अब तक इस कार्य पर १६,०८३ रु० खर्च किये जा चुके है ?

(ग) जी हां । टेंडर आमंत्रित किये गये हैं ।

श्री महेन्द्रसिंह : यह रकम किस ठेकेदार द्वारा खर्च की गई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रिपेयर ग्रान्ट से खर्च की गई है ।

श्री महेन्द्रसिंह : एक बार फिर बता दें ।

श्री अध्यक्ष : कृपया इस उत्तर को दोहरायें ।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (क) जी हां ।

(ख) अब तक इस कार्य पर १६,०८३ रु० खर्च किये जा चुके हैं ।

(ग) जी हां, टेंडर्स आमंत्रित किये गये हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर शहर) : 'दोहराने' का मतलब यह नहीं कि जोर जोर से बोलें । जरा धीरे धीरे बोलिये, यह हम चाहते हैं । स्पीड कम करें ।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या यह रुपया किसी ठेकेदार द्वारा खर्च किया गया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं ।

श्री महेन्द्रसिंह : क्या डिपार्टमेन्टली काम करवाया है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : ब्रिज जो कमी का बना हुआ था वह टूट गया था ? इसका रिपेयर कराया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : पुल पहले का बना हुआ था, उसको अब रिपेअर करवाया जा रहा है ।

श्री महेन्द्रसिंह : रिपेयर किसके द्वारा कराया जा रहा है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : डिपार्ट-मेन्टली तैयार कराया गया था ।

प्रश्न संख्या ४२२

श्री अध्यक्ष : श्री जीवराज ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२३

श्री अब्दुलजब्बार ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२४

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

स्थगित प्रश्न

प्रश्न संख्या १८८

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह प्रश्न ले लिया जाय । यह प्रश्न इम्पों-टेन्ट है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

सीमेंट कम्पनी, लाखेरी

३६७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सही है कि सीमेन्ट कम्पनी लाखेरी की कॉलोनी का गंदा नाला संढाल नामक बरसाती नदी में गिराया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि यह नदी देव-स्थान के चारों ओर बहती है ?

(३) क्या यह सही है कि मेलों आदि के अवसरों पर तथा अन्य समय भी राहगीर इसे नदी का पानी समझ कर ही पीते है ?

(४) क्या यह सही है कि जन-स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हानिकारक है ?

(५) क्या यह सही है कि इस संबन्ध में जनता द्वारा प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किये गये है और अधिकारियों द्वारा इसका मौका भी देखा गया है ?

(६) इस नदी के पानी की सफाई की दृष्टि से सरकार क्या योजना बना रही है ?

उपमन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) (१) जी हां, नदी की ओर बहाव होने के कारण नाला उसमें गिरता है ।

(२) जी नहीं, यह नाला महावीरजी के स्थान से केवल दो ओर बहता है ।

Page No.24

(दौलतराम सारण)

(३) जी नहीं, पीने के पानी के लिये एक कुन्ड (Stop well) है जिसका पानी मेले व अन्य अवसरों पर सब पीते हैं।

(४) जब इस नदी का पानी पिया ही नहीं जाता है तो प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) जी नहीं।

(६) न तो यह प्रश्न ही उठता है और न कोई योजना सरकार बना रही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय, भूतपूर्व बद्रीप्रसादजी स्वयं ने वहां जाकर मौका देखा है और स्वीकार किया गया है कि गंदानाला सीमेन्ट फेक्ट्री का इसमें गिरता है और राहगीर लोगों को इस गंदे नाले का टट्टी-पेशाब का पानी पीना पड़ता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वे भूतपूर्व मंत्री थे या भूतपूर्व बद्रीप्रसादजी थे ?

श्री दौलतराम सारण : जो सूचना उपलब्ध थी वह मैंने निवेदन कर दी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या सीमेन्ट कम्पनी द्वारा गटर बनवाना सरकार उचित नहीं समझती ? सीमेन्ट कम्पनी ने गंदा नाला नदी में डाला है इससे राहगीर पानी समझ कर टट्टी पेशाब पीते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सीमेन्ट कम्पनी का ही नाला नहीं गिरता है बल्कि लाखेरी गांव का भी इसमें गिरता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बिल्कुल झूठ है। लाखेरी गांव वहां से ४ मील दूर है। आप इस तरह की झूठी बात कह कर गुमराह नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : चार मील दूर होने पर भी गांव का गंदा नाला नदी में गिरता है या नहीं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : प्रश्न यह है कि सीमेन्ट कम्पनी ने गटर नहीं बनाया है और कम्पनी का गंदा नाला इस नदी में गिरता है, राहगीर पानी समझ कर पीते हैं और दूधवाले इसके पानी को दूध में डाल कर बेचते है। मौके पर कलेक्टर साहब को भी दिखा दिया है। कई बार लिखा है। प्रार्थना पत्र दिये है लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। उल्टा यह कहते हैं कि गांव का गंदा नाला गिरता है। यह कितनी गलत बात है ?

श्री अध्यक्ष : इनको भी वहां ले जाकर दिखाइये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मंत्री महोदय मौके पर जाकर देख सकते हैं। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब है और मानवीय दृष्टि से भी जब टट्टी-पेशाब पीते हैं, तो खराब है। यह हो सकता है कि सीमेन्ट कम्पनी उनको मोटरें वगैरह देकर खुश करने की कार्यवाही करती है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : वे मोटरें तो आपको भी दे देंगे।

श्री दौलतराम सारण : जो इसकी स्थिति है वह मैं निवेदन कर चुका हूँ।

Page No.25

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह गलत निवेदन है। लाखेरी का नाला ४ मील दूर है और कहीं बहता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या मंत्री महोदय मौके पर जाकर देखने की कृपा करेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सदस्य हाउस में बयान दे रहे हैं कि जनता को नरक जैसी गंदी चीज पीनी पड़ती है, इतना कहने के बावजूद भी आप इस ओर ध्यान नहीं दे सकते ?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, संडाल बरसाती नदी है जो बरसात के दिनों में बहती है और उसमें सीमेंट कम्पनी का गन्दा नाला गिरता है और मेरी सूचना के मुताबिक लाखेरी ग्राम का गंदा नाला भी उसमें गिरता है और यह नदी आगे चल कर मेज़ नदी में गिरती है। महावीरजी के पास एक कुंड है जिसमें सीढ़ियां लगी हुई हैं। इसका पानी साफ और अच्छा है और लोगों को पीने के लिये उपलब्ध है। इसलिये मैं आवश्यकता नहीं समझता कि इसकी जांच की जाय।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : लाखेरी वहां से ४ मील दूर है।

श्री दौलतराम सारण : चार मील दूर होने से क्या होता है ? क्या वहां पर कुंड नहीं है, और क्या उसका पानी लोगों को पीने के लिये उपलब्ध नहीं है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कुंड अलग बात है।

श्री दौलतराम सारण : अलग बात क्या है ? पीने के लिये पानी का प्रबन्ध है। मैं पूछना चाहता हूं कि बरसात के दिनों के अलावा जब नदी नहीं बहती है तब क्या पीते हैं ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मंत्री महोदय, गुस्से में जवाब दे रहे हैं। हम भी जिम्मेदार हैं। कुंड बालाजी की तरफ है। मैं मंत्री महोदय को दिखला दूंगा कि वहां पर ५०-५० आदमी गंदा पानी पीते हैं। यदि यह गलत है तो मैं विधान सभा से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं और यदि सही है तो मंत्रीजी त्याग-पत्र दें।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : मैं यकीन दिलाता हूं कि दो-चार दिन में मैं मौका देखूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम मंत्री महोदय की बात का स्वागत करते हैं किन्तु आप अपने सहयोगी से भी गर्म न होने को कहें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : पानी के मामले में गर्मागर्मी नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : तर्क के अभाव में ऐसा ही है।

श्री अध्यक्ष : श्री संपतलाल !

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला !

Page No.26

नगरपालिका, नाथद्वारा के लिये स्वीकृत कर्ज

४००. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) [श्री दयाचन्द (बारां) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने दिनांक २–१२–६१ को जरिये आदेश संख्या १६४५८।एफ ६३ (१६) एल एस० जी०।६१ के नाथद्वारा नगरपालिका के लिये कर्ज के ४३,४८४) रुपये देने स्वीकार किये थे।

(२) क्या यह सही है कि इस आदेश के पालनार्थ रुपये देने की श्री कलेक्टर, उदयपुर ने नगर पालिका के उपाध्यक्ष से रसीद भी कराली तथा बिल भी भरा लिया गया जिस पर ट्रेज़री ऑफिसर की सील भी लग गई ?

(३) क्या यह सही है कि असिस्टेन्ट अकाउन्ट्स ऑफिसर ने ट्रेज़री ऑफिस उदयपुर को पेमेन्ट ऑथोरिटी भी भेज दी थी ?

(४) क्या यह सही है कि इस रकम को रोकने का आदेश दिनांक २६–१२–६१ को गया ? यदि हां, तो इस रकम को रोकने का क्या आधार था ? क्या इसी समय अन्य नगरपालिकाओं को भी ऋण की स्वीकृतियां दी गई ? यदि हां, तो वे कौन कौन सी तथा क्या उनमें से किसी का ऋण रोका गया ? यदि इसी प्रकार अन्य नगरपालिकाओं का ऋण रोका गया तो उन पालिकाओं में बहुमत किस पार्टी का है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के समक्ष रखें ।

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां ।

(२) जी हां, राज्य सरकार के आदेश के पालनार्थ उपाध्यक्ष, नगरपालिका नाथद्वारा ने नियमानुसार पांच रुपये के स्टाम्प पर बॉंड भर कर कलेक्टर उदयपुर के पास भेजा। इसी बीच में सरकार के आदेशानुसार रकम का भुगतान, जब तक अन्य आदेश न हों, रोक दिया गया ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां, उसे रोकने का आधार यह था कि जो एस्टीमेट्स नगरपालिका ने सड़कों की मरम्मत आदि के लिये बनाकर भेजे थे वे सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा एप्रूव्ड नहीं थे व नगरपालिका के आमद-खर्च सम्बन्धी अन्य सूचना भी उनके साथ नहीं थे । नाथद्वारा को जो ऋण स्वीकृत किया गया था उसके साथ नगरपालिका शाहपुरा, झालरापाटन, झालावाड़, अलवर व राजसमन्द के भी नाम शामिल थे परन्तु उनमें से किसी का ऋण नहीं रोका गया । पार्टी के बहुमत का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जिस समय यह ऋण नगरपालिका को स्वीकार किया गया था उस समय क्या सरकार ने देख लिया था कि सड़क बनाने की जो स्कीम नगरपालिका की है वह पी० डब्ल्यू० डी० से एप्रूव्ड है ?

श्री दौलतराम सारण : उस समय यह बात ध्यान में नहीं थी । जब ध्यान में आई तब ऋण रोका गया ।

श्री भैरोंसिंह : उस समय जिस चीज को ध्यान में रखकर स्वीकृति देनी चाहिये थी, उसको ध्यान में न रखकर स्वीकृति दी गई और बाद में रोकने का आदेश दिया गया, क्या यह सच है ?

श्री दौलतराम सारण : स्थिति स्पष्ट है।

श्री भैरोंसिंह : क्या नगरपालिका को यह सूचना दी थी कि नक्शे पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा एप्रूव्ड नहीं हैं इसलिये रकम रोक रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका को शर्तों की पूर्ति हेतु लिखा गया था।

श्री भैरोंसिंह : मेरा ख्याल है, जिस समय स्टे ऑर्डर इश्यु किया उसके साथ साथ क्या आपने इस बात की सूचना उक्त नगरपालिका को दी थी कि अमुक कारणों से तुम्हारी स्वीकृत धन-राशि रोकी जा रही है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया कि नगरपालिका को शर्तों की पूर्ति हेतु लिखा गया था।

श्री भैरोंसिंह : अप्रेल की ३ तारीख को लिखा गया है। मेरा प्रश्न है कि स्टे ऑर्डर दिया उसकी सूचना दी उसके साथ रकम लैप्स होगी, उसकी सूचना नहीं दी। इस स्टे ऑर्डर के साथ इसको सूचना दी या नहीं कि इस कारण रकम रोक रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि नाथद्वारा म्युनिसिपैलिटी जनसंघ की नगरपालिका है और मुख्य मंत्रीजी नहीं चाहते थे कि नाथद्वारा नगरपालिका को धन-राशि मिले। जो नक्शे नियमानुसार सरकार को पेश करने चाहिये थे वे पेश किये गये थे। लेकिन क्योंकि यह जन संघ की नगरपालिका है इसलिये धनराशि स्वीकृत करके भी नहीं दी गई। मन्त्रीजी कहते हैं कि बाकी नगरपालिकाओं की धनराशि स्वीकार की है। यदि यह नियम सब पर लागू होता तो यह स्टे ऑर्डर उनके साथ भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्लाखां): सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, जिस म्युनिसिपैलिटी का जिक्र किया जा रहा है वह जनसंघ की जरूर है, लेकिन जहां तक रकम देने का ताल्लुक है, रकम म्युनिसिपैलिटी मांगती है तो अपना प्लान पी. डब्ल्यू. डी. से या किसी टेक्निकल पर्सन्स से एप्रूव करा कर भेजे। यदि प्लान्स टैक्निकल पर्सन्स से एप्रूव नहीं कराते हैं तो कम्पलीट नहीं माना जाता। उस नगरपालिका के प्लान्स किसी टैक्निकल आदमी द्वारा एप्रूव्ड नहीं थे। इसलिये उनको वापिस लिखा गया कि टैक्निकल आदमी की ओपीनियन भेजिये। उसके बाद जब एप्रूव कराकर भेजे उस वक्त तक रुपये नहीं रोके जा सकते थे। साल खत्म होने को आ रहा था। साल खत्म होने से कुछ दिन पहले ही म्युनिसिपैलिटियों की दरख्वास्त आई उस समय तक रुपये बांटे जा चुके थे।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय प्लान्स एप्रूव करा कर भेज दिये थे उस समय गवर्नमेंट के पास म्युनिसिपैलिटियों को दी जानेवाली रकम

Page No.28

(श्री भैरोंसिंह)

बाकी थी उसमें से नाथद्वारा को न देकर दूसरी नगरपालिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, क्या यह सच है?

श्री बरकतुल्लाखां : जिस समय फाइल गवर्नमेंट के पास पहुंची उस समय तक रुपये बंट चुके थे।

श्री भैरोंसिंह : वह तारीख कौनसी थी?

श्री दौलतराम सारण : २६-३।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि २७, २८, २६, ३० और ३१ तारीख तक धन-राशि बांटी गई थी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

म्युनिसिपेलिटी उनियारा के चुनाव

४०१. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि म्युनिसिपैलिटी उनियारा के चुनाव की तारीख जो पहले ५ मई, १९६१ नियत की गई थी, बाद में बदल दी गई? यदि हां, तो किन कारणों से?

(२) क्या यह सही है कि उक्त चुनाव के लिये अगत्या कौली के नाम से नोमीनेशन भरा गया था जब कि वह उस जगह मौजूद नहीं था? यदि हां, तो वह किसने पेश किया?

(३) क्या यह सही है कि इस बारे में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, टोंक में कोई केस चल रहा है? यदि हां, तो यह कब दायर हुआ था और कौनसी धारा के तहत चलाया गया है?

(४) क्या यह सही है कि अदालत के बार बार मंगवाने पर भी सम्बन्धित कागजात टोंक कलेक्टरी से नहीं भेजे जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या कारण है कि अदालत के मंगवाने पर भी नहीं दिये जा रहे हैं?

उपमन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां, यह सही है कि नगरपालिका उनियारा के चुनाव की तिथि ५ मई, सन् १९६१ घोषित कर दी गई थी। चुनाव कार्यवाही में नियमों की पालना न होने से चुनाव स्थगित किया गया। १८-१०-६१ को उक्त नगरपालिका का चुनाव सम्पन्न हुआ।

(२) जी हां, यह बताया गया है कि अगत्या कौली के नाम से नामीनेशन फॉर्म प्राप्त हुआ था और अगत्या मौजूद नहीं था व किसी अन्य व्यक्ति ने उसके स्थान पर नामांकन पत्र दाखिल चुनाव अधिकारी को किया।

(३) जी हां, इस बारे में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट टोंक में एक केस चल रहा है जो दि० १४-६-६१ को जेर दफा ४६८ आई. पी. सी. के मोहनलाल नाम के व्यक्ति के विरुद्ध दायर हुआ है।

(४) अदालत फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट टोंक ने इस सम्बन्ध में दि० १४-७-६१ को कागजात तलब किये थे परन्तु उक्त कागजात चुनाव अधिकारी नगरपालिका उनियारा की ओर से जिलाधीश कार्यालय को प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं भेजे जा सके। जिसका जवाब तारीख पेशी के दिन दे दिया

Page No.29

(श्री दौलतराम सारण)

गया था। अब तहसील से उक्त कागजात-जिलाधीश कार्यालय में भिजवाए जा चुके हैं जिसकी इतला तहसील अलीगढ़ द्वारा अदालत फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट टोंक दिनांक ८. १. ६२ को दे दी गई है। मुस्तगीस की ओर से फाइल मंगाने सम्बन्धी तलबाना जमा नहीं करवाने के कारण अदालत द्वारा कागजात फिर तलब नहीं हुए हैं। ऐसा मालूम हुआ है।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इस चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर कौन था, यह जानकारी क्या सरकार को है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी तो मुझे इस समय नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या यह जानकारी है कि उन्होंने जिसकी सिफारिश की है उसके नामीनेशन पेपर पर दस्तखत उम्मीदवार के थे ?

श्री दौलतराम सारण : क्या किया, क्या नही किया; यह जानकारी नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): The question which is sub-judice, Sir, should not be allowed.

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

विश्वज्योति सिनेमा, बीकानेर

४१०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बीकानेर के विश्व ज्योति सिनेमा पर अब तक कितना रुपया मनोरंजन कर का बकाया है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : विश्व ज्योति थियेटर बीकानेर के जिम्मे २६।१०।६१ से ३१।१२।६१ तक की कुल रकम रु० १४, ४५३. ७३ न. पै. मनोरंजन कर की रकम के वसूल होना बाकी है।

श्री मुरलीधर व्यास : ३१।१२।६१ है या ३१।१२।६२ है ?

श्री बालकृष्ण कौल : १९६१ तक।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : बाकी का क्या हुआ ?

श्री बालकृष्ण कौल : आगे जवाब सुन लीजिये।

विश्व ज्योति थियेटर, बीकानेर के जिम्मे २६।१०।६१ से ३१।१२।६१ तक की कुल रकम १४, ४५३. ७३ न. पै. मनोरंजन कर की रकम के वसूल होना बाकी है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जो रकम अभी तक नही दी गई है, इसका क्या कारण है ?

श्री बालकृष्ण कौल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से इतना अर्ज कर दूं कि उस वक्त की जो रकम थी वह तहसीलदार के सबब से कुछ वसूल नहीं हुई, लेकिन अब ३० अप्रेल, १९६२ को वसूली के कारण उसकी सारी मशीन जब्त कर ली गई है और उसके

(श्री बालकृष्ण कौल)

बाद जो रकम टैक्स की वसूल होने की थी, वह ले ली थी। जब टिकट देते हैं तब उस रकम को वसूल कर लेते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : तहसीलदार ने विलम्ब किन कारणों से किया ?

श्री बालकृष्ण कौल : जहां तक मालूम हुआ है वह तहसीलदार की गलती से हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उस तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह अभी खबर मिली है कि इस तारीख को वसूल कर ली है। यह मामला अभी जेरे गौर है।

श्री मुरलीधर व्यास : वह कौनसे तहसीलदार हैं ?

श्री अध्यक्ष : कौन तहसीलदार है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने प्रश्न पूछ लिया है उसका जवाब मंत्री महोदय ने दे दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : तहसीलदार बदलते रहते हैं, हमें पता नहीं रहता है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है, इसके बारे में जांच हो रही है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि गलती हुई है और उसमें कार्यवाही हो रही है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : राजस्थान में ऐसे कितने सिनेमा बताये हैं जिनमें पैसा बकाया है।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

विश्वज्योति सिनेमा, बीकानेर

४१४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या बीकानेर के विश्वज्योति सिनेमा में सैनिटेशन की व्यवस्था नियमानुसार है ?

(२) क्या यह सही है कि वहां सभी लेट्रिन्स फ्लश सिस्टम की न होने के कारण सिनेमा गृह के पड़ोसी नागरिक परेशान हैं ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

गृह मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : (१) जी हां, नियमानुसार सैनीटेशन की व्यवस्था ठीक है।

(२) इस सिनेमा गृह में ६ फ्लश और ३ ड्राई लैट्रिन्स हैं। फ्लश लैट्रिन्स का मैला एक सेप्टिक टैंक में जमा हो जाता है तथा सेप्टिक टैंक से एफ्लुआ (efflua) पाइप द्वारा बाहर जाता है। इसके लिये भी सहायक संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, बीकानेर मंडल, बीकानेर द्वारा सिनेमा मैनेजर को सोकपिट (Soak pit) के लिये लिखा गया था जिसके उत्तर में आश्वासन मिला कि इस सुझाव को कार्यान्वित करने की कोशिश की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : फ्लश लैट्रिन के अतिरिक्त आपने दूसरा बताया, उसका मैला कहां पर जाता है ?

श्री मथुरादास माथुर : वह ड्राई लेट्रिन है ?

श्री मुरलीधर व्यास : ड्राई लेट्रिन है। सवाल यह है कि जहां सैकड़ों आदमी इस प्रकार मेला करते हैं वह सिनेमा शहर की बस्ती में है, जहां पास में मकान हैं, वहां नालियों में मैला बहाया जाता है, यह कहां तक उचित है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह कतई उचित नहीं है, इसलिए जो तीन ड्राई लेट्रिन्स हैं उनको फ्लश लेट्रिन्स में कन्वर्ट कर दिया जायगा ?

श्री मुरलीधर व्यास : कब तक हो जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर : इस साल में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सोक पिट का निर्माण कब तक हो जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर : एक सोक पिट है, जो फ्लश लेट्रिन्स हैं वह उनके लिए है। ड्राई लेट्रिन्स के लिए बना देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने फर्माया कि सोक पीट बनाने के लिए कह दिया है, वह बन रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : तीन लेट्रिन्स को कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए एक और बनेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्वाभाविक है कि सोक पिट न बनने से मेला बाहर फैलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जीवराज।

(विराम)

श्री मथुरेशबिहारी।

कृषि सहकारी समिति, ग्राम हरिपुरा, तहसील उदयपुरवाटी

४१६. श्री जीवराज (गुढ़ा) [श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) द्वारा पूछा गया] : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम हरिपुरा में कृषि सहकारी समिति कब बनी और उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?

(ख) क्या उस समिति को कोई जमीन एलॉट हुई है यदि हां, तो कब और कितनी ?

(ग) क्या वह समिति उक्त भूमि पर काश्त कर रही है ? यदि हां, तो कितनी फसल काश्त कर चुकी है ?

(घ) उससे कितना लगान वसूल हुआ है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ग्राम हरिपुरा में किसी कृषि सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है।

(ख) (ग) (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : क्या वहां उसके लिए कोई दरख्वास्त हुई और रजिस्ट्रेशन के इन्सपेक्टर ने कोई कार्यवाही करके भेजी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस गांव की कोई दरख्वास्त भी नहीं भेजी।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ४२०, मैं पूछ रहा हूँ।

श्री रामकिशन (वैर) : यह जनसंघ का नम्बर कैसे ?

नगरपालिका, टोडा रायसिंह द्वारा ऑक्ट्रोय टैक्स की वसूली

४२०. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नगरपालिका टोडारायसिंह में ऑक्ट्रोय टैक्स लगा हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो क्या वह ऑक्ट्रोय बाइ-लॉज के अनुसार ही वसूल हो रहा है ? अगर हां, तो कृपया ऑक्ट्रोय बाइलॉज़, म्युनिसिपल बोर्ड, टोडारायसिंह सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ग) टोडारायसिंह से माल बाहर जाता है, उससे कितना ऑक्ट्रोय हर साल वसूल होता है ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : (क) जी हां।

(ख) नगरपालिका द्वारा निर्मित पुराने उपनियम के अनुसार ऑक्ट्रोय वसूल की जा रही है। उपनियम की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) ऑक्ट्रोय सिर्फ आयात पर वसूल की जाती है, इसलिये बाहर जाने वाले सामान पर वसूल होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(उप-नियम की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ऑक्ट्रोय के बाइलॉज़ इस नगरपालिका के बनाये हुए नहीं हैं, बल्कि उस नगरपालिका के बनाये हुए हैं जिसको बन्द कर दिया गया और उसके बाद पंचायत बना दी गई थी ?

श्री दौलतराम सारण : यह मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : यही तो है सवाल इसमें। जिस नगरपालिका को डिज़ोल्व करके पंचायत में कन्वर्ट कर दिया गया, उसके बनाये हुए बाइलॉज़ हैं और उन नियमों के अनुसार नगर पालिका वसूल कर रही है ?

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी कर लूंगा।

प्रश्न संख्या ४२२।

श्री अध्यक्ष : श्री जीवराज।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४२४।

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४२३

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(दिनांक १२. ४. ६२ का स्थगित प्रश्न)

नगरपालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्तियां

१८८. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान में इस समय कुल कितनी नगरपालिकाएं हैं ?

(ख) कितनी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनमें इस समय प्रशासक कार्य कर रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ग) कितनी नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनका कार्य:काल समाप्त होने पर अवधि बढ़ाई गई और जिनके चुनाव अभी तक सम्पन्न नहीं हो पाए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें मय इस विवरण के कि कब कब और क्यों क्यों कार्यकाल बढ़ाया गया और चुनाव क्यों नहीं कराए जा सके ?

(घ) भाग (ख) तथा (ग) की नगरपालिकाओं में से कितनी ऐसी हैं जिनके चुनाव की तिथियां घोषित कर दी गयी थीं पर बाद में चुनाव स्थगित कर दिये गये ? इनकी भी सूची मय चुनाव स्थगन के कारणों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ङ) भाग (ख) व (ग) में की नगरपालिकाओं के अतिरिक्त जिन नगरपालिकाओं के चुनाव तो सम्पन्न हो चुके हैं परन्तु जिनकी तिथियां घोषित होने के बाद चुनाव स्थगित किये गये उनकी भी सूची मय चुनाव-स्थगन के कारणों के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उपमंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (क) राजस्थान में इस समय कुल १४२ नगरपालिकायें हैं ।

(ख) कुल ३७ नगरपालिकाओं में प्रशासक कार्य कर रहे हैं जिनकी सूची (क) संलग्न है ।

(ग) सूची संलग्न है ।

(घ) सूची संलग्न है ।

(ङ) सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जिन नगरपालिकाओं के चुनाव कराये जाने बाकी हैं जिनमें प्रशासक नियुक्ति हैं और जिनकी अवधि समाप्त हो गई है और जिनकी अवधि बढ़ाई गई है, ऐसी कितनी नगरपालिकायें होती हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह सूची में है जानकारी, देख लें ।

श्री भैरोंसिंह : सूची में नहीं है ।

Page No.34

श्री दौलतराम सारण : जितनी सूचना चाही है वह प्रस्तुत कर दी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह : यह सवाल महत्वपूर्ण है। क्या यह सही है कि जिन नगरपालिकाओं का चुनाव कराया जाना बाकी है, उनमें ऐसी नगरपालिकाएं हैं जिनकी अवधि १९५९ की जून-जुलाई में समाप्त हुई ?

श्री दौलतराम सारण : जिनकी पहले अवधि समाप्त हुई, वह सारी सूची में अंकित कर दी गई है। आप देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एक्ट के अनुसार जिनकी अवधि १९५९ के मार्च, अप्रेल, जून, जुलाई में समाप्त हुई है, उनके चुनाव एक वर्ष में हो जाने चाहिए थे ?

श्री अध्यक्ष : यह भी सूची में है।

श्री दौलतराम सारण : चुनाव तब हो जाने चाहिए थे। अवधि समाप्त होती है उसके बाद होने चाहिए थे ? लेकिन चुनाव में जो कठिनाई थी उसका वर्णन किया गया और उन कठिनाइयों की वजह से अवधि बढ़ा दी गई है और एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की गई है।

श्री भैरोंसिंह : इस एसेम्बली में कानून बना है और नगरपालिका की अवधि समाप्त होने के बाद एक वर्ष के अन्दर अन्दर चुनाव कराये जाने चाहिए, वे क्यों नहीं कराये गये ?

श्री दौलतराम सारण : मेरी जानकारी में नहीं है कि नगरपालिका अवैधानिक तरीके से चल रही है। जिनमें एक वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है उनमें टेम्पोरेरी प्रोवीज़नल ऑर्डर के अनुसार कार्यवाही की गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या गजसिंहपुर और रायसिंहनगर में नगरपालिका में अवधि समाप्त हुए एक वर्ष से अधिक नहीं हो गया है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(६. १० म. पू.)

अलवर व भरतपुर जिलों की निष्क्रान्त भूमि के काश्तकारों को बिना मुआवज़ा दिये खातेदारी हकूकों से वंचित रखने सम्बन्धी स्थगन--प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री हरिराम चौहान, सदस्य, विधान सभा ने अलवर और भरतपुर जिलों के निष्क्रान्त भूमि के काश्तकारों को बिना मुआवजा दिये खातेदारी हकूकों से वंचित रखने से सम्बन्धित स्थगन--प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं। यह मामला हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्धित नहीं है तथा यह इतने अविलम्बनीय लोक-महत्व का भी नहीं है कि सदन को पूर्व निश्चित कार्यवाही स्थगित की जाकर इस पर सदन में विचार किया जाय। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य दें।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री): The Government will make a statement tomorrow on the 4th May.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, आज सैकड़ों आदमी अलवर, भरतपुर से चल कर यहां आये हैं और चूंकि सरकार की तरफ से वसूली लगातार जारी है और जो लोग सैकड़ों वर्षों से जमीन पर काबिज हैं उन लोगों से भी वसूली ली जा रही है, बावजूद इसके कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने १६ अप्रेल को आश्वासन दे दिया था कि प्री-पार्टिशन टीनेन्ट्स हैं, विभाजन से पहले के टीनेन्ट्स है उनसे यह लगान वसूल नहीं किया जावेगा, मगर आज हम देखते हैं कि आश्वासन के बावजूद भी उन लोगों से भी आज तक वसूली जारी है। इसके अलावा जो पोस्ट-पार्टीशन टीनेन्ट्स हैं और १०-१५ वर्षों से जमीन पर बैठे हैं........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : Can a new speech be made after the assurance has been given by the Hon'ble Minister.

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पहले सरकारी पक्ष से उत्तर हो जावे, उसके बाद आप जो जानकारी करना चाहें वह करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, लोग इतनी दूर से चल कर आये हैं। सरकार की तरफ से आज उत्तर दे दिया जाना चाहिये। दूसरे ही लोग दूसरी जमीनों पर बैठे हैं इन लोगों; से लगातार वसूल हो रहा हैं। आज सरकार की तरफ से उत्तर होना चाहिये और अगर जवाब नहीं होता है तो सरकार की तरफ से, मुख्य मन्त्रीजी नहीं हैं तो माननीय गृह मन्त्री उनसे मिलें और उनको आश्वासन दें कि सरकार इसके बारे में क्या करना चाहती है। ये लोग सैकड़ों मील से चल कर अपना काम छोड़ कर यहां आये हैं, आप उनसे मिल कर उनसे यह पूछें कि उनकी क्या दिक्कत है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक उनके दूर से चल कर आने की बात कही जाती है मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों से पहले ही मिल चुका हूँ। उनके नेताओं को मैंने निवेदन किया कि आप मुख्य मन्त्रीजी से इस सम्बन्ध में जिस समय सुविधा हो उनसे चर्चा कर सकते हैं। वे पधारे हैं, उनका स्वागत है। आज हमको इसकी सूचना मिली है। कल इसका उत्तर दे देंगे। मैं उनसे मिल चुका हूं। इससे ज्यादा आप सरकार से क्या आशा रखते हैं?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, यह मिलना मिलने में मिलना नहीं है! यहां से आये और कहा नाम भेज दीजिये। मैंने कहा, मैंने स्थगन-प्रस्ताव भेज रखा है वह सदन में आवेगा। उनकी लिस्ट मिलने वालों के लिए भेज देते हैं। लेकिन ये लोग काफी बड़ी तादाद में आये हैं और काफी दूर से चल कर आये हैं। सरकार को चाहिये कि मुख्य मन्त्रीजी जिनके पास कि यह विभाग है वे होते तो उनके पास जाते। जब वे यहां नहीं हैं तो गृह मंत्री को जाना चाहिये। वे बड़े दुखी लोग हैं, उनके पास जाकर आपको उन्हें संतोष दिलाना चाहिये। जिस समय कोई उद्घाटन करने का अवसर होता है उस समय आप उद्घाटन करने के लिये तो जाते ही हैं।

श्री मथुरादास माथुर : We have already said. The Hon'ble Member is making speech.

श्री हरिराम चौहान : १० कदम जाने में उनको कोई एतराज की बात नहीं होनी चाहिये। अगर नहीं जाते हैं तो आनेवाले विचार करेंगे कि सरकार हमारे खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष : उनको मिलना चाहिये सो तो वे मिल चुके हैं जैसा कि उन्होंने कहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे सैकड़ों मील से चल कर यहां आये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : गाड़ी से उतरते ही मैं उनसे मिलने गया था। मैंने कहा कि आप लोग पधारे हैं, आपका बड़ा स्वागत है। आपका डेप्यूटेशन मिलना चाहता है, मुख्य मन्त्रीजी से समय लेकर मिल लेना। मेरे से मिल कर क्या 'मिलणी' कराना चाहते हैं।

श्री हरिराम चौहान : मैं यह अर्ज करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि 'मिलणी' कराना चाहते हैं, यह....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं कि जो शब्द माननीय गृह मंत्री ने कहे हैं कि मेरे से मिल कर क्या 'मिलणी' कराना चाहते हैं, अनपार्लियामेंट्री हैं और उनको वापिस लेना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी कहा कि मैं उनसे मिल चुका हूँ; इसके बाद में क्या 'मिलणी' कराना चाहते हैं, ये 'मिलणी कराना चाहते हैं; अनपार्लियामेन्ट्री हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : What is meant by "मिलणी कराना चाहते हैं" ?

श्री कुमारानन्द : आपको उनसे मिलने में क्या एतराज है? हम भी चलते हैं और आप भी चलिये।

(व्यवधान एवं अनेक माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

(विराम)

Order ! Order !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, मैं इस बात को प्रेस करूंगा कि जो शब्द माननीय मंत्री ने कहे हैं कि क्या उनसे हमारी 'मिलणी कराना चाहते हैं,' मैं यह कहूंगा कि राजस्थानी भाषा में यह शब्द दोषित शब्द है और यह उनकी भावना के सूचक हैं कि किस तरह से वे इस बात को वेरी लाइटली (very lightly) लेना चाहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह तो आपकी भावना के सूचक हैं। मैं तो उनसे पहले ही मिल चुका हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप हमारे साथ चलें।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए और बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : Order please! Order !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आपको जानकारी करनी चाहिये और उनसे मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई बहस इस समय नहीं होगी ।

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री हरिराम चौहान : बहुत से आदमी इतनी दूर से चल कर आये हैं और ....

श्री अध्यक्ष : Order please ! Order !!

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, हम वैधानिक जानकारी चाहते हैं । मैं एडजोर्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूँ कि जब आपने फर्माया कि वे कल जवाब देंगे । माननीय मंत्री ने कहा कि हम तैयार नहीं हैं । हमें यह समझ में नहीं आया कि अब मुख्य मंत्रीजी ने पहले से ही इस सम्बन्ध में आश्वासन दे रखा है तो अब माननीय मंत्री महोदय को उस आश्वासन के आधार पर इतनी सी बात कह दें कि सरकार की तरफ से यह आश्वासन दे सकते हैं कि जो आश्वासन दिया गया है उसके मुताबिक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : आप इसको 'इतनी सी' बात समझते हैं । यही तो खास बात है । तो सोच-समझ कर ही कहना पड़ेगा । संभव है वे कल यही बात कह दें जो आज आप कहते हैं ।

श्री हरिराम चौहान : यह तो लाइटली लेने की बात है ।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री उनसे मिल चुके हैं, जैसा उन्होंने कहा है ....

(बहुत से माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

Order please ! order !! मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य नियमों के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं । वे अपना स्थान ग्रहण करें ।

Order please ! order !! Order please ! order !!

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्रीजी को उनकी भावना का आदर करना चाहिये....

श्री अध्यक्ष : मुझे इस पर खेद है । आपकी भावनाओं का आदर करते हैं और तभी तो यह बहस हुई है । आपको भी सदन की भावना और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिये....

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

Order Order ! please !!

(श्री हरिराम चौहान बोलने के लिये खड़े हुए)

Order please ! माननीय सदस्य श्री हरिराम, Order please !

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव के संबन्ध में यह स्पष्ट है कि जिस समय सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव आए, माननीय मंत्री उसका जवाब देंगे ....

एक माननीय सदस्य : कौन सा नियम है ?

श्री अध्यक्ष : ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

(व्यवधान)

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। Next Item.

श्री हरिराम चौहान : इतना तो कर सकते हैं कि उनसे जाकर मिल लें....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर हरिरामजी !! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरलीधर व्यास : जब इतनी दूर से लोग आये हैं तो....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री मुरलीधर व्यास : कम से कम उनसे मिल कर आश्वासन तो देना चाहिए........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर !! कृपया माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इतनी दूर से लोग आये हैं तो उनसे मिलने को जाना चाहिये। आप नहीं जाते तो हम उनसे मिलने जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा बहिर्गमन)

श्री मुरलीधर व्यास : जो लोग इतनी दूर से आये हैं, उनको कोई सुनवाई नहीं होती........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मुरलीधर व्यास : यह उनका अपमान है, इसलिये मैं वाक आउट करता हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इसके प्रोटेस्ट में हम वाक आउट करते हैं........

श्री अध्यक्ष ; ऑर्डर ! ऑर्डर !! गृहमन्त्री, श्री मथुरादास माथुर....

श्री रामकिशन (बैर) : यह तो होना चाहिये........

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आप बैठे रहिये, इनको जाने दीजिये।

(सर्वश्री रामानन्द अग्रवाल, कुमारानन्द, योगेन्द्रनाथ हांडा, मुरलीधर व्यास, हरिराम चौहान एवं श्योपतसिंह आदि द्वारा बहिर्गमन)

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !! Yes, Next item please.

सदन की मेज पर रखी गई अधिसूचना

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान हैबिचुअल ऑफेन्डर्स एक्ट, १९५३ की धारा ८ (४) के अन्तर्गत होम 'बी' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० १५ (१) होम। बी। बी० आर० २।६१ दिनांक ५ जनवरी, १९६२

Page No.39

(श्री मथुरादास माथुर)

जिसके द्वारा राजस्थान हैबिचुअल ऑफेन्डर्स रूल्स, १६५५ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): The voice is not audible, Sir.

सदन की मेज पर रखे गये प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम मिर्धा (सहकारी मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस (डेवेलपमेण्ट एण्ड वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन) एक्ट, १६५६ की धारा ४२ [६] के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जयपुर से सम्बन्धित निम्नांकित प्रतिवेदनों को सदन की मेज पर रखता हूँ :

(1) Audit Report, together with copies of Balance sheet and Profit and Loss account of the Rajasthan State Warehousing Corporation for the period ending 31 st March, 1959.

(2) Audit Report together with the copies of the Balance Sheet and Profit and Loss Acccout of the Rajassthan Warehousing Corporation for the year 59-60"

राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक, १६६२

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि विश्व विद्यालय विधेयक, १६६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का (असहमति पत्रों सहित) उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह !

जिला जैसलमेर के ग्राम मोढा मंडाई में पुलिस के अत्याचार सम्बन्धी अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

श्री फतहसिंह (चौहटन) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तारीख २० को तार आया था कि जैसलमेर जिले में ४ ढाणियों को पुलिस द्वारा जला दिया गया।

एक माननीय सदस्य : आप इसे पढ़ दीजिये।

श्री फतहसिंह : मैं फतहसिंह, सदस्य, विधान सभा, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत जिला जैसलमेर के ग्राम मोढा मंडाई में पुलिस द्वारा चार ढाणियां जला देने तथा एक बरात के कुछ व्यक्तियों को बन्दी कर लेने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गिरधारीलाल (आसींद) : सुनाई नहीं दिया, साहब !

(श्री फतेहसिंह ने पुनः पढ़ कर सुनाया)

श्री फतहसिंह : जब मैं····

श्री अध्यक्ष : आप पहले उत्तर सुन लें, फिर जो पूछना चाहें पूछ लें।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, इसमें दो मुद्दे रखे गये ; एक तो यह कि कुछ ढाणियां जलाई गईं।

(श्री मथुरादास माथुर)

जहां तक ढाणियों के जलाने का सम्बन्ध है मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह सूचना मिली, पुलिस को यह सूचना मिली कि डाकू अर्जुनसिंह गांव मोटा मंडाई, पुलिस स्टेशन फतहगढ़, डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर की एक ढाणी, जो श्री मेघसिंहजी की है, वहां पर छुपा हुआ है और वहां पर उसने मोर्चा लगाया है । इसके बाद पुलिस की ओर अर्जुनसिंह की मुठभेड़ हुई । दौराने मुठभेड़ । पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट उस ढाणी के पास तक पहुंच गये और उन्होंने उस ढाणी को जलाया जिसकी वजह से अर्जुनसिंह बाहर निकल आया और अर्जुनसिंह वहीं मारा गया। हमें इसके लिये खेद है कि हमें ढाणी जलानी पड़ी, पर जिस हालत में मोर्चा लिया गया था उसके लिये यह करना पड़ा। इसलिये मेघसिंहजी को ढाणी जलने की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसके लिये हमने हुक्म दिया है कि जितना नुकसान हुआ है, पुलिस विभाग से कम्पेन्सेट करेंगे । जहां तक एक ढाणी मेघसिंह की जलाने का सवाल है उसे में स्वीकार करता हूँ; और कोई ढाणियां नहीं जलाई गईं । मेरे पास भी तार आया था जिसमें चार ढाणियां जलाने का लिखा था, पर तीन और ढाणियां जलाने की बात निराधार है ।

दूसरा मुद्दा यह रखा गया कि कोई मैरेज पार्टी को रोका गया, गिरफ्तार किया गया १० आदमियों को; २ औरतें भी थीं, यह बात गलत है ।

हमें यह सूचना मिली थी कि डेकोइट नगसिंह माडे गेंग का है उनके पुत्र की कोरणा, पुलिस स्टेशन सिणदरी बाडमेर डिस्ट्रिक्ट में शादी होने वाली है, वहां बरात में डकैत लोग आने वाले हैं । इस तरह की सूचना मिलने पर पुलिस पार्टी बरात में भेजी गई । वहां जाकर देखा कि जिन डाकुओं की खोज में पुलिस थी वे आये ही नहीं, वे वहां नहीं मिले । नगसिंह के लड़के की शादी का जिक्र है उस वक्त तो नगसिंह नहीं मिला, पर बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया । महिलाओं और बरात के लोगों को गिरफ्तार करने की बात बिल्कुल निराधार है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : गिरफ्तार कहां किया गया बरात में ?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं, और जगह ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेघसिंह की ढाणी जलाने से पहले क्या पुलिस ने जांच कर ली थी कि उस ढाणी में उस डाकू के अलावा और कोई रहने वाला नहीं है ?

श्री मथुरादास माथुर : वहां पर डकैत ने मोर्चा लगा कर पुलिस पर फायर करना शुरू किया, पुलिस ने भी फायरिंग का जवाब दिया और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ने अपनी जिन्दगी को रिस्क में डाल कर ढाणी के पीछे जाकर आग लगाई । आग लगाते ही अर्जुनसिंह बाहर आया । ढाणी में किसी की जान की क्षति नहीं हुई, न इन्सान का और न पशु का नुकसान हुआ; हां कपड़े, अस्बाब धान वगैरह था वह जल गया ।

श्री भैरोंसिंह : क्वेश्चन यह नहीं, पुलिस ने आग लगाई....

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह ।

श्री फतहसिंह : आपने जो कुछ फरमाया है उसमें केवल एक आने भर जरूर सही है बाकी सब बात बनाई हुई है । आपके कहने का ढंग ऐसा है जिससे भले ही ऐसा मालूम पड़े कि आपने सही कहा है । मिनिस्टर साहब मेले में पधारे थे....

श्री मथुरादास माथुर : Sir, I am not able to follow him at all.

श्री फतहसिंह : मैं डिटेल्स में सब बातें कहूंगा ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : जोर से कहें ताकि समझ में आवे ।

श्री फतहसिंह : मिनिस्टर साहब ७-८ अप्रेल को तिलवाड़ा मेले में पधारे थे, वहां पर कांग्रेसी भी गये और उन्हें पूछा कि तुम्हारे हारने का क्या कारण है ? उन्होंने कहा कि हमारी हार का कारण डकैत लोग घूमते हैं वे हैं, नहीं तो जीत जाते । उन्होंने पूछा कि डकैतों का क्या प्रबन्ध करें तो कहा कि गवर्नमेंट का ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगा दिया जाय । इससे लोगों में आपस में फूट हो गई । पाली, नागौर, सोजत, बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और जालौर की पुलिस और बोर्डर की आर.ए.सी. के दो ढाई हजार आदमी भेज दिये गये । भेजने के बाद एक डकैत अर्जुनसिंह मारा गया । जलकर और खुद गोली खाकर वह डकैत मरा है न कि पुलिस की गोली से वह मारा गया है । पुलिस की गोली से नहीं मारा गया है, घेरे में जरूर आ गया था । दूसरे लोगों के साथ जो जुल्म हुए हैं वे भी मैं वर्णन करूंगा । ग्राम भीयासर के अन्दर करीब ४०० मन गेहूँ का खलिहान था एक कुम्हार का उसको पुलिस ने जला दिया । उस व्यक्ति ने गवर्नमेंट से लोन लेकर, बीज लाकर खेती की थी । कलेक्टर साहब के पास केस भी गया है । दूसरे मुसलमानों के खलिहान थे वे भी उन्होंने जलाये हैं । मंडाई के अन्दर गोपालसिंह का खलिहान था वह ४०० मन के करीब था । उसकी ढाणी जला दी गई, मकान के किंवाड़ वगैरह तोड़े गये और मकान का एक हिस्सा गिरा दिया गया । डकैत चन्दनसिंह का भाई है सज्जनसिंह । ४०-५० हजार का मकान गवर्नमेन्ट ने कुर्क किया था और उसके भाई सज्जनसिंह को डिक्री मिल गई और सहजसिंह को मालिक बना दिया गया ।

गांव मोटा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । सरे आम महाजनों को, बनियों को, राजपूतों को, ब्राह्मणों को, पुलिस वालों ने बुरी तरह से मारा है । श्री नखसिंह के बड़े भाई को बुरी तरह से बन्दूकों के कुन्दों से मारा है । श्री तेजसिंह की बारात करनी (बाड़मेर) गई थी वहां शादी होने वाली थी । तो जब लड़का और लड़की चंवरी में बैठे हुए थे तो पुलिस वालों ने लड़के और लड़की को चंवरी में से उठा दिया और लड़के को गिरफ्तार कर लिया । कहा यह गया कि इस लड़के को लड़की ब्याहोगे तो इसको गिरफ्तार करेंगे । लड़की उनको ब्याही नहीं जा सकी और इस कारण से वह शादी रुक गई । बरातियों को बुरी तरह से मारा गया । ऐसी हरकतें हुई हैं । कुएं वहां जोतने नहीं दिये गये, पानी नहीं पिलाने दिया, मवेशी को मार दिया । कई लोग बीमार पड़ गये । पुलिस घूम रही थी । जो आदमी मिला उसको पकड़ा, मारा । रास्ते चलते हुए लोगों

(श्री फतहसिंह)

को मारा । एक तरह से मार्शल लॉ लागू कर रखा था ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : हमारे तो अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है । आवाज ही नहीं आ रही है ।

श्री फतहसिंह : मवेशी कुछ मरी हैं । ऐसी बात नहीं है कि नहीं मरी हैं । उस लड़के के गहना डला हुआ था तो उसके ऊपर पुलिस वालों ने यह आरोप लगाया कि यह गहना तो राज्यावास की डकैती का गहना है और उसके लड़के को फंसाया जा रहा है । मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूं कि इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : और कोई बाकी रह गई हो तो कहें ।

श्री भैरोंसिंह : घोर अन्याय हुआ है ।

श्री फतहसिंह : आतेरा में मुसलमानों की बस्ती है ! उनकी ढाणियों को जलाया । दो औरतों को पकड़ कर ले गये । गांव जिन जिनयाली के अन्दर घर जलाये गये हैं । बिना कसूर लोगों को मोटर में डाल कर ले गये । बनिये, राजपूत, नाई वगैरह सब कौमों को बुरी तरह से पीटा गया ।

गांव दूदूड़ा, तहसील शिव जिला बाड़मेर में पुलिस गयी और वहां सरदारसिंह के घर के रोजाना खाने-पीने के बर्तन थे उनको तोड़ दिया और उसके भाई सुजानसिंह को पकड़ा और उसका बोरा व पखाल उठा कर ले गये ।

गांव करना जिला बाड़मेर में २ जागीरदारों के खलिहान थे करीब ४०० मन के, उनको जला दिया और उनको पकड़ कर पुलिस ले गई । पता नहीं, उनका क्या हुआ ? नत्थीसिंह डकैत है वह मारा गया है । उसका वर्णन नहीं किया गया है इसलिए कि पुलिस वालों को तरक्की मिलने में घोटाला पड़ जाता है । एक जाट ने उस डकैत को शराब में जहर मिलाकर मारा । इसकी इत्तला दी गई । पुलिस आती है, मोटर में उसकी बोडी को डाला जाता है और पुलिस कहती है कि इसको हमने मारा है । उसकी मूछें मेंग लगा कर करड़ी की गई ।

एस० पी० बनने वाले हैं ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : आई विटनेस हैं या केवल इन्फोर्मेशन है ?

श्री फतहसिंह : आई विटनेस होती है तब ही इन्फोर्मेशन आती है ।

श्री मानसिंह महार : होम मिनिस्टर भी क्या यह देख कर आये हैं कि एक ही ढाणी जलाई गई है ।

श्री भैरोंसिंह : एक इन्फोर्मेशन मंत्री महोदय से चाहूंगा कि जिसकी शादी होने का जिक्र आपने भी किया है तो आप कहते हैं कि किसी आदमी या औरत को गिरफ्तार नहीं किया तो वह शादी हुई थी या नहीं, यह बता दीजिये ?

श्री मथुरादास माथुर : I am not concerned शादी हुई थी या नहीं, इसका

(श्री मथुरादास माथुर)

मुझे पता नहीं है । मुझे सुचना यह थी कि बरात में डकैत आने वाले थे, यह भी सूचना थी कि वे आये नहीं । अब शादी हुई या नहीं हुई, यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता है । शादी में जो रिश्तेदार आने वाले थे वे नहीं आये होंगे इसलिए शादी नहीं हुई होगी । बहरहाल मैं नहीं जानता कि शादी क्यों नहीं हुई ? मेरे सामने केवल दो प्रश्न थे । शादी होने वाली थी, बरात आयी, उसमें डाकू भी आने वाले थे, चुनान्चे पुलिस पार्टी गई, डाकू आये नहीं और कहा गया कि आदमियों को गिरफ्तार किया गया और दो औरतों को भी । मैंने कहा कि किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया । दूसरा प्रश्न यह था कि ढाणी जलाई गई या नहीं । मैंने बताया कि १ ढाणी जलाई गई और दो–तीन ढाणियों नहीं जलाई गईं । १ ढाणी जलाई गई उसका कम्पेन्सेशन हम देने के लिये तैयार हैं । श्री मेघसिंह की ढाणी जलाई गई थी अर्जुन-सिंह के सिलसिले में । बाकी जो आपने भाषण दिया उसको मैं कुछ समझ नहीं सका, क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आई । मैंने आपको पहले कहा था, पूरे पाकिस्तान बोर्डर पर डकैतों को गिरफ्तार करने के लिए तेजी से ओपरेशन्स चल रहे हैं । मुठ-भेड़ हो जाती है । कई डाकुओं को शेल्टर देते हैं । माननीय सदस्य को मालूम है और मुझे भी मालूम है, सहर के रहने वालों को भी मालूम है । जब इस सिलसिले में पुलिस इन्टरोगेट करती है तो यह एक स्वाभाविक चीज है कि या तो डकैत मरवा लीजिए या एतराज कर लीजिये ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह कोई जवाब देने का तरीका नहीं है कि डकैत मरवा लीजिये या एतराज कर लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : यह कोई तरीका नहीं है । सवाल यह था कि बरात के लोगों को गिरफ्तार किया गया था या नहीं ? आप कहते हैं कि नहीं किया गया । माननीय सदस्य ने कहा है कि जब फेरे हो रहे थे तो उस समय लड़के और लड़की दोनों को उठाकर पुलिस ले गई और उनके फेरे नहीं होने दिये । पुलिस की एट्रोसिटीज़ के कारण वह शादी नहीं हो सकी, यह स्पष्ट है; क्योंकि यह सम्भव नहीं है और हिन्दू संस्कृति में कहीं भी यह सम्भव नहीं है कि जब लड़का और लड़की चंवरी में बैठ जायं तो वह शादी न हो । इस प्रकार पुलिस जबरदस्ती बाधा उपस्थित करे और शादी न होने दे । साथ ही साथ इस प्रकार जो पुलिस की एट्रोसिटीज़ दिन–रात हो रही हैं सरकार इस सम्बन्ध में जांच करे । आप कहते है, डकैतों को मारने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं । लेकिन क्या एक डाकू को मारने के लिए इस प्रकार दुनियां भर में आतंक और अत्याचार फैलायें ? इस प्रकार के अधिकार अपनी नामवरी के लिए लेना चाहते हैं जो जनता के हित में उचित नहीं है और जो जो चार्जेज़ पुलिस विभाग पर लगाये गये हैं उनकी माननीय गृह मन्त्रीजी जांच करें, यह जनता के हित में होगा । शादी रोक दी गई है, इन पुलिस एट्रोसिटीज़ के कारण, इसकी भी जांच होनी चाहिये । एक बात और कह दूं कि जिस डाकू को झोंपड़ी में जलाया गया था, उसकी बोडी इतनी जल गई थी कि उसकी शनाख्तगी पूरी तरह से नहीं हुई है और पुलिस में भी यह डिस्प्यूट बना हुआ

Page No.44

(श्री भैरोंसिंह)

है कि यह बॉडी अर्जुनसिंह की है या नहीं उस बोडी के बारे में भी जांच कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव में जो सूचना के लिये बातें रखी गई थीं उनके बारे में पूरी जांच कर ली गई है और जांच करने के बाद ही मैंने माननीय सदस्यों के सामने उत्तर रखा है। शादी में गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई। अब शादी हुई या नहीं या शादी किस कारण रुकी, यह जानकारी आप चाहें तो मैं करके फिर बता सकता हूं। मैं समझता हूं, शायद शादी इसलिए भी नहीं हो रही है कि उनके रिश्तेदार डकैत हैं और जो शादी में आना चाहते थे वे नहीं आ सके।

श्री भैरोंसिंह : इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ मत लीजिये।

श्री मथुरादास माथुर : इस वजह से शादी नहीं हो पायी हो। फिर भी आप चाहें तो आपको इसके बाद जानकारी दे सकता हूं कि क्यों शादी रुकी, लेकिन जहां तक पुलिस का सवाल है पुलिस के कारण शादी नहीं रुकी....

श्री भैरोंसिंह : यह आप बिना जांच किये कैसे कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : भिन्न भिन्न माननीय सदस्यों ने जो जानकारी दी है उसकी आप जांच कर लें।

श्री मथुरादास माथुर : प्रस्ताव में जो दो बातें रखी गई थीं उनकी जानकारी करके मैंने उत्तर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : फिर भी जो माननीय सदस्य कहते हैं उनकी जानकारी करके उचित कार्यवाही करें।

महारावल श्री हुकमसिंह (जैसलमेर) : Mr. Speaker, Sir, I will request that the District Magistrate should enquire into the matter about the burning of wheat. The fact remains that the wheat was burnt by the Police. I shall, therefore, request the Home Minister that the enquiry should be conducted through the Police.

श्री अध्यक्ष : वे खुद स्वीकार करते हैं कि धान जला है।

श्री मानसिंह महार : खलिहान में जो धान जलाया गया है उसके लिये इन्कार किया है।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास चार ढाणियों के जलाने के बारे में जो सूचना दी गई उसके लिये मैंने जानकारी की कि चार ढाणियें नहीं एक ढाणी जली है, मेघसिंह की ढाणी के लिये कम्पेन्सेशन दे रहे हैं।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : इसकी जांच कराने के लिये आप किसी मजिस्ट्रेट को नियुक्त क्यों नहीं करते ?

श्री मानसिंह महार : गृह मंत्री यह किस आधार पर कहते हैं कि एक ही ढाणी जली है ?

श्री अध्यक्ष : Order ! Order !! Rajasthan Finance Bill.

राजस्थान वित्त विधेयक १६६२
(खण्डश: विचार--विमर्श एवं पारित)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स बिल पर जो बहस हो रही है उसके विरोध स्वरुप मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसमें जो करों के लिये प्रावधान किया गया है उसके लिये मैं विरोध कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिये कि यह सरकार एक प्रजातन्त्रीय सरकार है, इसीलिए इसको हमेशा पब्लिक का हित ध्यान में रखकर चलना चाहिये उनकी सहूलियतों का ध्यान रखना चाहिये। हमारी सरकार बिलकुल इसके विपरीत आचरण कर रही है, उसकी विचारधारा, उसकी कार्य-प्रणाली सभी इसके विपरीत है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी तरह से हम उन गरीबों की जेब से पैसा निकालें, बिना उनकी मर्जी या स्वीकृति के। हम उनकी जेब से कानून के द्वारा पैसा निकालें, और उसके बदले उनको सहूलियतें कितनी देते हैं, यह ध्यान नहीं रखते। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, खास तौर से माननीय वित मंत्री महोदय से, आप जो यह टैक्स भूखी जनता पर लगा रहे हैं और उन सारे टैक्सों से आप अपने बजट की कमी को पूरा कर रहे हैं, जिस बजट में उन गरीबों के लिये कोई खास प्रावधान नहीं; आप जो भी बजट बनाते है अपने दृष्टिकोण से बनाते हैं और अपनी सहूलियत के अनुसार बनाते है जिससे आप आराम से रह सकें, जिसमें आराम की बातों को प्रधानता देते है लेकिन यह नहीं सोचते कि इस प्रजातन्त्र के युग में हम हमारी मनमानी न करके प्रजा की क्या विचारधारा है उसको मद्देनजर रखना है। इस सम्बन्ध में मैं कहूं कि इस गरीब प्रजा से आप ८० प्रतिशत टैक्स लेते हैं उसके रिटर्न में उसे मिलता क्या है; उनके जानमाल की रक्षा का इन्तजाम नहीं, चोरी डाकेजनी, जहां पुलिस की अव्यवस्था, दवाई के बदले में पानी, सस्ती और अच्छी शिक्षा के बजाय महंगी और निकम्मी शिक्षा, दूध के बजाय पाउडर, घी की बजाय डालडा। रिश्वतखोरी, भूखमरी, बेरोजगारी! इस टैक्स के बदले में आप जनता को ये देते हैं। क्या आप जनता को ये देते हैं। क्या आप इस विचारधारा को सही मानते है? क्या इसीको प्रजातन्त्र कहते हैं, क्या इसी तरह से समाजवाद चलेगा? आज आपकी कोठियों का, दफ्तरों का हजारों और लाखों का बजट ऐसा है जिसके बिना भी आसानी से काम चलाया जा सकता है। लेकिन आपको अपने आराम में, फिजूल खर्चों में किंचितमात्र भी कमी करना पसन्द नहीं। उस कमी को उन लोगों से वसूल करना चाहते हैं जो बेचारे आधे भूखे रहते हैं शरीर पर जिनके पूरा कपड़ा नहीं, फिर हमारे माननीय मंत्री महोदय जो प्रजातन्त्र के चोले में अप्रजातंत्र की भावना रखते हैं वे उस जनता से उम्मीद करते हैं कि जनता त्याग करे बलिदान करे। इस प्रकार से जनता का आह्वान करते हैं। आखिर उन लोगों से आप क्या बलिदान कराना चाहते हैं? हमारी इस प्रजातन्त्रीय सरकार ने गत चौदह वर्षों में उनके पास छोड़ा ही क्या है जो आप उनसे त्याग-बलिदान की उम्मीद करते हैं? मैं स्पष्ट कहूँगा, यह सरकार अपने मनमानी ढंग से जनता पर टेक्स लगाती है यह इस सरकार का सोचना कतई गलत है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिये, इस पर फिर से सोचना चाहिये। मैं कहूँगा उन माननीय

(श्री जयनारायण सालोदिया)

सदस्य से जिन्होंने ट्रेजरी बेन्च से यह कहा था कि विरोधी दल का एक ही लक्ष्य है कि वह किसी भी बात का विरोध करे। वे बिलकुल उल्टा कह गये सदस्यों की मान्यता है पब्लिक की मान्यता है सरकार वैसा न करके वही करती है जो उसके जचता है। वाजिब बात भी अगर विरोधी बैंच की तरफ से कही जाय तो भी सरकार उस पर विचार करने के लिये तैयार नहीं। ऐसी सरकार जो इस तरह की नीति इस तरह का दिमाग रखती है, अपनी विचारधारा रखती है वह सरकार इस युग में चलने वाली नहीं। पब्लिक आज निद्रित अवस्था में नहीं, जनता आज आपकी एक्टीविटीज़ को अच्छी तरह से देखती है।

आप चाहे यहां बैठकर कानून के द्वारा उनकी जेबें काट सकते हैं, लेकिन जनता आपको यह सबक सिखाने वाली है जो आपसे यह कानून बनाने का अधिकार छिन जावेगा और आप फिर इन ऐशो-आराम से महरूम हो जावेंगे।

इसलिये मैं सरकार से कर-बद्ध प्रार्थना करता हूं, हमारे नये वित्त मन्त्री महोदय से खास तौर से निवेदन करता हूं कि वे दामन में यह धब्बा न लगाएं। आप खाद्यान्न पर भी टैक्स लगाये जा रहे हैं जिस पर आजतक किसी वित्तमन्त्री ने नहीं लगाया।

चना गरीबों का खास खाद्य है। उस पर अगर आप टैक्स लगाते है तो मैं पूछना चाहूंगा वित्तमन्त्री महोदय से कि आपने गेहूं पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? तो इसका उत्तर भी स्पष्ट है। गेहूं बड़े लोगों के खाने में आने वाली चीज है। आपको भी रोज इससे दो टाइम काम पड़ता है। पर चने से आपको मतलब नहीं, क्योंकि वह आपका खाद्यान्न नहीं है, बड़े लोगों का खाद्यान्न नहीं है, उसका बोझा गरीबों पर पड़ने वाला है।

तो मैं आपसे यह करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि चने जैसे खाद्यान्न पर जो गरीब जनता का खास खाद्य पदार्थ है इस पर तो आप मेहरबानी करके टैक्स को बिलकुल कम कर दीजिये, या बिलकुल हटा दीजिये; खाद्यान्न पर तो टैक्स लगाना ही नहीं चाहिये। ऐसी नीति तो हमारी सरकार की होनी ही नहीं चाहिये। जैसा कल किसी माननीय सदस्य ने कहा कि चने से भूंगडा बनता है और जिन गरीबों के पास कोई और आधार नहीं रहता है वह भूंगड़े खाकर अपना जीवन-निर्वाह करता है, क्या आप पसन्द करेंगे कि वह भी महंगी हो जाय और उस पर आश्रित रहने वाले को भी दिक्कत आवे। आप उसको भूखा मारना चाहते हैं, उसका यह भूंगडा भी छीनना चाहते हैं। आप क्या उसको मजबूर करना चाहते हैं कि वह भूखों मरे? क्या यही सरकार की नीति है?

आपको पैसा ही चाहिये। आपको विकास के कामों के लिये धन चाहिये। इसे आप और तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं। और तरीकों से उसे बचा सकते हैं, आपका आज जितना वेस्ट होता है, आप उस तरफ तो देखिये। आप अगर इस ओर भी पूरा गौर करें तो आपको आधे से अधिक टैक्स लगाने की तो यों ही आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं बताऊं आपको; मैं सेक्रेटरियट में गया किसी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

काम से। वहां मैंने देखा कि आप अपने को धूप से बचाने के लिये खस की टाटियों से घेरा डालकर बचाते है और अनाप शनाप उस पर पानी डाल रहे हैं। पानी इतना वेस्ट जाता है कि आस पास से निकलना दूभर हो जाता है, चारों ओर कीचड़ हो गया है। बेचारे गरीब किसान मजदूर और निर्धन से, जिससे आप ८० प्रतिशत आपके खजाने का पैसा वसूल करते है टैक्सों के द्वारा, वह तो धूप में नंगा खड़ा अपनी आजीविका कमाने के लिये जी तोड़ मेहनत करता है, तो फिर आप में कौन सी ऐसी विशेष बात है, आपके शरीर में ऐसे कौनसे उससे विशिष्ट पुर्जे हैं कि आप खस और पानी के बिना काम नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी यह सरकार खस और पानी का भी पैसा कम कर दे और राजस्थान के तमाम दफ्तरों का खस पानी का पैसा कम कर दे, तो इससे उन दफ्तरों का काम रुकने वाला नहीं है और उधर फिर आपको जो बचत होगी, उससे इस तरह के खाद्यान्नों पर टैक्स लगाने की नौबत भी नहीं आएगी। पर कम क्यों कर दें ? बहुत पैसा मिलता है इस सरकार को जनता की गाढी कमाई का ! बहुत पैसा इनके पास इकट्ठा हुआ है और उन गरीबों से मिला है जिनकी विचारों की आवाज यहां तक नहीं पहुंच सकती ! जो बोल नहीं सकते, उन मूक आदमियों से पैसा हासिल करके आप अपने ऐशो आराम में उसे खर्च करते है ! पानी की हालत जयपुर में देखते हैं। नलों पर सुबह चार बजे से दस बजे तक लाइनें लगी रहती हैं। पानी पीने के लिये उनको बड़ी मुश्किल से नसीब होता है, और दूसरी तरफ सेक्रेटरियट में इतना पानी वेस्ट होता है कि वहां कीचड़ मच जाता है, चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। तो यह कैसा आपका समाजवाद है। और कैसी आपकी यह नीति है और रवैया है ! कैसा आपका सोचने का तरीका है ! एक तरफ लोग भूंगडे और पानी के लिये तरस रहे हैं, अधनंगे खड़े है, टैक्स लगा लगा कर एक तरफ आपने लोगों को भूखों मरने की नौबत ला दी हैं, दूसरी तरफ आप अपने ऐशो आराम के लिये लाखों रुपया वेस्टेज में उड़ा देते है। तो यह कोई नीति समाजवाद की नहीं है।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि जिनका असर गरीबों के खाद्यान्नों पर पड़ता है उन टैक्सो को आप हटा दीजिये, नहीं तो हम इसका घोर विरोध करेंगे, पब्लिक भी करेगी। जिन के वोटों पर चुनकर आप यहां आये हैं और इतने ऐशो आराम की कुर्सी पर आसीन हुए हैं आपको उस पब्लिक का ध्यान रखना चाहिये। पर आप इससे उल्टा कर रहे हैं। इसका परिणाम आपको भी भोगना होगा, आप बच नहीं सकेंगे। तो इसलिये मैं फिर प्रार्थना करूंगा कि आप इस टैक्स को हटा लेंगे। अपना दिमाग ठीक करेंगे और सोच विचार करके इसका अच्छा निर्णय अपने उत्तर में देंगे। मैं इस आशा के साथ और इस विचारधारा के साथ इस बात को कहकर और इस टैक्स का घोर विरोध करते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय....

Page No.48

श्री अध्यक्ष : मैं सूचित कर दूं कि ११ बजे तक यह बहस चलेगी और इसके पश्चात् सरकारी पक्ष की ओर से इसका उत्तर दिया जावेगा। इसके तुरन्त पश्चात् इस पर मतदान होगा।

इसके बाद में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) बिल, १९६२ पर विचार होगा और आज की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व इस पर भी मतदान होकर इसको भी समाप्त कर दिया जावेगा।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, कल आश्वासन दिया गया था कि....

श्री अध्यक्ष : क्या आश्वासन दिया गया था ?

श्री हरिराम चौहान : कि कल सब लोगों को बोलने का मौका दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : आप बोलना चाहें तो बोल लीजिये। इनके पश्चात् आप बोल लीजिये।

श्री हरिराम चौहान : पांच-सात बोलेंगे, साहब।

श्री अध्यक्ष : बोलेंगे तो एक ही बार में, सब साथ तो बोलेंगे नहीं।

(विराम)

श्रीमती नगेन्द्रबाला।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार वास्तव में अभी बोलने का नहीं था, पर पांच-चार बातें सदन में ऐसी आईं कि उनसे मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बोलना चाहिये।

अभी एक माननीय सदस्य ने सदन में विचार प्रकट किया कि विरोधी दल की ओर से जितने भी सुझाव दिये जाते हैं चाहे वे ठीक भी हों अथवा उनकी जो भावनाएं हैं उनका आदर नहीं किया जाता सरकारी पक्ष की ओर से। मैं निवेदन कर देना चाहती हूं कि ऐसी बात कतई नहीं है। ट्रेज़री बैंचों की तरफ वाले सभी सदस्यों ने हमेशा उनके ठीक सुझावों का और उनकी भावनाओं का ख्याल रखा है और हमेशा सहयोग की भावना से काम किया है।

जहां तक करों का प्रश्न है इससे पूर्व भी यहां यह प्रश्न उठा था और आपको भी ज्ञात होगा कि पशु धन पर टैक्स लगाया गया था। तो उसका आपने और इस ओर बैठने वाले ट्रेज़री बैंचों वाले सदस्यों ने भी विरोध किया था और सबने उसका समान विरोध किया था और सभी ने यह महसूस किया था कि इससे ग्रामीण जनता को नुकसान होने वाला है, उनको बहुत दिक्कतें और अशान्ति होने वाली है और इस पर आपको यह भी मालूम है कि इसके जवाब में वह कर हटा लिया गया था।

चांदी पर टैक्स का प्रश्न आया इस पर भी प्रश्न उठा। विरोध हुआ। हमने भी यह महसूस किया कि नहीं यह अनुचित है। खास तौर से उस गरीब जनता को जिसे सोना पहिनने को नहीं मिलता और जो चांदी से अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो उन पर अधिक बोझा नहीं डाला जाना चाहिये और उस पर से भी वह कर कम किया गया। तो यह बात नहीं है कि कर केवल इसलिये लगाये जा रहे

Page No.49

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

हैं कि मन्त्री महोदय की कोई बात हो जिसे वे जबरन मनवाना चाह रहे हों।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : चने के टैक्स से किस पर असर पड़ेगा ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं यह नहीं कह रही हूँ कि इस पर टैक्स लगाया जावे। केवल इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि आप यह निश्चित मानकर चलिये कि जो हमारी सरकार है वह इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखती है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दी जावें और कम से कम करों का बोझा उस पर डाला जावे।

पर साथ ही मैं यह निवेदन कर दूं कि आज सवाल हमारे सामने इन्हीं लोगों के डेवलपमेन्ट का है, राजस्थान के विकास का है। यह हमें करना है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिये यह नहीं हो सकता कि करों का हम विरोध ही करें, कर लगने ही नहीं चाहिये। हम मानते हैं कि बिना कर सरकार को धन नहीं मिलने का है और बिना धन हमारे विकास के काम नहीं चलने वाले है। पर साथ ही हम यह भी मानते हैं कि कर ऐसे रहने चाहिये कि गरीब जनता का ज्यादा नुकसान न हो। इस तरह से कर लगने चाहिये कि बढ़ते बढ़ते इतने न बढ़ जावें कि निम्न श्रेणी उसका भार वहन ही न कर सके। मैं यह नहीं कहना चाहती कि चने पर लगे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। इससे गरीब जनता को दुख होता है तो हमारी भी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं और यह भी विश्वास रखें कि अगर यह चीज वास्तव में इतनी दिक्कत करने वाली है और इससे इतना कनफ्यूज़न है, इतना असर करने वाली है तो मन्त्री महोदय सोच-विचार कर ही इसका उत्तर देने वाले हैं। पर बार बार यह प्रश्न उठता है, भावनाएं उभाड़ी जाती हैं कि हम अपनी किन्हीं गलतियों पर परदा डालने जा रहे हैं। तो मैं स्पष्ट निवेदन कर दूं कि हम हमारी गलतियों पर किसी तरह का कोई पर्दा नहीं डालना चाहते। आपने यह देखा होगा कि जब जब इस तरह के प्रश्न आये हैं हमने खुद ने भी उसका विरोध किया है।

तो मैं केवल इतना सा विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप इतना मानकर न चलें कि हम ऐसे प्रश्नों पर आपके साथ मिल कर नहीं चलना चाहते। हम तो स्वयं भी निवेदन करते हैं कि विकास के कार्यों में जो भी व्यय किया जा रहा है उसका भी दुरुपयोग न हो। इसका अच्छा रिटर्न मिलेगा।

पर करों के बारे में आपको भी यह मान कर चलना पड़ेगा कि विकास के लिए कर लगाना बहुत जरूरी है। अब कर किस तरह के लगने चाहिये जिससे गरीब जनता पर बुरा असर न पड़े, इसका हम भी उतना ही ख्याल रखना चाहते हैं, जितना आप। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री हरिशंकर (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपने घाटे की पूर्ति नये नये कर लगा कर और पुराने करों में वृद्धि करके की है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि करों की वसूली में जितनी भी अनियमिततायें सरकार की ओर से हो जाती हैं उनके कारण यह घाटे का बजट आता है।

Page No.50

(श्री हरिशंकर)

मैं निवेदन करूंगा कि जैसे पैसेंजर टैक्स है उसके बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। आज कल पैसेंजर टैक्स में अधिकतर चोरियां होती हैं; जैसे प्राइवेट बसों के मालिक अपनी गाड़ियों में अनापशनाप सवारियां भरते हैं। एक तो वह टिकट नहीं काटते और यदि काटते भी हैं तो उनके पास टिकटों की डुप्लीकेट कॉपी होती है। एक तो वह है जिससे वह हिसाब प्रस्तुत करते हैं और दूसरी वह है कि जिससे पैसेंजर्स को टिकट बेचते हैं। जो प्रस्तुत करने वाली कॉपी है उसको हिफाजत से अपने घर पर रखते हैं और दूसरी कॉपी से टिकट बेचा करते हैं। उसमें कम से कम टैक्स देने की नीयत से दूसरी कॉपी को प्रस्तुत करते हैं। इसकी रोकथाम के लिये, जैसा कल निवेदन किया गया था कि हमें पंजाब का अनुकरण करना चाहिये। पंजाब में रेवेन्यू स्टैम्प्स जो बेचे जाते हैं वह बस मालिकों को बेचे जाते हैं और उन रेवेन्यू स्टैम्प्स को टिकट पर लगाया जाता है। इससे कम से कम टैक्स की तो चोरी नहीं हो सकेगी। इन चोरियों को करने में सबसे बड़ा सहयोग पुलिस विभाग का है या मैं कह सकता हूं कि सरकारी कर्मचारियों का है जो कि बगैर टिकट, बगैर टैक्स दिये हुए बसों में ट्रेवल करते हैं। इसका प्रबंध अवश्य किया जाना चाहिए जिससे कम से कम टैक्स की तो चोरियां न हों।

(१०.०२ म० पू०)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

दूसरी बात मैं निवेदन कर दूं कि अभी एक सदस्या महोदया ने बात कही थी कि सरकार के सामने बड़ी स्कीमों की पूर्ति के लिए पैसे की समस्या है और वह पूर्ति टैक्स वसूल करने से होगी। उसके बारे में मैं अर्ज कर दूं कि पी० डब्ल्यू० डी० विभाग धौलपुर के बारे में कहना चाहूंगा कि वहां पर सेपऊ से बसाई नवाब एक सड़क है उसका ७ मील लम्बा कच्चा रास्ता पड़ा हुआ है। इसकी योजना सरकार के पास ३ वर्ष से पड़ी है और वह पूरी नहीं हो पा रही है। उसका कारण सरकार का पैसा फेंकना है। सरकार उसकी पूर्ति के लिए पैसा नहीं देना चाहती है बल्कि सरकार पैसा फेंक रही है। मैं निवेदन करूंगा कि उस कच्चे रास्ते की चौड़ाई २० फुट की है और उसके सहारे सहारे सड़क ७ मील लंबी बनाई जा रही है, कच्चा रास्ता वहां बना हुआ है। यदि उस रास्ते पर ही सड़क को बना देते तो एक तो किसानों के खेत नहीं लेने पड़ते और उनको कम्पेन्सेशन का पैसा भी सरकार को नहीं देना पड़ता........

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : सभापति महोदय, मैंने यह निवेदन किया है कि करों के बगैर विकास नहीं हो सकता। लेकिन साथ ही यह भी निवेदन किया है कि जनता उसका सदुपयोग देखना चाहती है। मेरी विचारधारा को गलत न समझें।

श्री हरिशंकर : मेरे कहने का मतलब यह है कि उसमें दुरुपयोग होता है, मेरा मतलब आपको क्रिटिसाइज़ करना नहीं है।....

श्री रामकिशन (वैर) : आपका तो समर्थन हो रहा है।

श्री हरिशंकर : तीसरी बात मैं निवेदन करूं कि सरकार किस प्रकार से इस टैक्स की

(श्री हरिशंकर)

वसूली में बाधक है । ग्लास फैक्ट्री धौलपुर का मैं जिक्र करूंगा । वह फैक्ट्री जब से खुली है उसने कोई चुंगी नहीं दी । बाहर से माल आता है और वह उसके ऊपर चुंगी नहीं देते और वह चुंगी की रकम चार-पांच लाख के करीब जुड़ती है....

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न है कि जब माननीय सदस्य बोल रहे हों तो ट्रेज़री बेन्चेज़ में कोई न कोई मंत्री तो होना चाहिए । वित्त मंत्री भी नहीं है ।

(वित्त मंत्री महोदय, का सदन में पदार्पण)

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): This is against the predence and the traditions of the House.

श्री हरिशंकर : ग्लास फैक्ट्री के बारे में कह रहा था कि उसके ऊपर चुंगी का करीब लाखों रुपया है, उसके लिए वहां की नगर-पालिका द्वारा सरकार को लिखा गया था कि इसकी वसूली हमें करने दी जाये, लेकिन यहां से आदेश हुआ कि उनसे कोई चुंगी वसूल नहीं की जाये । उस पर नगरपालिका ने हाई-कोर्ट में अपील की है और उसको भी शायद सरकार डिफेण्ड करना चाहती है । एक ओर तो सरकार कर बढ़ाती जा रही है और दूसरी ओर इतनी बड़ी फैक्ट्री से कर वसूल नहीं करने देना चाहती है । मैं समझता हूं कि यह बहुत ही दुःखदायी परिस्थिति है....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय सदस्य को मालूम है कि चुंगी से और इन टैक्सों से कोई ताल्लुक नहीं है इस फाइनेन्स बिल का ।

श्री हरिशंकर : लेकिन नगरपालिका भी तो सरकार का एक अंग ही है ।

श्री बालकृष्ण कौल : लेकिन इन टैक्सों से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री हरिशंकर : मैं तो जनरल चीज कह रहा था सरकार के बारे में ।

दाल, चने इत्यादि वस्तुओं पर टैक्स का सवाल था । उसका क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा हो चुका है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा । मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार ने जो टैक्स लगा कर जनता को परेशान किया है, उसके साथ साथ ही आंसू भी पोंछने की कोशिश की है और वह इस प्रकार से कि किसान पत्थर फ्री ला सकते हैं । यह बड़ा सुन्दर तमाचा है कि जो बेचारे पेट भरने को पैसा नहीं कमा सकते वे मकान कैसे बनायेंगे ? इसके साथ ही साथ यदि सरकार चाहे तो एक और चीज कर सकती है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने किसानों के मकानों के सामने ही अपनी गुल्लियां गाड़ दी है और उनको फोरेस्ट डिपार्टमेट लकड़ियां नहीं लेने देता तो मैं तो कहूंगा कि सरकार पत्थर के साथ साथ यह भी छूट कर दे कि जिनके मकानों के सामने फोरेस्ट हैं और जो देहातों में रहते हैं वे अपने लिए लकड़ी जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं । यदि सरकार इसके लिए छूट कर दे तो मैं आभारी होऊंगा । दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि फोरेस्ट विभाग ने जो व्यवस्था की है वह यह है कि जो लोग मवेशी रखते हैं और फोरेस्ट में रहते हैं परन्तु

(श्री हरिशंकर)

जो घास है उसे मवेशियों को नहीं चरने देते जिसका कि उनको हक आज से नहीं सैंकड़ों वर्षों से है । मैं निवेदन करूंगा कि विभाग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार उन मजदूरों को भी फ्री कर दे जो कि अपने सरों पर घास व लकड़ी का बोझा लाद कर लाते हैं उन पर फोरेस्ट विभाग का कोई नियंत्रण न हो ; यह कर दे तो मैं आभारी होऊंगा। इतना ही निवेदन करते हुए इस बिल की अवहेलना करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, फाइनेन्स बिल पर बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं और जो बातें कही जा चुकी हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता । सबसे पहले मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब की तवज्जोह इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि आपने इस बिल के द्वारा जो मेनुफेक्चरार्स की डेफीनिशन में परिवर्तन किया है वह परिवर्तन हमारी सरकार की आर्थिक नीति के विपरीत है। आपने मेनुफेक्चरार्स की डेफीनिशन में पहले जहां १०,०००) रुपये तक छूट दी थी उसको आपने ५,०००) रुपये की छूट दी है और उसका टेक्सेबल टर्नओवर ५,०००) रुपये कर दिया है....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय सदस्य को मैं यह बता दूं कि सरकार के आगे यह विचार जेरे गौर है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रियादा करता हूँ कि उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि यह प्रश्न जेरे गौर है । मैं इसी बात की ओर उनका तवज्जोह दिलाना चाहता था कि हमारी सरकार ने एक तरफ तो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन देने की नीति रखी है और दूसरी ओर उनका जो टेक्सेबल टर्नओवर रखा है वह १० से ५ हजार का कर दिया है। तो आप अन्दाजा लगाइये कि जो स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को लगाने वाले लोग हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपने कहा है कि यह प्रश्न जेरेगौर है, इसलिए मैं अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

दूसरे प्रश्न की ओर आपकी तवज्जोह दिलाना चाहता हूँ कि आपने सहकारी समिति के लिए जो प्रावधान रखा है कि २५ हजार रुपये तक जिनकी टेक्सेबल टर्नओवर है उन सहकारी समितियों को ही सेल्स टैक्स देना पड़ेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने इस परिभाषा में जिन शब्दों में यह छूट दी है उसके लिए यह रखा है कि वह हायर्ड लेबर को इस्तेमाल नहीं करें । यानी वह नौकरों को रख कर उत्पादन नहीं करेंगे । मैं निवेदन करूंगा कि आप अन्दाजा लगायें कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी २५ हजार रुपये का उत्पादन करेगी इसका मतलब यह हुआ कि एक महीने में २,०००) रुपये का उत्पादन करे और एक दिन में ८०) रुपये का उत्पादन करे तो यह क्या सम्भव है कि बिना मजदूरों के सहयोग के कोई भी सहकारी समिति ८०) रुपये रोज का उत्पादन कर सकती है ?

आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी की यह

Page No.53

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जो सीमा रखी है मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी इस परिभाषा में जितनी इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें से १ पर्सेन्ट भी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपकी इस परिभाषा से फायदा नहीं ले सकती और यदि आपकी सरकार की नीति यह है कि ओऑपरेटिव सोसाइटी को, सहकारी समिति को और व्यक्तिगत जो प्राइवेट एन्टर-प्रेन्योर्स हैं उनको एक ही स्तर पर रखना है....

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य शायद इस परिभाषा को समझें नहीं हैं। २५,०००) रु० तक वह छूट है। यह जरूरी नहीं है कि वह २५,०००) रु० तक वह बेचे ही और काम करें !

श्री मानिकचन्द सुराणा : २५,०००) रु० तक जो छूट है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हायर्ड लेबर की परिभाषा रखी है वह परिभाषा बिल्कुल अनावश्यक है। यह छूट तब मिलेगी जब कि हायर्ड लेबर इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सहकारी समितियां बहुत कम हैं जहां पर हायर्ड लेबर बिना इस्तेमाल किये ही २५,०००) रु० का उत्पादन हो सके, या २५,०००) रु० तक का उत्पादन हो सके ; इसलिए हायर्ड लेबर की जो एक शर्त रखी है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस शर्त को हटायें। जब तक नहीं हटाते हैं तब तक आपने जो फायदा कोऑपरे-टिव सोसाइटीज़ को दिया है वह फायदा कोई मायने नहीं रखता है, कोई अर्थ नहीं रखता है। एक तरफ तो सहकारी समितियों को लाखों रुपये आप उधार दें और दूसरी तरफ एक व्यक्तिगत आदमी के बराबर उनको ट्रीट करें, एक तरफ तो खादी ग्रामोद्योग को ३० पर्सेन्ट की रिबेट दें और दूसरी तरफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर भी ऐसी शर्त लगायें कि उससे वह जिस तरह की परिभाषा बनी है उसका अर्थ नहीं रह जाय। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस हायर्ड लेबर की डेफिनिशन को और आपने जो एक आवश्यक शर्त रखी है उसको हटाने के लिये गम्भीरता से विचार करेंगे।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केजुअल ट्रेडर की डेफिनिशन जो इस एक्ट के द्वारा रखी गई है उसमें आपने उन हजारों-लाखों लोगों को इन्क्लूड कर लिया है जो आपके दूसरे कानून के प्रावधान में कहीं नहीं रही हैं। कोई इम्पोर्टर ५,०००) का माल इम्पोर्ट करता है राजस्थान की सीमा में तो वह सैल्स-टैक्स देने का हकदार बनता है और केजुअल ट्रेडर की परिभाषा में रखने के लिये आपने अधिकार रख लिया तो आप नोटिफिकेशन के द्वारा यह बता दें कि कौन २ से व्यापारी उस चीज का जो लोग काम करेंगे उनकी टर्नओवर ५०००) रु. से कम होगी तब तक केजुअल ट्रेडर की परिभाषा में आ जायगा। मैं सभा-पति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो केजुअल ट्रेडर की परिभाषा रखी है वह राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए कदापि उचित नहीं कहा जा सकता, किसी भी प्रकार से उचित नहीं है कि ५,०००)रु. की टर्नओवर नहीं करता है उसके लिए शर्त लगा दी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि जितनी भी परिभाषाए' केजुअल ट्रेंडर की रखी हैं, मेन्यूफेक्चरर की रखी है, कोऑ-परेटिव सोसाइटी के लिए जो परिभाषा रखी हैं, ये परिभाषाएं कोई प्रगतिशील कदम नहीं हैं। उनका प्रोग्रेस की तरफ कोई कदम नहीं है ; बल्कि एक रिट्रोग्रेट स्टेप है, ब्यू-रोक्रेसी की परिभाषा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि परिभाषा का काम जो है वह आप सारा एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ें, ब्यूरोक्रेसी पर नहीं छोड़ें, नोकरशाही पर परिभाषा को बदलने का भरोसा नहीं रखें, गवर्नमेंट भी जो है वह टेक्सेशन पर अपना दिमाग एप्लाई करे। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किन लोगों को टैक्स करे, किन लोगों को छूट दे।

तो मेन्यूफेक्चरर को जो डेफिनिशन रखी है उसको जितना वाइड किया है तो मैंने निवेदन किया है कि एक पानवाला भी राजस्थान में मेन्यूफेक्चरर की डेफिनिशन में आता है, एक चाय बनाने वाला मेन्यूफे-क्चरर की डेफिनिशन में आता है। क्या आप यह उम्मीद करते हैं एक पान बनाने वाले से कि एक तरफ तो वह १० पैसे का पान बनाये और दूसरी तरफ वह कैश मीमो काटेगा ? क्या यह सम्भव है कि एक आदमी एक कप चाय बेचे १० या १२ पैसों में और उसका कैश मीमो दे ? छोटे व्यापारी दो, ढाई रुपये रोज कमाकर अपनी जिन्दगी के दिन बसर करते हैं। आपने उस पर तव-ज्जोह नहीं दी है। इसलिए मेन्यूफेक्चरर की डेफिनिशन जिस तरह कुक्ड फूड को बाद रखा है, उसको छूट दी है, मैं बहुत नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूँगा कि कम से कम पान वाले को, कम से कम चाय बेचने वाले को अपनी परिभाषा कुक्ड फूड....

श्री बालकृष्ण कौल : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि न तो पान वाला और न चाय वाला मेन्यू-फेक्चरर की परिभाषा में आता है।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं निवेदन कर दूं कि बीकानेर में जितने भी पान बेचने वाले हैं उनसे सेल्स टैक्स लिया जा रहा है ; वहां पर सेल्स टैक्स ने ये फाइंडिंग्ज़ दे दीं।

श्री बालकृष्ण कौल : वें मेन्यूफेक्चरर के अन्दर नहीं आते होंगे, ऑर्डिनरी ट्रेडर में आते होंगे।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : पानवाले के लिए केश मीमो काटना कहां तक सम्भव है, चाहे वह किसी में आता हो ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैन्यूफैक्च-रर की डेफिनिशन जो आपने दी है ; this includes any process or manner of assessing, preparing or making any goods...

'इन्क्ल्यूड्स एनी प्रोसेस' में डंडी से पानवाला कत्था और चूना पान में लगाता है तो मैं निवेदन करूं....

श्री बालकृष्ण कौल : पानवाला ऑर्डि-नरी डीलर में आता है, मैन्यूफैक्चरर में नहीं आता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न इस बात का है कि क्या उसको ५,०००) की डेफि-निशन में लाना चाहते हैं या १५,०००) की

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

डेफिनिशन में लाना चाहते हैं ? यदि १५,०००) की डेफिनिशन में लाना चाहते हैं तब तो कोई ऐतराज नहीं। राजस्थान में एक साल में एक पानवाला १५,०६०) रु० के पान बेचता है तो निश्चित रूप से सेल्स टैक्स वसूल किया जाय, लेकिन हकीकत यह है कि सेल्स टैक्स वाले प्रत्येक पान वाले से यह कहते हैं कि तुम ५,०००) रु० के पान बेचते हो और उनको नोटिस दे देते हैं और चूंकि पान वाला कैश मीमो नहीं रखता है इसलिये पान वाले को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वह अकाउन्ट्स पेश नहीं कर सकता है, इसलिये सेल्स टैक्स ऑफिसर के आर्बीट्रेरी डिसीज़न्स का उसको शिकार बनना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आपकी डेफिनिशन में आ जाते हैं, जिनकी तरफ हमारी सरकार ने तवज्जोह नहीं दी है वह सारी परिभाषा के इम्प्लीकेशन्स पर तवज्जोह देंगे। कम से कम पानवाला, चायवाला, गाड़े वाला; इस तरह के जो सामान्य आदमी हैं उनको इस परिभाषा से दूर रखा जायगा ताकि उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

इसके साथ ही साथ मैं, सभापति महोदय, यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपने दालों यानी पल्सेज़ पर टैक्स रखा है और सीरियल्स पर आपकी सरकार का यह ख्याल है कि उस पर टैक्स नहीं रहना चाहिए। लेकिन पल्सेज़ के लिए आखिर राजस्थान में एक आदमी से उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि रोटी खायेगा और दाल नहीं खायेगा। आखिर एक आदमी की सारी की सारी जरूरतें हैं। कोई रोटी खाता है तो दाल भी खायेगा। रोटी पर सेल्स टैक्स नहीं रखना चाहते हैं और दाल पर सेल्स टैक्स रखना चाहते हैं। और दालों में राजस्थान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो सीरियल्स में भी इस्तेमाल होती हैं; जैसे कि मोठ और चना इस्तेमाल होता है। आपने एक तरफ पल्सेज़ पर टैक्स रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्स पल्सेज़ पर नहीं हो। वह टैक्स ३।४ जो सीरियल्स हैं उनको भी कवर कर लेता है और सरकार की मूल मंशा है कि सीरियल्स पर टैक्स नहीं लगाया जाय और पल्सेज़ पर टैक्स लगाकर मूल नीति पर बड़ा भारी प्रहार किया गया है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन बातों की आवश्यकता नहीं है। दालों पर टैक्स लगाने के सवाल को बाद में रखें और उन पर से टैक्स वसूल करने की नीति का परित्याग करना चाहिये।

इसके साथ साथ में दो-एक बातें हमारी टैक्स नीति के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। सरकार की तरफ से बहुत बड़ी दलील....

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : टाइम का भी ख्याल रखें, सभापति महोदय।

श्री सभापति : जल्दी ही समाप्त कर दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप हर साल टैक्स लगाते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपको ३२ करोड़ के टैक्स लगाने पड़ेंगे और हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अभी तक जो टैक्स लगाये हैं वे शायद ३२ करोड़ को देखते हुए कम हैं, यह दलील सरकार देगी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टैक्स लगाने की बात आप नहीं जानते हैं, न यह महसूस होता है कि आप टैक्स लगाने के

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बाद में देखते हैं । आप सारी चीजें उन पर छोड़ देते हैं और ५ दिन में ब्यूरोक्रेसी, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका विभाग जो टैक्सेज़ के प्रोपोज़ल्स लाता है उस तरह के टैक्सेज़ के प्रोपोजल्स आप सदन के सामने ले आते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि आप तीन साल का निर्णय करके एक कमेटी अपोइन्ट करें जो इस प्रश्न पर गहराई से विचार करे कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स वसूल किया जा सकता है और जिनका वजन कॉमन मैन पर नहीं पड़ेगा बल्कि उनके कन्धों पर पड़ेगा जिनके कन्धे मजबूत हैं । आप एक कमेटी अपोइन्ट करें । वह कमेटी देखेगी कि तीन साल के लिए राजस्थान में कौन सी चीजों पर टैक्स लगाया जाय ; निर्धारित और आर्बिट्रेरी रूप से टैक्सेज़ नहीं लगाये जायं । मन में आए जैसे टैक्सेज़ लगा दिये, आपने पल्सेज़ पर टैक्स लगा दिया । अगले साल देखेंगे कि इससे काम नहीं चलेगा तो सीरियल्स पर आ सकते हैं और सीरियल्स से काम नहीं चले तो और पर आ सकते हैं । टैक्सेज़ की जो नीति है उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिये । हमारे पिछले तीन साल की क्या स्थिति है उसको देखते हुए वेड एंड मीन्स कमेटी का निर्माण करिये । वह देखे कि कोनसी चीजों पर टैक्स लगाना है, कौनसी पर नहीं लगाना है । यह आवश्यक नहीं है कि हम टैक्स ही लगाते जावें । हां पक्ष के लोग कहते हैं कि टैक्स लगाना जरुरी है, लेकिन मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट की बहस और गवर्नर महोदय के भाषण पर हुई बहस में जोर दिया गया कि नोन टैक्स रेवेन्यू से इन्कम कर सकते हैं। आपका फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट क्या देता है, मैं पूछना चाहता हूं ? आपका फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट साल में ४ लाख रुपये देता है और उसमें मंत्री जी का भत्ता आदि और जोड़ दें तो २॥ लाख रुपये बचते हैं । आज आप फोरेस्ट से केवल ६५ लाख की आमदनी करते हैं । हिंदुस्तान के किसी भी प्रान्त की ऐसी स्थिति नहीं है जहाँ फोरेस्ट से इतनी ही रकम मिलती हो। यदि आपके फोरेस्ट मिनिस्टर में कोई काबलियत है तो खर्चे को ५० लाख में घटाया जा सकता है और राजस्थान में ५० लाख रुपये फोरेस्ट से और वसूल कर सकते हैं ।

इसी तरह से ट्रान्सपोर्ट को देखिये । इससे लाखों रुपयों की आमदनी हो सकती है । इसलिये फाइनेन्स मिनिस्टर का काम केवल यह नहीं है कि डेफिसिट को टैक्सेज़ से पूरा करें। उनका काम यह है कि दूसरे डिपार्टमेन्ट्स के काम पर ध्यान रखें, उनकी पॉलिसी फ्रेम करने में एडवाइस दें, पॉलिसी फ्रेम करने में ध्यान रखें कि नोन टैक्स रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़े । एक फाइनेन्स मिनिस्टर का काम यह नहीं होना चाहिये कि टैक्स बढ़ाते जायं, बल्कि नोन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दूसरे मंत्रियों से कहना चाहिये ।

आपका माइन्स विभाग है । इसमें जितनी धांधली और भ्रष्टाचार है उसको रोकते हैं तो राजस्थान सरकार को एक करोड़ से भी अधिक की आमदनी मिल सकती है । नीम के थाने का उदाहरण एक मित्र ने यहां पर दिया और मंत्रीजी ने जवाब दिया कि ४-४ मील से कम के प्लॉट नीलाम नहीं करते हैं । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप आधा आधा मील के प्लॉट बेचें तो आपको अधिक रेवेन्यू मिल

Page No.57

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सकती है। लेकिन कुछ लोगों को विशेष फायदा देने के लिए, कुछ फेमिलीज़ को विशेष फायदा देने के लिए विशेष तरह की पॉलिसी बनाते हैं। माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स हैं उनको आप और ठीक कर सकते हैं। इसलिए आपका काम यह नहीं है कि केवल टैक्स लगावें, आपका काम यह भी है कि सारी बातों की जांच करें कि पुराना टैक्स बढ़ रहा है, उसका क्या असर पड़ता है। आपकी जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है इसलिए आपका कर्त्तव्य है कि कोऑर्डिनेट करें और कम से कम टैक्स लगावें और जो लगावें वह मजबूत कंधों पर लगावें।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : मुझे टाइम नहीं मिला ; न कल मिला, न आज।

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय सभापतिजी, जो फाइनेन्स बिल आया है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन इस फाइनेन्स बिल के अन्दर जो टैक्स लगाये हैं उनका जो तरीका है वह राजस्थान सरकार ने बहुत ही गलत रखा है....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : फिर समर्थन किसका करते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : क्योंकि यह जो टैक्स लगे हैं, मैं यह नहीं चाहता कि टैक्स न लगें, टैक्स जरूर लगने चाहिए क्योंकि यदि टैक्स नहीं लगेंगे तो सरकार कैसे चलेगी, डेवलपमेन्ट के काम कैसे होंगे और सड़क, बिजली आदि जितने भी काम हैं जनता की सेवा के, वे कैसे होंगे ? लेकिन टैक्स लगने से जनता को परेशानी नहीं हो, इस तरह के राजस्थान सरकार को टैक्स लगाने चाहिये। आज राजस्थान के अन्दर जो सेल्स टैक्स राजस्थान सरकार ने लगाया है और जितना सेल्स टैक्स सरकार में आता है उससे आधे रुपये सरकार के उनकी तनख्वाहों और दूसरी बातों, भत्तों आदि में खर्च हो जाते हैं और जो आधा रुपया बचता है सरकार के पास उसके अन्दर से भी आधे से दुगुना रुपया सरकार के अन्दर जो लोग बैठे हैं और सरकार की जो मशीनरी है उस पर खर्च हो जाता है। जब तक सरकार उस मशीनरी के दिमाग को पूरी तरह से तब्दील नहीं करे तब तक सरकार यह सोचे कि जितना टैक्स लगाया है वह पूरा आ जायगा; वह कभी नहीं आने वाला है क्योंकि आज सरकार के अन्दर यह भी है कि आज ऑफिसर्स लोग हैं, सरकार के अन्दर बैठे हैं, जैसा नीचे से वे तय करते हैं उसी तरह से दूसरे बड़े बड़े ऑफिसर्स और मिनिस्टर उसी के आधार पर चलते हैं। मैं आपको सभापति महोदय, जानकारी के आधार पर बताना चाहता हूँ कि किसी में १० हजार रुपये बाकी हैं सेल्स टैक्स के और किसी में २० हजार रुपये बाकी हैं और २) रुपए बाकी रहते हैं। माहवारी रुपए जब तक सरकार में माहवारी का माहवारी हिसाब आ जाया....

श्री बालकृष्ण कौल (वित मंत्री) : माहवारी के अल्फाज़ नहीं समझ सका ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : महीने के

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

महीने। एक महीना पूरा हो और कम्पलीट रुपया आ जाय, यह बात कहता हूं। दूसरा महीना पूरा हो तो दूसरे महीने के रुपये आ जायं और तीसरा महीना पूरा हो तो तीसरे महीने के रुपये आजायं समझ गये महाराज....

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : इस उम्र में समझने की जरूरत नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय सभापतिजी, इससे क्या होगा कि जो आज सरकार के रुपये बाक़ी रहते हैं वे बाकी न रहें तो जितनी आज सेल्स टैक्स से दिक्कत रहती है वह नहीं रहेगी क्योंकि राजस्थान में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तो पढ़े-लिखे लोग दूकानदार नहीं हैं, कोई चौथी तक पढ़ा हुआ है तो कोई पांचवीं, छठी, सातवीं या आठवीं क्लास तक पढ़ा हुआ है ऐसे लोगों को हिसाब रखने में कितनी दिक्कत आती है; यह सोचने की बात है। हिसाब नहीं रखते हैं तो फिर इन्सपेक्टर और दूसरे ऑफिसर्स और फिर तीसरे ऑफिसर्स उनको परेशान करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई कपड़ा लाता है, अनाज लाता है उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाने की बात इस तरह रखदें कि वहीं वहीं का पैसा दे दिया और उसको हिसाब किताब रखने की परेशानी न हो। आपने तो कह दिया कि १५,०००रु. तक छूट है यानि १५,०००) रु. तक का माल बेचेगा साल भर में तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन १५,०००) रु. का माल बेचेगा और जिसके ७, ८, या ६....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

अभी से घंटी लगादी। मैं बजट पर भी नहीं बोला, गवर्नर के भाषण पर भी नहीं बोला। एक दफा बोलने के लिये खड़ा हुआ, तो घंटी लगादी।

अच्छा, माननीय सभापतिजी, कहने का मतलब मेरा यह है कि आप जनता से रुपया लीजिये, जनता से आपका डेवलपमेंट का काम है उसके लिये देगी, लेकिन जनता को परेशान करके रुपये मत लीजिये। अगर परेशान करके रुपये लेते हैं तो यह जो टैक्स का हाय-घोड़ा लगता है, सेल्स टैक्स लगाया गया, १५ हजार के लिये कहता हूँ, ५ आदमियों की फेमिली के अन्दर ३००) रुपये देना चाहते हैं सीलिंग के ऊपर और एक तरफ १५ हजार का हिसाब लगा कर देखें। १५ हजार का सामान बेचेंगे तो उसको कितना प्रोफिट होगा? एक आदमी १००) रु० पर २) रु० का प्रोफिट कर ले या ३) रु० का प्रोफिट कर ले तो मैं कहता हूँ ३००) रु० हुए साल भर के और अगर पांच करें तो और हो जायेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कम से कम पच्चीस हजार तक का सामान जो व्यापारी बेचें उनसे टैक्स नहीं लिया जाय, यह तो करना चाहिए। जब कम से कम गांवों में जिस दिन अस्सी पर्सेन्ट, नब्बे पर्सेन्ट एजूकेशन हो जाय जब स्त्री पढ़ी हुई हो, पुरुष पढ़ा हुआ हो, उसका लड़का पढ़ा हुआ हो, उसकी लड़की पढ़ी हुई हो। जब अस्सी पर्सेन्ट एजूकेशन राजस्थान में हो जाय उस दिन आप भले ही पांच हजार की इन्कम पर टैक्स लगा दें तो कोई बात नहीं। लेकिन जब अस्सी पर्सेन्ट एजूकेशन राजस्थान में हो....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह तो पत्त की बात नहीं कह रहे हैं। इन्होंने

Page No.59

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

प्रस्ताव का पक्ष करने की बात कही थी, पर यह विरोध कर रहे हैं प्रस्ताव का।

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो सच्ची बात है वह कहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आप गुप्त रूप से विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं पक्ष में, लेकिन विरोध कर रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अस्सी पर्सेन्ट एजूकेशन राजस्थान में....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ऊपर से पक्ष में हैं और अन्दर से विरोध में हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : अस्सी पर्सेन्ट राजस्थान में एजूकेशन नहीं है इसलिए आपने जो पन्द्रह हजार किया है, वह पच्चीस हजार करना चाहिए, पर टैक्स जरूर लगना चाहिए।

आपने टैक्स मवेशियों के लिए माफ किया है, उससे हमें खुशी हुई कि आपने मवेशियों के ऊपर टैक्स माफ किया है। परन्तु आपको दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। आपने दूसरा टैक्स लगाया है मोटरों के ऊपर राजस्थान सरकार ने जो मोटरों पर टैक्स लगाया है, यात्री टैक्स, उसके अन्दर क्या है ? जब आप यातायात को नेशनलाइज़ कर रहे हैं राजस्थान के अन्दर तो फिर क्या होता है कि आपने नेशनलाइज़ कर दिया, यानि आपकी सरकारी मोटरें है, उसके बाद आपने यात्री टैक्स लगाया तो यह टैक्स कम से कम दूसरे प्रान्तों में भी नहीं होगा और जब राजस्थान में पूरी तरह से नेशनलाइज़ कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके करेंगे, यह बात ठीक है। पर यात्री टैक्स लगाने में क्या है कि जो जो मोटरें चलेंगी, उनका वे हिसाब रखें, उसके लिए रजिस्टर बनायें। यह सब परेशानी का काम है। आप यह कर सकते हैं कि जिस आदमी के पांच बच्चे हैं, दस बच्चे हैं, उनके लिए यह कर दें कि हम इतना टैक्स लेंगे, इतना रुपया जमा करा दो। तो बाबा ! जमा करा देंगे, झगड़ा खत्म हो गया। यह रोजाना रोजाना टैक्स देने की परेशानी से बचेंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पांच मिनट दे दीजिये, फिर खत्म कर दूंगा। तो मेरा कहना है कि आप टैक्स लगायें लेकिन मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से अर्ज करना चाहता हूं कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं, मैं कहता हूं कि फाइनेन्स के, इनकम के ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनको आप पूरी तरह से देखो कि उन इन्कम के डिपार्टमेंट्स में जिस तरह से इन्कम बढ़ानी चाहिए, और ये जो डिपार्टमेंटस हैं वे क्या करते हैं और इसमें किस तरह की बात है। आप पूरी तरह से इनमें गहराई में जायें और गहराई में जाने के बाद उन डिपार्टमेंट्स का पूरी तरह से चैकिंग करायें। आप हैड ऑफ डिपार्टमेंट्स में जायें और उनके जहां जहां डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में डिपार्टमेंट्स हैं वहां जायें और पूरी तरह से रात दिन काम करिये जिससे हिन्दुस्तान में आपका नाम होगा कि फाइनेन्स मिनिस्टर हुआ राजस्थान में, ऐसा फाइनेन्स मिनिस्टर हुआ ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इतना कन्स्ट्रक्टिव।

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक एक कागज को देखें और लोगों को पता लगे कि फाइनेन्स मिनिस्टर कोर्ट में गये, एस. डी. ओ. की कोर्ट में गये, कलेक्टर की कोर्ट में गये और उन्होंने देखा कि इतना बजट दिया हुआ है और यह इन्कम है, क्या काम है, क्या नहीं है। फिर आप देखें कि इतना बजट पेश करूंगा, यह करूंगा, यह नहीं करूंगा और उसको आप काटपीट कर नक्की करें। यह करेंगे तब आपको मालूम होगा। अभी तो दफ्तर में बैठे हैं, नीचे से कागज आये, उनको पास कर दिया और झगड़ा खत्म हो गया। यह चीज करेंगे तो फाइनेन्स मिनिस्टर का हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा नाम होगा। इससे डिपार्टमेंट्स में ज्यादा इन्कम हो सकती है और खर्च में कमी हो सकती है। आप देखें कि यह पैसा जायज़ है, यह पैसा देना चाहिए डिपार्टमेंट को और यह नहीं देना चाहिए। तो अगर आप गहराई में जायेंगे तो आपको सारी चीजें मालूम होंगी। तब आपको पता लगेगा। परन्तु दफ्तर में बैठ कर, सेक्रेटेरियट में बैठ कर कागज पर जांच का काम करना चाहते हैं। आज हिन्दुस्तान आजाद हुआ, समाजवाद लाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। परन्तु प्रेक्टिकल रूप में नहीं देखते। यहां जितने एम. एल. एज़. बैठे हैं, यहां सब भाषण देते हैं, वे प्रेक्टिकल रूप में नहीं जाते हैं। अगर प्रेक्टिकल रूप में जायेंगे तो माननीय सभापति जी, इतना जो भाषण देने में समय खर्च हो रहा है वह नहीं होगा और राजस्थान जितना कई प्रान्तों के पीछे है उनसे राजस्थान कई गुना ऊंचा जा सकता है क्योंकि राजस्थान के लोग मजबूत हैं। सिर्फ उनके अन्दर एजूकेशन नहीं है। उनके अन्दर खूब ईमानदारी है, पैसा भी राजस्थान के लोगों के पास बहुत है। राजस्थान के लोगों की हिन्दुस्तान में इन्डस्ट्रीज़ लगी हुई हैं। क्या कारण है कि वे राजस्थान में नहीं आते हैं? सारे एम. एल. एज़. इस बात का विचार कर लें कि अपनी अपनी तहसील के अन्दर किसी तरह, मेहनत करके, परिश्रम करके, प्यार से, मोहब्बत से बेकारी को दूर करना चाहते हैं, एजूकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सड़क बनाना चाहते हैं और बिजली का काम करना चाहते हैं और गांव के अन्दर जो कुएं और तालाबों की कमी है, उसको दूर करना चाहते हैं। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, माननीय सभापतिजी, कि वह पूरी नहीं हो। वह जरूर पूरी होगी। कल मेरे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि बैराठ में स्कूल खुल गये हैं। अगर वहां स्कूल खुले हैं तो इसलिए खुले हैं कि हमने त्याग किया है, मेहनत की है, पत्थर सड़क पर ढोये हैं और लोगों ने श्रमदान किया है, मेहनत की है, लोगों से पैसे लिये हैं, हाथ जोड़े, पैर पकड़े। कलेक्टर के पैर पकड़े कि हमारा काम होना चाहिये। महाराज! बनिया आदमी हैं, पैर पकड़ लें। इसलिए यह काम हुआ। परन्तु आप यह काम नहीं करते हैं, भाषण देते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जो सरकार के अन्दर बैठे हैं वे कोई काम न करें तो फिर आप हाउस में कहिये कि यह काम नहीं हो रहा है। हम इतनी दफा गये तब यह हुआ, वह हुआ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आप जायेंगे नहीं और यहां भाषण दे देंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : Order please. !

श्री मुक्तिलाल मोदी : इस चीज से अपना काम नहीं बननेवाला है ! माननीय सभापतिजी, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं और यह जो फाइनेन्स बिल रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति : श्री आनन्दसिंह कछवाहा ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा (जोधपुर प्रथम) : सभापति महोदय, दो रोज से इस फाइनेन्स बिल पर बहस हो रही है । मैं भी मानता हूँ कि टैक्स लगने चाहिए, टैक्स लगाना आवश्यक है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : Whether time is limited or unlimited ?

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : लेकिन जो टैक्स सरकार द्वारा लगाया जाकर वसूल किया जाता है....

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : ५ मिनट बढ़ा देने चाहिए ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कुछ रेस्ट्रेन रखें अपने भाषणों पर ।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : सरकार जो आवश्यकता होने पर टैक्स लगाती है यह तो हम मानते हैं कि बगैर टैक्स के सरकार नहीं चल सकती, इसके बगैर डेवलपमेन्ट भी नहीं हो सकता, परन्तु इसके साथ ही सरकार को यह देखना चाहिये कि जिन विभागों के अन्दर ऑफिसरों की अयोग्यता व लापरवाही के कारण जो बेजा खर्च व नुकसान हो जाता है उसकी तरफ ध्यान दिया जाय । कई माननीय सदस्य हमेशा इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं ; लेकिन दुर्भाग्य है कि उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है । हमारी एस्टीमेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट १९५९-६० के अन्दर कई विभागों में हुए नुकसानों के नमूने दिये हैं, जिनमें से कुछ विभागों की अयोग्यता के दो-चार नमूने पेश करना चाहता हूँ । जो सरकार टैक्स लगाती है तब उसकी तरफ यह ध्यान नहीं देती है कि हमारे टैक्स लगाने से हाथ से काम करनेवाले जो छोटे छोटे मजदूर लोग हैं उनका क्या हाल होनेवाला है । अभी पांच हजार की लिमिट रखी है । उससे मैं समझता हूँ कि हमारे राजस्थान के अन्दर हजारों मजदूर बेकार हो जायेंगे । नमूने के तौर पर मैं आपको बताऊं कि जोधपुर के अन्दर दस हजार फेमिलीज़ हैं, जो चमड़े का उद्योग करती हैं, चमड़े की जूतियां बनाती हैं और एक दिन में, एक फेमिली, आदमी, बच्चे, औरतें मिल कर दो जोड़े मुश्किल से बनाते हैं और उन दो जोड़ों के पन्द्रह रुपये मिलते हैं । उसमें से बारह रुपये तो चमड़े पर लग जाते हैं और सिर्फ तीन रुपये ही उनको बचते हैं । इस तीन रुपये के हिसाब से महीने में उसे करीब सौ रुपये मिलते हैं और साल में जाकर बारह सौ रुपये कमाई के होते हैं । अब आप अन्दाज लगाइये – ये लोग कैसे मुनीम रखेंगे, कैसे स्टेटमेन्ट पेश करेंगे, कैसे वकील करेंगे, जिनका पेट भी मुश्किल से भरता है ? यह असम्भव बात है उनके लिए कि वे हिसाब रखें । इसी तरह जोधपुर फिदूसर में स्टोन क्वेरीज़ हैं, जिनमें पन्द्रह-बीस हजार मजदूर काम

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

करते हैं। वे यानी एक खान वाला दस, बीस रुपया का रोज पत्थर मजदूरों से निकलवा पाते हैं, रोज काम करते हैं, उनका उसमें कुछ खर्चा मजदूर, औजार व मलवा दूर कराने में बारह-तेरह का हो जाता है और जो पांच, चार रुपये मिलते है, उनका वे हिसाब नहीं रख सकते, क्योंकि वे अनपढ़ लोग हैं। वकील को पैसा देने के लिए, मुनीम को रखने के लिए, मैं समझता हूं, उन्हें बचत कम होने से वे असमर्थ हैं। इसलिए जो पांच हजार छूट की लिमिट हाथ से काम करनेवाले लोगों को रखी है वह कम से कम दस हजार होनी चाहिए; क्योंकि यदि लिमिट ५,००० ही रखी गई तो दस हजार लोग बेकार हो जायेंगे।

अब मैं सरकारी विभाग की अयोग्यता के नमूने बताना चाहता हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य हैं। जिस समय सरकार टैक्स लगाया करती है तो साथ साथ यह नहीं सोचती कि जो रुपया जनता से वसूल किया है उसको हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारीगण अच्छी व वाजिब तरह से खर्च करते हैं या नहीं। उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। अगर इस ओर ध्यान दे तो लाखों रुपयों की बचत हो सकती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ नमूना बताना चाहता हूं कि बिजली विभाग को ही लें। यह जन-लेखा समिति ५६-६० के आधार पर है। इसमें आप देखेंगे कि शाहपुरा में दो एंजिन ४० हजार रुपयों में खरीदे और ये एंजिन ७ तथा ८ साल तक बेकार पड़े रहे और काम में नहीं लाये गये। इसके लिये एस्टीमेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये ४० हजार रुपयों के एंजिन्स सात, आठ साल तक पड़े रहना राज्य के हित के प्रतिकूल है। इसी तरह शिक्षा विभाग को लें। शिक्षा विभाग में भी आप देखेंगे कि टोंक जिलाधीश ने एक स्कूल की बिल्डिंग को ४० हजार रुपयों में नवाब से खरीद किया, जिसके लिये ३० हजार उद्योग विभाग की ऑफर थी व चीफ इन्जीनियर ने रकम आंकी थी। इस तरह से १० हजार का नुकसान सरकार को दिया गया। इसी तरह जयपुर के एम्पोरियम में आप देखेंगे १९५५-५६ में ३३,४२९ और १९५६-५७ में ३०,८९१ का घाटा रहा। इसके अलावा एम्पोरियम ने ३४ हजार का सामान लोगों को उधार दिया जो वसूल होने के लायक नहीं रहा। इस तरह से विभाग में दो वर्ष में करीब एक लाख का घाटा रहा। विकास व योजना विभाग में कुल मिला कर ६ ट्रैक्टरों की खरीद में ५४,९०० रुपये की अनावश्यक हानि हुई। यह मैं आपको अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट १९५९-६० के आधार पर सूचना दे दे रहा हूँ। इसकी जांच की जावे।

एक माननीय सदस्य : आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। आप जरा जोर से बोलें।

श्री आनन्दसिंह कछवाहा : इसी तरह से आपका कारावास विभाग है। उसमें भी घाटा होता चला जा रहा है। १९५२ से १९५५ तक में बताया गया था कि यहां पहले लाभ हुआ करता था। १९५२-५३ में १४,७४६ का लाभ हुआ। १९५३-५४ में ७,२३४ का लाभ हुआ व १९५४-५५ में १,०१४ का ही लाभ रहा गया। वह लाभ धीरे धीरे घटता घटता यहां तक आ

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

गया कि इसमें भी १६५५-५६ में ५१,६८६ को व १६५६-५७ में ५६,६६० की हानि हुई। आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि अब इसमें प्रतिवर्ष हानि ही हानि होती है।

इसी तरह से आप नागरिक रसद विभाग में अनाज को देखें। १६५५-५६ तक ६१,१८, ८११ रु० की बकाया है ५६:५७ तक ५५,६४, ५११ लोगों में फूड ड्यूज व १३,७०, ८६६ सुपरविज़न के बाकी हैं; उसकी हानि हुई। सन् १६५३-५४ में अनाज के स्टोक में ३ लाख, २,६५१ की कमी मिली व ५२-५३ में १६,१०,५७८ की स्टोक में कमी हुई। यह कमी हुई, क्यों हुई, इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। जो लाखों रुपयों का प्रश्न है। इसके अलावा वित्त विभाग में १० करोड़ ४६ लाख के ११,७८० ऑडिट ऑब्जेक्शन्स हैं जिसमें फाइनेन्स की तरफ से जवाब नहीं दिया जाता है। ऑडिट वाले जवाब मांगते हैं मगर उनको जवाब नहीं दिया जाता है।

आप वन विभाग को लेंगे तो आपको मालूम होगा कि पहले वन विभाग में भी लाभ हुआ करता था और वह लाभ प्रति वर्ष सन् ५४ से ५८ तक १३ लाख से १८ लाख तक हुआ करता था। मगर उसमें भी प्रति वर्ष अब हानि होती जा रही है।

आश्चर्य की बात है कि १६५८-५६ में १७,६२१ का घाटा हुआ व १६५६-६० में ३ लाख १६ हजार का घाटा हुआ।

आप देखें कि आमदनी बढ़ी है, मगर उसके साथ साथ मैं यह भी कहूँगा कि आपका खर्चा उससे भी ज्यादा बढ गया है। पहले आय का ४० पर्सेन्ट खर्चा हुआ करता था वह अब बढ़ते बढ़ते ११० प्रतिशत बढ़ गया है और यही वजह है कि आपको आज इसमें यह घाटा नजर आ रहा है।

इसी तरह से आप अगर खनिज विभाग को देखें तो आपको मालूम होगा कि यह खनिज विभाग तो लावारिश महकमा ही है। इसकी तरफ आज तक किसी का ध्यान नहीं गया है। हिन्दुस्तान को आजाद हुए करीब १५ वर्ष हुए हैं, इसमें इसकी आदमनी अब तक कम से कम तीन करोड़ बढ़नी चाहिये थी मगर जो अभी इसका तीसरा हिस्सा भी नहीं है। हमारा यह दुर्भाग्य है कि अधिकारियों का ध्यान अभी तक इस तरफ नहीं गया है और अधिकारी जो हैं वे इस कार्य में अयोग्य साबित हुए हैं। इस विभाग ने तो दो पंचवर्षीय योजनाएं बिना विकास के निकाल दीं। एस्टीमेट कमेटी ने अपनी ६०-६१ की रिपोर्ट में इन सारी बातों को बताया है।

पलाना में पहले लाखों रुपयों का लाभ हुआ करता था। आज वहां पर भी हम देखते हैं कि हानि हो रही है। सन् ४८ में वहां पर ७२,३७१ टन कोयला निकलता था वहां अब सन् ५८ में कम होते होते १२ हजार टन ही निकला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके विभागों में से खनिज विभाग, ट्रान्सपोर्ट विभाग, वन विभाग आदि

Page No.64

(श्री आनन्दसिंह कछवाहा)

ब उसकी तरफ भी सरकार को पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये। मैं विश्वास करता हूं कि मैंने जो बातें बताई हैं उन पर सरकार का ध्यान अवश्य जावेगा।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : सभापति महोदय, चुनावों के नतीजों से हम यह समझते थे कि मुमकिन है कि अब की बार कांग्रेस के दिमाग को कुछ झटका लगेगा, हमारी मिनिस्ट्री के लोग हैं उनके दिमागों को भी झटका लगेगा और वे सोचने पर मजबूर होंगे कि हमारे राजस्थान की पब्लिक क्या चाहती है और किस तरह उसकी नाराजगियों को दूर किया जावे। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो कांग्रेस के मन्त्री हैं और खास करके फाइनेन्स मन्त्री हैं उनके दिमाग पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वे चुनावों के नतीजों से देखें तो उनको मालूम होगा कि पिछले साल मिनिस्टर हारे और उनको ४० परसेंट वोट मिले। आपको पूरी तरह से राजस्थान की जनता ने धिक्कारा और जो जनता आपको पहले चाहती थी और जिसने आप पर विश्वास किया उसका यह नतीजा हुआ कि आपको एक बड़ी जबर्दस्त मार राजस्थान में खानी पड़ी। आपके बड़े बड़े मिनिस्टरों को जिन पर आपको बहुत नाज था, जिनको आप बहुत कारगुजार समझते थे उनका हार जाना और पूरी तरह से आपको मेजोरिटी वोट हासिल नहीं होना, यह आपके लिये एक बहुत बड़ी भारी चोट थी। मगर हमारी सरकार का यह हाल है कि जैसा कि एक शराबी होता है, जब वह शराब पी लेता है उसके बाद चाहे उस पर कितनी ही धूल डालिये, चाहे उसको आप कुछ भी कहते रहें मगर फिर भी वह तो शराब के नशे में मस्त होकर चलता रहता है और किसी की बात को रास्ते में नहीं मानता वही हाल इस सरकार का भी है। अभी कुछ माननीय सदस्यों ने जो कांग्रेस की तरफ से बोले हैं उन्होंने यह कहा है कि टैक्सों के बगैर सरकार नहीं चलाई जा सकती, कोई भी विकास नहीं किया जा सकता है। हमने यह बताया है कि बगैर टैक्सों के सरकार चल सकती है आपने जो पैसेन्जर टैक्स बढ़ाया है वह ५ प्रतिशत बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि इसकी जरूरत नहीं थी। इसके नहीं बढ़ाने से भी आपको काफी आमदनी हो सकती है। आपने अभी जिन रूटों का राष्ट्रीयकरण किया है, अच्छा होता कि जो राष्ट्रीयकरण की नीति है उसको पूरी तरह से संभालते और पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण करते और बाकी के जितने रूट्स हैं जहां आमदनी हो सकती है उन तमाम रूटों का राष्ट्रीयकरण करते तो आपको यह टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि दूसरे टैक्सों को लगाने की भी जरूरत नहीं होती और इतनी बड़ी रकम इससे आ सकती है। मगर क्या किया जा सकता है? आपकी जितनी बसें सरकार के पैसे से खरीदी गई हैं वे ज्यादा बेकार पड़ी हैं और पड़ी पड़ी जंग लग रही हैं वे तमाम की तमाम खराब हो रही हैं और वह पैसा जो उन पर खर्च हुआ था उधर रोक रखा है, उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और अब आप पब्लिक से कह रहे हैं कि हमको अर्थ की कमी है ; आप हमको टैक्स दो। हमारे पास पैसा नहीं है। मगर उन रूटों का राष्ट्रीकरण नहीं किया जा सकता। बाकी के रूट्स हैं उन पर दूसरे लोग अपनी बसें चलाते हैं। क्यों चलाते

Page No.65

(श्री हरिराम चौहान)

हैं कि जब चुनाव आते हैं तो उनको मददगार कौन हो सकते हैं ? उस समय कांग्रेस के मददगार हो सकते हैं वे तमाम के तमाम मिल मालिक, वे तमाम के तमाम लाइसेन्स होल्डर्स, वे तमाम के तमाम ठेकेदार, तमाम के तमाम सूदखोर, तमाम के तमाम पुलिस के दलाल, तमाम के तमाम बदमाश, तमाम के तमाम समाज विरोधी जो तत्व हैं वे कांग्रेस की फौज हैं और कांग्रेस को वोट दिलाने के लिये वे तमाम के तमाम लोग तैयार रहते हैं। इस ही वजह से वे लोग चुनावों के लिये चन्दा देते हैं, कांग्रेस की मदद करते हैं। इसलिये सरकार का रुख उन बसों के रूट की तरफ नहीं हो सकता, उन सड़कों की तरफ नहीं हो सकता और उन रूटों और बसों का राष्ट्रीयकरण करने में सरकार मजबूर है।

एक माननीय सदस्य : आप चन्दा कहां से करके पैसा लाते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : हम किसान और मजदूरों से लेते हैं। आप भी दें तो आपसे भी ले सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : आपको तो बाहर से चन्दा मिलता रहता है।

श्री हरिराम चौहान : यह सरकार की नीति है; उन आदमियों से जो बोल नहीं सकें, लिख नहीं सकें, सरकार तक पहुंच नहीं सकें, जो सरकार का पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर सकें, जो सरकार के इन कानूनों के जाल-जंजाल को नहीं समझ सकें उन तमाम लोगों से पैसा आये और उस पैसे को आप इन लोगों के लिये बड़े बड़े अफसरों की तनख्वाह के लिये, मिनिस्टरों की तनख्वाह के लिए उनकी कारों के लिये, पैट्रोल के लिये, बंगलों के लिये खर्चा हो और राज्यपाल के भवन के लिये खर्च हो, इस तरह के बड़े बड़े मदों पर खर्च हो। टाइम के अभाव में उन सारी चीजों को गिनाया नहीं जा सकता....

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : आपको अलाउन्स मिलता है उसका नाम नहीं लिया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप क्यों घबरा रहे हैं, आपको भी मिलता है। हमारे अलाउन्स में आप भी हिस्सेदार बनाना चाहते हैं क्या ? आज कल आपको-हमको एक ही जगह अलाउन्स मिलता है।

श्री हरिराम चौहान : जिन लोगों की जेब से पैसा आता है उनके ऊपर वह पैसा खर्च नहीं होता। उनके साथ भेदभाव की नीति बरती जाती है। छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की मांग की जाती है तो सरकार के खजाने में ५) रुपये भी नहीं मिलते। इनकी ५) रुपया तनख्वाह बढ़ाई जायेगी तो ऊपर के अफसरों का सौ, डेढ़ सौ रुपया बढ़ाया जायगा। टैक्स लगाने का सवाल आयेगा तो सब पर बराबर टैक्स। तनख्वाह बढ़ाने का सवाल आयगा तो छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जायगी, बढ़ाई भी जायगी तो थोड़ी बढ़ाई जायगी और बड़े कर्मचारियों की ज्यादा बढ़ाई जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास: On a point of information, Sir, जिस पार्टी को आप बिलोंग करते हैं उसकी करों के सम्बन्ध में क्या नीति है ?

श्री हरिराम चौहान : पार्टी की नीति को समझना है तो हमारे ऑफिस में आप भी चले आइये और वित्त मंत्रीजी को भी ले आइये।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

मैं कह रहा था कि जिन लोगों की जेबों से पैसा निकाला जाता है उन पर वह पैसा खर्च नहीं करके किन लोगों पर वह पैसा खर्च किया जाता है; इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। जिसका अभी स्थगन प्रस्ताव आया था, जिन लोगों पर टैक्स लगाया है उन लोगों से साढ़े चार सौ रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ मांगा जाय और जो इन्हीं के दूसरे शरणार्थी बसे हुए हैं उनसे सौ रुपया फी स्टेन्डर्ड एकड़ लिया जाता है। तो इस तरह से तमाम तबकों के साथ पक्षपात पूर्ण और भेदभावपूर्ण नीति बरती जा रही है। आज एक प्रश्न आया कि एक सिनेमा मालिक में सरकार का पैसा बकाया है। मैं कह सकता हूं कि एक सिनेमा मालिक में क्या अधिकतर सिनेमा मालिकों में सरकार का पैसा बकाया है। अलवर का एक सिनेमा मालिक है उसमें सरकार का पैसा बकाया है....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय सदस्य बतायेंगे कि किसमें बकाया है ?

श्री हरिराम चौहान : अलवर के हैं। कल मैं नाम वगैरह सब बता दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो फिर कल ही बता देते।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ये तो २४ घंटा एडवान्स में बताते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है, सुनी--सुनाई बात कह रहे हैं।

श्री हरिराम चौहान : ताम्बी टॉकीज़, नारायणदत्त या नारायणदास मालिक है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इन्हीं का दास होगा।

श्री हरिराम चौहान : यह तो सिनेमा मालिकों का हाल है, जिनमें सरकार का रुपया बकाया है। इसी तरह मोटरों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय तो सरकार को बहुत अच्छी आमदनी हो सकती है, सिनेमा के मालिकों से बकाया वसूल कर लिया जाय, राजाओं में बिजली और पानी का बकाया है वह वसूल कर लिया जाय, जिन लोगों को छूट दे रखी है उस छूट को बन्द कर दिया जाय तो कितना रुपया आ सकता है और यह टैक्स लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर यहां इस सरकार की आदत पड़ गई है कि हर साल जब बजट बने तो जब तक सरकार नया टैक्स नहीं लगा देती तब तक इस सरकार को नींद नहीं आती।

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

फिर कहा जाता है कि ऑपोज़ीशन वालों को तो आदत पड़ गई है ऑपोज़ीशन करने की हम टैक्स लगाते हैं, जनता कोई विरोध नहीं करती, दे देती है वह; पर मैं बता दूं कि अगर आपकी यह समझ है कि जनता इन टैक्सों से खुश हो रही है केवल विरोधी पक्ष वाले ही खिलाफत करते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं कि

(श्री हरिराम चौहान)

वित्त मंत्रीजी को इस्तीफा दिलाइये और पहले आपने अपने घोषणा-पत्र में यह नहीं लिखा था कि यह कर लगायेंगे, अब साफ साफ अपने घोषणा-पत्र में लिख दीजिये कि हम इस इस प्रकार के टैक्स लेंगे, तब फिर वित्त मंत्री चुनाव जीत जायेंगे तो हम मान जायेंगे कि जनता को आपके टैक्स इतने प्यारे हैं। तब फिर आपको कहने का अधिकार होगा कि हम लोगों की आदत विरोध करने की हो गई है और खामख्वाह विरोध करते हैं।

इतना ही कह कर मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आपको फर्क समझा दें और ये जितने टैक्स हैं इनको तमाम के तमाम को वापिस करें। आम जनता पर टैक्स बढ़ाना, टैक्सों का भार बढ़ाना समाजवादी समाज का दम भरनेवाली सरकार के लिए शोभा नहीं देता।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : सभापति महोदय,........

श्री सभापति : ११ बजे गवर्नमेन्ट की तरफ से रिप्लाई होगा।

(विराम)

श्री गिरधारीलाल !

श्री गिरधारीलाल व्यास : फाइनेन्स बिल जो प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मेरा यह निवेदन है कि सोने-चांदी........

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : यह आपकी बात आपकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में बतायेंगे।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपके भरोसे अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी से नहीं आये हैं, आप शौक से बताइये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सोने-चांदी पर टैक्स लगा है वह इस कारण से लगा है कि बहुत से आदमियों में होर्डिंग की आदत है। सोने-चांदी के जेवर बनाते ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी होर्डिंग की आदत है कि पैसा जो कि समाज में बिखरता रहना चाहिये, उन्नति के कार्यों में लगते रहना चाहिये, इस मनोवृत्ति से दूर रह कर इस प्रकार की भावना रखते हैं कि पैसा सोने-चांदी के रुप में एकत्रित करके उसका फायदा दूसरों को न उठाने देवें। ऐसे समाज के बुरे तत्व होते हैं....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वित्त मंत्री महोदय की सोने की अंगूठी दूर से चमक रही है यहां तक तो, थोड़ा उधर भी ख्याल कर लें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो सोना-चांदी कोई आवश्यक वस्तु नहीं, खाने की चीज नहीं; जिसके बिना पेट न भरता हो। अंगूठी तो शौक के लिए है न कि होर्डिंग के लिये।

श्री मुरलीधर व्यास : जेवर बनाने वाले बुरे तत्व के होते हैं, यह आपने कहा; इसलिए बताया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं उनके लिए कहा है। बड़े बड़े सेठ-साहूकारों को देखते हैं कि बड़ी बड़ी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सोने की जंजीरें गले में पड़ी रहती हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : भारतीय संस्कृति में घर में सोना रखने का निषेध है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : तो सोना-चांदी कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसके बिना जीवित नहीं रहा जा सकता। हम चाहते हैं कि हमारे समाज में कम से कम होर्डिंग हो और देश के निर्माण में ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिले। इसलिए होर्डिंग की मनोवृत्ति को रोकने के लिए हमारे वित्त मंत्री ने जानबूझ कर यह टैक्स लगाया है। जिससे समाज में इस प्रकार की प्रवृत्ति न रहे।

(११.० म. पू.)

पैसेन्जर टैक्स के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह तो खिरेनी है; टैक्स लगा कर कोई जोर जुल्म जबरदस्ती नहीं की गई है। देश के निर्माण के लिए, देश के निर्माण कार्यों को और देश को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स लगाने की आवश्यकता रहती है और पैसेन्जर टैक्स लगा कर निर्माण कार्यों को किया जाय और उनको आगे बढ़ाया जाय, यही एक भावना है। यह कोई टिरेनी नहीं है। टिरेनी तो उसको कहते हैं; जैसा पहले जमाने में हुआ करता था, राजा--महाराजा वसूल करते थे; जैसे किसी के लड़का हुआ तो या मौत हो गई तो जीमन वगैरह किया जाता था उस वक्त हर आदमी से वसूल किया जाता था। यह तो एक पैसेन्जर टैक्स है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): उससे ज्यादा इन्सीडेन्स ऑफ टैक्सेशन है। आज ज्यादा खिरेनी है पहले के जमाने के बनिस्बत।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द): पहले तो आपकी जेब में जाया करता था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो अपनी अपनी विचारधारा है। इस पर खोज की जाय और जांच की जाय, जिससे पता लग सकता है। एक आदमी को आज ज्यादा टैक्स देना पड़ता है पहले के बनिस्बत।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आधी बंटायी और ३।४ बंटायी जब होती थी उस वक्त में तो हमारा दिल जानता है कि किस प्रकार उसको देते थे। आज सरकार ने यह बन्द कर दिया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : राजा महल बनाने में लगाते थे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : राजा, महाराजाओं के महल बनते थे, जुल्म, जोर, जबरदस्ती से टैक्स वसूल करते थे। हम देते थे, हम जानते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अपने क्षेत्र में टैक्स लगा कर देखो तो पता चले।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : कांग्रेस की ओर से एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो उनको चार साथ में राइडर्स मदद कर रहे हैं।

Page No.69

श्री गिरधारीलाल व्यास : समाजवादी व्यवस्था....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : समाजवाद यही है आपका ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं; परेशानी आपको क्यों हो रही है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह समाजवादी व्यवस्था नहीं है फासिस्टवाद है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : फासिस्टवाद तो खत्म हो गया और समाजवाद आ गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऊपरी रूप में समाजवाद है लेकिन वास्तव में फासिस्टवाद है।

श्री सभापति : आप इसको जल्दी ही समाप्त कर दीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बहुत से भाई यह एतराज करते हैं कि टैक्स लगाते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कौनसा देश बिना टैक्स लगाये ही तरक्की करता है। हर देश में टैक्स लगा कर ही निर्माण कार्य किये जाते हैं और उन देशों ने किये भी हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय सदस्य ने अपनी पंचायत समिति में कितने टैक्स लगाये हैं ?

श्री सभापति : ऑर्डर ! आर्डर प्लीज़ !!

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रकार यहां क्रिटिसाइज़ किया गया है कि समाजवाद में टैक्स लगाये गये हैं, यह जनता के प्रति बड़ा भारी अन्याय है। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि समाजवाद तब ही आवेगा जब कि ज्यादा से ज्यादा निर्माण कार्य किये जावेंगे; उन्नति की बातें सोची जावेंगी। तब ही समाजवाद आवेगा।

(व्यवधान एवं घंटी)

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं; फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के सम्बन्ध में जो बिल प्रस्तुत हुआ है उसका तो मैं समर्थन करता हूं; किन्तु फाइनेन्स डिपार्टमेंट के लिए कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट के अन्दर ऐसी मशीनरी है कि जो बजट के आंकड़े सही तरीके से नहीं लगा सकती; इसलिए मैं फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो अव्यवस्था है उसको दूर करें, जिससे विरोधी पक्ष की ओर से जिस प्रकार का क्रिटिसिज़्म होता है वह हमको सुनने को न मिले और वे क्रिटिसाइज़ न कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आयन्दा, भविष्य में ख्याल रखेंगे, दोषी अधिकारियों के प्रति सख्त एक्शन लिया जावेगा जिससे इस प्रकार का क्रिटिसिज़्म सुनने का मौका न मिले।

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय,....माननीय सभापतिजी,....

श्री सभापति : माननीय वित्त मन्त्री।

कई माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाय।

श्री सभापति : काफी बढ़ाया जा चुका है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ) : जनरल बहस है। और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं वित्त मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वे १५ मिनट का समय उधार दे दें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : वित्त मंत्री उदार हैं और वे अपना समय भी कैंसल कर देंगे।

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय चेयरमैन साहब, माननीय सदस्यों ने कल से जो आलोचनाओं का तांता लगाया है अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं बोल लूं....

कई माननीय सदस्य : आप बोलिये, साहब !

श्री बालकृष्ण कौल : बहुत सी आलोचनायें ऐसी थी जिनसे मैं काफी मुतासिर हुआ हूं........

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, घंटी बराबर बज रही है, यह बन्द होना चाहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने सुझावों से सरकार को जो तजवीज़ पेश की वह वाकई ऐसी तजवीज़ थी कि जिससे सरकार को सोचना पड़ा और आगे भी सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि उनकी बहुत सी तजवीज़ें जिस दृष्टिकोण से रखी गई हों वह सरकार के लिए........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : सभापति महोदय, आपका ध्यान दिलाऊं, वे चन्दनमलजी सो रहे हैं बिल्कुल।

श्री चन्दनमल वैद (उप मंत्री, वित्त): मैं सो नहीं रहा हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आप लोगों के भरोसे इतने निश्चिन्त हैं कि उनको सोने का टाइम यहां मिलता है।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सभापतिजी, मुझे इजाजत मिले कि मैं बिना किसी रुकावट के अपने विचारों को इस सदन के सामने रख सकूं तो माननीय सदस्यों की इनायत होगी, क्योंकि जो चीजें मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ कोई मामूली चीजें नहीं हैं, उनके पीछे कुछ रहस्य हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करुंगा कि मेरा भाषण अगर उनको इस मौके पर अच्छा न लगे तब भी कृपा कर सुनने का कष्ट करें।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो आलोचनायें सरकार के सामने आयी थी वे अपनी अपनी जगह मुनासिब थी। हो सकता है उन आलोचनाओं का असर सरकार पर फौरन अगर न पड़ा हो तो आगे चल कर पड़ सकता है। इसलिए कोई काम जल्दी में होना नामुमकिन है लेकिन चन्द मुद्दे इस किस्म के हैं जो मैं माननीय सदस्यों के आगे रख देना चाहता हूं।

(श्री बालकृष्ण कौल)

करीब १६ माननीय सदस्य इस फाइनेन्स बिल पर बोले हैं लेकिन अगर निचोड़ निकाला जाय उन आलोचनाओं का तो सिर्फ चार-पांच किस्म की आलोचनायें थी; बाकी तो जिसको कह सकते हैं प्लेइंग दी गेलेरी थी। श्रीमान्, जिस वक्त एक माननीय सदस्य ने चने के टैक्स का जिक्र किया........

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, क्या शब्द हैं, आपने क्या कह दिया प्लिटग........

श्री सभापति : समझने की कोशिश करें।

श्री हीराभाई : हाउस के अन्दर सुनने की कोशिश करें। कितने सुननेवाले हैं और कितने इसको समझने वाले हैं....

श्री ज्वलाप्रसाद शर्मा : समझने की अक्ल होनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : आप में ज्यादा है।

श्री मुरलीधर व्यास : समझाने के लिये भी अक्ल चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी समझदारी में विश्वास है।

श्री हीराभाई : समझने के लिए अक्ल की जरुरत है तो अक्लमन्द आदमियों को लाओ।

श्री सभापति : Order please !

श्री हीराभाई : चुनावों की बात करते हैं उस ढंग से समझाना जरूरी होगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस सदन के स्टेन्डर्ड के लिहाज से बोलूं और मेरी प्रार्थना है कि मेरे दिमाग को तमाम मत कर दीजिये। इसलिए मैं अर्ज यह कर रहा था कि जब चने का सवाल आया बड़े जजबात से अपील की गई चना हर घर में, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, सभी के द्वारा खाया जाता है। इसलिये इस पर टैक्स न लगाया जाय....

श्री हरिराम (तिजारा) : आपने कभी अमीर के घर चना खाते हुए देखा है ?

श्री बालकृष्ण कौल : आपने अमीर के यहां कभी दावत नहीं खाई होगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वे दावतों में खाते होंगे, बाकी लोग तो घरों में खाते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : जिस समय चने पर टैक्स लगाने का सवाल आया उस समय हमारा भी दिमाग घूमने लग गया था, जिस प्रकार से माननीय सदस्यों का इस वक्त घूम रहा है। मेरे आगे एक प्रश्न था चने पर टैक्स लगाने से सिर्फ बीस लाख रुपया टैक्स आता है और टैक्स चाहिये था हमें ज्यादा। तो दूसरी चीज थी गेहूं। गेहूं पर टैक्स लगाते हैं तो करीब तीस, चालीस लाख का फायदा होता। गेहूँ पर टैक्स लगाने से आमदनी तो बढ़ती परन्तु गेहूं ज्यादा खाया जाता है; गो वह गरीब

Page No.72

(श्री बालकृष्ण कौल)

हो या दर्मियानी दर्जे का व्यक्ति हो, वह भी गेहूँ को चने की अपेक्षा खाने में ज्यादा काम में लेता है। दोनों में इतना फर्क था फिर भी मुनासिब यह समझा गया कि गेहूँ के बजाय चने पर ही टैक्स लगाया जाय। हो सकता है कुछ माननीय सदस्य मेरे ख्याल से इत्तफाक न रखते हों; फिर भी मैं माननीय सदस्यों से अर्ज कर दूं, मेरी जो भावना थी वह मैंने आपके समक्ष रख दी। भले ही अपना नुकसान हुआ ४० के बजाय २० लाख की आमदनी होगी, फिर भी दोनों में से एक पर लगाना जरूरी था। उस चीज पर लगाया गया जिसको बमुकाबले गेहूं के कम खाते हैं।....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जरा इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि गेहूँ और चना कौन कौन तबका खाता है ?

श्री बालकृष्ण कौल : आज कल हर शख्स चाहे वह किसान हो, मजदूर हो गेहूं खाता है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : होली-दिवाली ही गरीब लोग गेहूं खाते हैं। बाकी के दिनों में मोठ--बाजरा पीस पीस कर खाते हैं। आपने कभी रेगिस्तान के इलाके के लोगों की हालत को नहीं देखा है।

श्री हरिराम चौहान : माननीय मंत्री महोदय को ये शब्द फौरन वापिस लेने चाहिये।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह बात रखी कि चना कम खाया जाता है बनिस्पत गेहूं के, इसलिए चने पर कर लगाया गया है। मेरा निवेदन यह है कि सब अनाजों से कम चावल खाया जाता है उस पर आपने क्यों नहीं टैक्स लगाया ?

श्री बालकृष्ण कौल : उससे मेरा घाटा पूरा नहीं होता था।

मैं माननीय सदस्यों के आगे सत्य वाका रख रहा हूं जिससे प्रेरित होकर आपके वित्त मंत्री महोदय ने गेहूँ को छोड़ कर, दूसरे सीरियल्स को छोड़ कर चने पर टैक्स लगाया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके--वित्त मंत्री, में आप भी शामिल हैं क्या ?

श्री बालकृष्ण कौल : थोड़ी देर में इस बजट में आप भी शामिल हो जायेंगे; उतना मैं भी शामिल हूं।

मैं वस्तुस्थिति आपके सामने रख रहा था, वह चाहे अच्छी हो या बुरी, आपको कम से कम इत्मिनान होना चाहिये कि किन कारणवश यह टैक्स लगाया गया है इस चने पर ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चने के साथ साथ मोठ-बाजरा पर क्यों लगाया है ? जिस इलाके के लोगों का खाना ही मोठ-बाजरा है और जहां चार-चार साल तक वर्षा नहीं होती है उन पर भी टैक्स लगा रहे हैं।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य (राजसमन्द): I would request that such interruptions should not be allowed; otherwise if the Finance Minister is disturbed from time to time...

श्री हरदत्तसिंह : चावल को आपने क्यों छोड़ दिया ?

श्री सभापति : Order ! Order !!

श्री बालकृष्ण कौल : अगर माननीय सदस्य इस तरीके से बोलने में रुकावट डालते रहे तो मैं मजबूर हो जाऊंगा अपना वक्तव्य समाप्त करने को। अगर आप वित्त मंत्री को सुनने के लिये तैयार नहीं तो मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा।

श्री हरिराम चौहान : आप बातों को साफतौर से रखें।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूं उससे ज्यादा आप जान नहीं सकते।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, सामान्यत: जो जानकारी हमें लेनी होती है वह जानकारी तो हम ले सकते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : जिस वक्त मैं बोल लूं उसके बाद अगर माननीय सदस्य कुछ जानना चाहें तो वे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बीच में डिस्टर्ब करने का उनको अधिकार नहीं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Point of order, Sir, the practice of the House is that when an Hon'ble Minister is speaking interruptions are never allowed, and clarifications and informations are sought at the end of the debate. I would like to have observation from the Chair; Sir, just to regulate all the interruptions and points of clarification when the Hon'ble Minister is speaking.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सभापति महोदय बीच में रोकने का सवाल नहीं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में यह है कि इन्टरप्शन के जरिये कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसकी जानकारी ले सकते हैं।

श्री सभापति : साधारणतया माननीय सदस्य इन्टरप्ट न करें।

श्री हरिराम चौहान : जिस समय माननीय मंत्री महोदय के समझ में नहीं आ रहा था उस समय मंत्री महोदय भी बीच बीच में पूछ रहे थे; तो जब मंत्री महोदय को अधिकार है तो सब को अधिकार है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : हमारे वित्त मंत्री कांग्रेसियों को आंखों से डरा रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, मैं अर्ज कर रहा था, दूसरा प्रश्न था सोने और चांदी के जेवरात का....

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा–सु०) : मसूर, मूंग और मोठ बीच में ही छूट गये।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं उन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूं, जिन बातों को बहस के दौरान में उठाया गया था।

श्री हरिराम चौहान : यह तो जानकारी दें कि आपने इस पर टैक्स लगाया है या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मेरा दिमाग तो "तमाम" हो चुका है....

श्री हरिराम चौहान : तो फिर आप यहां कैसे टिके हुए हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : सवाल दूसरा उठा सोने और चांदी का। मैं समझता था कि इस सोने और चांदी के जेवरात का असर कुछ चुनिन्दा लोगों के दिमाग पर पड़ सकता है लेकिन देखने में यह आया कि कुछ सोने और चांदी की चमक ने ऐसा चकाचौंध कर दिया कि जो खड़ा हुआ उसने उसकी ताईद कर दी....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हरएक के लिये मत कहिये, कुछ लोगों की बात कहिये।

श्री बालकृष्ण कौल : आप बोले नहीं थे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कइयों ने इसको सपोर्ट किया है।

श्री बालकृष्ण कौल : ऐसा दिमाग पर असर पड़ा उस चमक का....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कोई असर नहीं पड़ा।

श्री सभापति : कृपया बीच में बोलें नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : I am pointing out a wrong statement. गलत बात को वे सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : तो उस चमक का ऐसा असर पड़ा, उन चमक की चीजों का कि वे लोग जो समाजवादी–साम्यवादी होने का दावा रखते हैं उनको भी इस बात का ख्याल हुआ। उन पर भी इस चमक का असर पड़ा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : You are making a wrong statement.

श्री बालकृष्ण कौल : इससे यह मालूम होता है कि कुछ माननीय सदस्य इस चमक-दमक के ऐसे असर में आये; दलालों के, उन लोगों के कि जिनके हाथों में इसका व्यापार है। इस आपके वित्त मन्त्री के ऊपर भी बहुत से डेपुटेशन आये, लेकिन उन डेपुटेशनों का बदकिस्मती से कहिये, इस वित्त मन्त्री के दिमाग पर अभी तक असर नहीं पड़ा। लेकिन देखा यह गया कि वही माननीय सदस्य जो अपने आपको विपक्षी दल का समझते हैं उन्होंने यह न मान कर कि सोने और चांदी के ऊपर टैक्स न हो, लेकिन सिर्फ इस भावना से प्रेरित होकर कि यह मौका है सरकार पर उंगली उठाने का, बुरा कहने का, टैक्स को बुरा कहने का, इस कारण से प्रेरित होकर उन्होंने इसका विरोध किया। इसलिये यह भावना जो हमारे विपक्षियों की है उनसे मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि यह भावना वे हटा दें ताकि उनका जो उद्देश्य है अगर उस उद्देश्य की रोशनी में आलोचना करते हैं तो मुनासिब आलोचना है, ख्वाह उसे सरकार माने या न माने; पर कॉन्सिस्टेन्सी होती है उनकी आलोचना में।

श्रीमन्, एक बहस हुई बहुत जोरों से केजुअल डीलर पर। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज कर दूं कि यह केजुअल डीलर को लाने का मतलब क्या है? माननीय सदस्य सब जानते हैं, जैसा मैंने उनके भाषणों से सुना कि कोई यह नहीं चाहता कि किसी तरह से टैक्स का इवेज़न हो। अगर यह भावना जो मैंने उनकी देखी और यह सत्य है तो मैं समझता हूँ कि उनको यह भी मानना पड़ेगा कि सरकार ऐसा

(श्री बालकृष्ण कौल)

कानून और नियम लावे, ऐसी डेफिनिशन लावे कि जिससे ऐसा मौका नहीं मिले कि कोई भी टैक्स का इवेज़न हो। मैं अर्ज कर दूं कि यह उस ख्याल का एक तरजुमा है ; कहीं किसी तरह से टैक्स का इवेज़न न हो। यहां केजुअल डीलर क्या चीज है, मैं यह रख देना चाहता हूं। बहुत से लोग बाहर से आते हैं, घूम फिर कर अपना सामान बेचने फिरते हैं। वे कभी टैक्स देने वाले डीलर की परिभाषा में नहीं आते। आपने देखा होगा कि मेलों में और इस तरीके से बहुत सी अन्य जगहों पर व्यापारी बाहर से आकर हजारों का माल बेच कर यहां से बगैर टैक्स दिये ही रवाना हो जाते हैं। इस किस्म का ख्याल जब आपकी सरकार के सामने आया तो विचार किया गया कि इस किस्म का टैक्स इवेज़न किस तरह से स्टोप किया जाय। उस वक्त इस किस्म की एक डेफिनिशन हमारे सामने आई और यही चीज मध्य प्रदेश में भी चल रही है। इसलिये हमने भी इस डेफिनिशन को यहां रखा है। इसलिये इसके पीछे और कोई नीयत नहीं है और न यह नीयत ही है कि अपने यहां के दूकानदार को तकलीफ दी जाय। इसलिये ये लफ्ज हैं। जिस चीज पर टैक्स लगावेंगे उसी चीज को नोटिफाइ करेंगे, हर चीज पर नहीं। तो कौन सी चीज इसमें आती है, यह देखा जावेगा। तो सरकार ने इस चीज के लिए यह टैक्स इवेज़न न हो, इस केजुअल डीलर का नाम बीच में रखा है।

अब प्रश्न जयपुर से आये एक माननीय सदस्य ने बड़े जोर के साथ रखा। आपने एक आपत्ति उठाई और श्रीमान् लीडर ऑफ दी हाउस के सम्बन्ध में उन्होंने यहां तक कह डाला कि उन्होंने एक मीटिंग में जहां व्यापारियों की मीटिंग थी, वहां कुछ ऐसा वक्तव्य दे डाला कि जो वित्त मन्त्री और सदन की एवं खुद उनकी शान के खिलाफ था। मैं समझता हूँ कि अगर माननीय सदस्य जरा ख्याल करते उस गवर्नर की स्पीच का जिसमें इस चीज का रेफरेन्स दिया हुआ है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : किस पेज पर ?

श्री बालकृष्ण कौल : In para 31 of the Governor's speech on 14-3-62; जहां उन्होंने कहा था कि वे टैक्स कलेक्शन के तरीकों के ऊपर विचार करने और किस तरह उनको सिम्प्लीफाई करने के लिए एक कमेटी बनाने का विचार कर रहे हैं। तो इसलिये अगर माननीय लीडर ने कहीं भी इस वक्तव्य के आधार पर कोई बयान दिये तो मैं समझता हूँ कि कोई गलती उन्होंने नहीं की, कोई असंगत बात नहीं कही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राज्यपाल महोदय के भाषण में ऐसा कोई अंश नहीं है जैसा उनके वक्तव्य में वित्त मन्त्री बता रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वह तो केवल सेल्स टैक्स का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पृष्ठ बतावेंगे ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने कहा न, पैरा ३१।

इन्हीं माननीय सदस्य ने एक परेशानी दिखाई उन छोटी और स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज के बाबत। कहा, यह जो पांच हजार का सवाल उठा है, कहीं इससे उनके व्यापार में नुकसान

Page No.76

(श्री बालकृष्ण कौल)

न हो । मैं माननीय सदस्य से इतना अर्ज कर दूं कि पहले से एक कमेटी बनी हुई है जो रॉ मैटीरियल में एग्ज़ेम्प्शन करती है और किन किन चीजों में करती है, इसकी एक काफी लम्बी सूची है । इस बात को ख्याल में रखते हुए कोई दिक्कत जैसा वे समझते हैं नहीं होनेवाली है । माननीय नेता इस हाउस के उसके चेयरमैन हैं और कोई ऐसी चीज सामने आवे कि जिसको आप रॉ मेटीरियल समझते हों और उसको एग्ज़ेम्प्शन दिया जाना आवश्यक मानते हों तो आप उसे इस कमेटी के सामने लावें तो वह भी एग्जेम्प्ट कर दी जावेगी, ऐसा मेरा ख्याल है । तो जो ऐसा ख्याल था कि दिक्कत होगी, वह मैं समझता हूँ, मेरे इस वक्तव्य के बाद दूर हो जावेगी और उनकी परेशानी भी हट जावेगी ।

माननीय सदस्यों ने कुछ पैसेन्जर टैक्स के लिये एतराज किया ।

श्री **भैरोंसिंह** : माननीय मन्त्री महोदय क्षमा करें : मैं कुछ बीच में निवेदन करना चाहता हूं । आपने बताया कि कोई लम्बी सूची इसकी बनी हुई है । वह सूची जिस समय सेल्स टैक्स एक्ट बना था तब बनाई गई थी । अब आप कहते हैं कि कोई कमेटी फंक्शन कर रही है और वह सूची घट-बढ़ रही है । तो क्या आप बताने की कृपा करेंगे कि कौन कौन से एडीशन्स और ऑल्टरेशन्स उसमें कर दिये गये हैं ; आप जरा बता दीजिये ?

श्री **बालकृष्ण कौल** : मुझे इसकी खबर नहीं । कोई भी रॉ मेटीरियल का सवाल आवेगा वह कमेटी उस पर विचार करके अपना फैसला देगी । वह नहीं चाहती कि किसी तरह से हमारी स्माल स्केल इन्डस्ट्री खराब हो ।

श्री **मुरलीधर व्यास** : आपने पांच हजार के बारे में जैसे फरमाया तो वह दस हजार से पांच हजार क्या सोच कर किया ? क्या मकसद है इससे आपका ?

श्री **बालकृष्ण कौल** : श्रीमान्, टैक्स हमेशा इस बात का ख्याल करके लगाया जाता है कि टैक्स का इवेज़न न हो और इसके लिये जरूरत इस बात की होती है कि जो बेसिक sources होते हैं, जहां से इवेज़न का डर होता है उसको रोका जावे । तो वे हैं; एक तो इम्पोर्ट और दूसरा मेनुफेक्चर । ये दो स्रोत हैं । अगर यहां से इवेज़न का रास्ता क्लोज़ कर दें तो आपके टैक्स भी ठीक प्राप्त होंगे । इसलिये मेनुफेक्चर का पांच किया । जितने हमारे दायरे में आ सकें और जितनों का हम अधिक से अधिक हिसाब-किताब देख सकें, ले सकें, जितनों को, अधिक को हम अपने रजिस्टर्ड डीलर बना सकें उतना ही अच्छा है, टैक्स का इवेज़न उतना ही कम होगा । यह भावना है इसके पीछे ।

जैसे अर्ज कर चुका कि जो पांच हजार मेन्युफेक्चर का सवाल है वह सवाल सरकार के जेरे गौर है और मुमकिन है अभी किसी न किसी रूप में आपके सामने वह आ जावे । तो इसलिये बावजूद इसके कि जिस सिद्धान्त को हमने मान रखा है कि टैक्स इवेड न हों, उनको सामने रखते हुए, हमने उसकी रोशनी में ये दो चीजें की थीं ।

(श्री बालकृष्ण कौल)

क्योंकि माननीय सदस्यों की यह ख्वाहिश थी कि उसमें मुमकिन है कि हमारी छोटी-मोटी इन्डस्ट्रीज़ खराब न हो जायें इसलिये गवर्नमेन्ट ने इसको री-कन्सीडर किया है और शायद कई चीजें आपके सामने आयें कि जिसके ऊपर सरकार विचार करे।

एक माननीय सदस्य ने एक बड़ा माकूल सवाल उठाया, वह यह कि जिस दिन से चने पर इस टैक्स की घोषणा हुई तो क्या सरकार ने जो स्टॉक्स हैं उनकी गणना का कोई हिसाब, ब्योरा लिया या नहीं ? मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर देना चाहना चाहता हूँ कि यह सेल्स टैक्स है, यह कोई एक्साइज़ ड्यूटी नहीं है। एक्साइज़ ड्यूटी के लिए जरूरी हो जाता है कि स्टॉक्स का ब्योरा लिया जाय, हिसाब लिया जाये ; लेकिन यह सेल्स टैक्स है। यह टैक्स उस समय लिया जाता है जिस समय चीज बिकती है, उस दिन से उस पर टैक्स लिया जायेगा। ट्रान्ज़ेक्शन के ऊपर टैक्स लिया जाता है, स्टॉक पर नहीं। इसलिए माननीय सदस्यों को जो इस बात का खतरा हुआ, मैं समझता हूं कि वह मेरे वक्तव्य के बाद दूर हो जायेगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह अन्देशा इसलिए है कि इसको बेसन बना कर बेचेंगे।

श्री बालकृष्ण कौल : वे कोई भी चीज बेचें टैक्स एक स्टेज पर ही जायेगा; यह मैं क्लियर कर देना चाहता हूं ; या तो चने पर लिया जायेगा या चने का इवेज़न हो जायेगा तो दाल पर लिया जायेगा और दाल पर इवेज़न हो गया तो बेसन पर लिया जायेगा। यह टैक्स सिर्फ एक स्टेज पर ही लिया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और बेसन पर इवेज़न हो गया तो पकोड़ों पर लिया जायेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर चोरी का इजाफा होगा तो होम मिनिस्टर साहब देख लेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Point of information, Sir,

श्री सभापति : आप बाद में पूछ सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस सम्बन्ध में ही है कि क्या आपने चने पर टैक्स लगाने का नोटिफिकेशन इश्यू किया है ? आज तक चने पर टैक्स लगाने का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है।

श्री बालकृष्ण कौल : इसमें नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें डाइरेक्शन की जरूरत है, इन्स्ट्रक्शन्स की जरूरत है और वे इन्स्ट्रक्शन्स जा चुकी हैं डिफरेन्ट ऑफिसर्स के पास।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह कौनसी तारीख को गयी ; कौनसी तारीख को डिक्लेयर की ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, इसमें कोई अन्तर नहीं है, क्योंकि यह टैक्स २६ तारीख को डिक्लेयर हुआ और उसी दिन से वह टैक्सेबल कामोडिटी हो गयी। अब सवाल यह है कि हम उसका टैक्स किस तरीके से

Page No.78

(श्री बालकृष्ण कौल)

वसूल करेंगे ? उस दिन से उस चीज पर टैक्स है और किसी न किसी रूप में वह टैक्स वसूल करेंगे। नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जहां तक टैक्स का ताल्लुक है, मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि टैक्स में इवेज़न नहीं हो सकता।

श्री **मानिकचन्द सुराणा** : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, माननीय वित्त मंत्री महोदय मान चुके हैं कि उन्होंने ग्राम का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव डाइरेक्शन्स जारी की हैं। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय के इंगलिश भाषण में और हिन्दी के भाषण में बहुत फर्क है। इंगलिश में आपने पल्सेज़ इन्कलुडिंग ग्राम कहा है और हिन्दी में चना और चने की दाल कहा है; जब कि वास्तव में उनकी नीयत चने पर लगाने की नहीं है; चने की दाल बन जाये तब उस पर टैक्स लगाने की मंशा है।....

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य पूरी तरह से नहीं समझे....

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कह देना चाहता हूँ कि आपने जो भी कहा है, यह मैं समझता हूँ कि सही नही है। आपने चने के लिए नोटिफिकेशन इश्यू किया और वह नोटिफिकेशन आपकी जानकारी के लिए यदि आप कहें तो पढ़ कर सुना दूं। आपने २६ मार्च, ६२ को नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें आपने पल्सेज़ को डिलीट किया है। आप चाहें तो आपकी जानकारी के लिए पढ़ कर सुना दूं....

श्री मानिकचन्द सुराणा : चना जो वह पल्सेज़ में शामिल नहीं होता।

श्री बालकृष्ण कौल : उस चीज की जरूरत नहीं है, जिसको मैंने अर्ज किया....

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : The Finance Minister has given a wrong statement to the House, therefore necessary action should be taken against him. A member who has come from Jaipur...

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, ज़रा तसल्ली रखिये....

श्री भगराज : Point of order, Sir, the Hon'ble member who is coming form Jaipur has told the House that a statement regarding tax on gram was issued by the Finance Minister on 26 th March, i. e. the day when taxes were proposed, but just 5 minutes back, the Finance Minister told us that he has not issued any notification in that connection and has simply given directions to all concerned. So I think he has given wrong statement to the House and, therefore; necessary action should de taken against him.

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, माननीय सदस्यों ने मेरे बयान को पूरी तरह समझा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिये, माननीय सभापतिजी।

श्री सभापति : आप कह रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, हम आपकी तरफ से व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया गया है उस पर आपकी तरफ से यह व्यवस्था तो हो जाये कि वाकई में मंत्री महोदय ने अभी ५ मिनट पहले यह बात कही कि हमने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला और इन्सट्रक्शन्स दी है और उसके बावजूद नोटिफिकेशन आ गया तो यह स्पष्ट होना चाहिये और इसके लिए हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि मंत्री महोदय ने हाउस को गुमराह किया····

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मेरे कहने का मकसद था····

श्री भगराज चौधरी : Point of order has to be disposed of.

श्री सभापति : It is no point of order.

श्री निरन्जननाथ आचार्य : He has already disposed it of.

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने जिस दीगर नोटिफिकेशन का जिक्र किया वह वो नहीं है जो कि २६ को निकला है ; जिसमें पल्सेज इन्कलुडिंग ग्राम लिखा है। मैंने उस ऑर्डर का जिक्र किया है जो कि दाल के सम्बन्ध में है।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको फिर करेक्ट करता हूं कि नोटिफिकेशन मे पल्सेज़ इन्क-लुडिंग ग्राम नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : पल्सेज हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सिर्फ पल्सेज़ का है, ग्राम का नहीं है और ग्राम पर ग्राम की शक्ल में सेल्स टैक्स लेने का अधि-कार नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : 'पल्सेज़' में ही इन्कलुडेड है 'ग्राम'। श्रीमान्, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान····

श्री मुरलीधर व्यास : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर जो रेज़ किया गया है उसका निर्णय होना चाहिए।

श्री सभापति : मैं उसके लिए व्यवस्था दे चुका हूं। There is no point of order in it. You can seek information later on.

श्री मुरलीधर व्यास : पोइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि इस प्रकार से गलत बात सदन में कह देना।....

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर आप शान्ति से सुनें तो जरा मालूम हो जायेगा।....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अशांति तो आप कर देते हैं, गलत बात कह कर।

श्री बालकृष्ण कौल : इतनी जल्दी आप अशान्त हो जाते हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : शांति से क्या; आप कहें तो परम शान्ति से सुनना शुरु कर दें।

श्री बालकृष्ण कौल : अगर आपको परम शान्ति मिल जाये तो बहुत ही अच्छा है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : 'ग्राम मीन्स पल्सेज़' हमने तो किसी डिक्शनेरी में नहीं पढ़ा है।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य का ध्यान मैं जरा अंग्रेजी की डिक्शनेरी वेब्सटर की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिससे उनको मालूम हो जायगा कि पल्सेज़ की क्या डेफिनिशन है; क्या मायने है। शायद मालूम यह होता है कि माननीय सदस्य ने उस चीज की कोशिश नहीं की उस लफ्ज को समझने की जो उनके लिए एक फिरंगी लफ्ज है। इसलिए यह सारा घोटाला हो रहा है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तभी तो यह सारा घोटाला हो रहा है।

श्री बालकृष्ण कौल : इस तरह का यह मिसअण्डरस्टैंडिंग है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : In this House, there is no 'ghotala'. 'Ghotala' may be somewhere else.

श्री हीराभाई : घोटाला तो १९४७ में अंग्रेजों को भगा दिया तब से आगे समझा दें।

श्री बालकृष्ण कौल : घोटाला....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : घोटाला नहीं, गड़बड़ घोटाला नजर आता है।

श्री बालकृष्ण कौल : मेरे दिमाग में तो घोटाला है, आपके दिमाग में गड़बड़ घोटाला होगा।

श्री भैरोंसिंह : जिनके दिमाग में घोटाला और गड़बड़ घोटाला है, वे हाउस में क्यों बैठते हैं ?

श्री हरदत्तसिंह : On a point of information, Sir. मैं वित्त मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे सदन के सामने यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि चने पर उनका सेल्स टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा और अगर लगेगा तो वह नोटिफिकेशन कब कैन्सल करेंगे या कैन्सल कर दिया है ? यह स्थिति हाउस के सामने स्पष्ट हो जानी चाहिए।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, अगर शान्ति से आप लोग सुनें तो मालूम हो जायेगा कि जो नोटिफिकेशन है वह रहेगा और उसी नोटिफिकेशन को समझने की जरूरत है। उसमें 'पल्सेज़' लिखा हुआ है और 'पल्सेज़' में ग्राम आता है, मोठ आता है; ये सब चीजें आती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : चना-दाल लिखने की क्या जरूरत थी, पल्सेज़ में आता है; तो आता है, चना लिखने को क्या जरूरत है ?

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्यों को समझाने के लिए कहना पड़ रहा है। यदि

Page No.81

(श्री बालकृष्ण कौल)

माननीय सदस्य समझते होते तो मुझे डिक्शनेरी की तरफ उनकी तवज्जह नहीं करनी पड़ती।

श्री भैरोंसिंह : On a point of privilege, Sir, जो जनरल रिमार्क माननीय मन्त्री ने पेश किये हैं कि माननीय सदस्य यदि समझते तो इस प्रकार से इन्क्लुडिंग ग्राम लिखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय की ज्यादा जानकारी हो सकती है, लेकिन कॉमन सेन्स वाला आदमी इतनी जानकारी लेकर चल सकता है कि पल्सेज़ में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं। पल्सेज़ के आगे लिखा है, 'पल्सेज़ इन्क्लुडिंग ग्राम' तो यह उनकी जानकारी का अभाव हो सकता है, यह जानकारी कराने का अभाव है। इसलिए जनरल स्वीपिंग रिमार्क पेश करना जरा शोभा की बात नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो प्रिविलेज की बात नहीं है, शोभा की बात है।

श्री भैरोंसिंह : यह बिल्कुल ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का क्वेश्चन है। उस जनरल रिमार्क से सदस्यों को डिमोरेलाइज़ नहीं कर सकते हैं कि जानकारी नहीं होने के कारण उनको इस बात को लिखना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि यह हाउस पर एक प्रकार का स्ट्रिक्चर है कि हाउस को मालूम नहीं है, डिक्शनेरी नहीं है, जानकारी के लिए डिक्शनेरी पास में नहीं रखते, इसलिए मंत्री महोदय को सुपरफ्लुअस वर्ड्स एड करके लीगल कॉम्प्लीकेशन्स खड़ी करने की आवश्यकता महसूस हुई है।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय अपने आपको स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका क्लेरिफिकेशन नहीं हुआ है, बार बार कहे जाने पर भी।

श्री सभापति : क्लेरिफिशन देने का मौका दें तो करें।

श्री मुरलीधर व्यास : वे क्लेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। दूसरी बातों पर आ जाते हैं; दाल और पल्सेज़ के बारे में क्या है ?

श्री सभापति : इसके बारे में स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जहां तक....

श्री सभापति : Order ! Order !!

श्री मुरलीधर व्यास : स्पष्टीकरण करते समय दाल और पल्सेज़ के सम्बन्ध में जो अंग्रेजी की डिक्शनेरी में पल्सेज़ शब्द से जो चीज़ लेते हैं, मोठ के मायने में लेते हैं, चने के शब्द को लेते हैं, इस प्रकार की मंशा है तो वैसा क्लियर कर देना चाहिए और नहीं तो जैसा उन्होंने सदन में दाल को अलग रखा है, और चने को अलग रखा है, मैंने एक प्रश्न भी किया था तो उन्होंने यह कहा था कि मोठ है, यह चीज अलग है; इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मुमकिन है कि बीकानेर में अलग बताया जाता हो और दूसरी जगह दूसरा इन्टरप्रिटेशन लेकर बताया जाता हो। माननीय मंत्री महोदय का बिल्कुल स्पष्ट स्पष्टीकरण होना चाहिए ताकि सदन जानकारी प्राप्त कर सके।

Page No.82

श्री सभापति : इन्हीं बातों का तो वे स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं पहले कह चुका हूं, फिर भी दोहरा देता हूं कि पल्सेज़ में पूरे ग्राम भी आते हैं, मोठ भी आते हैं और उनकी दालें भी आती हैं। अब जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका था कि सरकार की नीति एक ही स्टेज पर टैक्स लगाने की है इसके मायने यह समझ लें कि अगर चने पर टैक्स लग गया तो बाकी जो उसके रूप हैं उन पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर मोठ पर वसूल हो गया तो बाकी जितने उसके रूप हैं, उन पर नहीं होगा ? इसलिए मैं पहले भी अर्ज कर चुका था और आज इस वक्त भी अर्ज कर रहा हूँ कि एक स्टेज पर....

श्री मुरलीधर व्यास : यह स्पष्ट क्या है कि उस पर लग गया तो उस पर नहीं लगेगा ? किस पर लगाना चाहते हैं, यह तो कह दें ? चने की दाल पल्सेज़ में नहीं है, इस पर लग गया तो यह समझा जाय; आपका क्या स्पष्टीकरण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : चेयरमैन महोदय, मैं यह समझता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय अपनी बात पूरी नहीं कर पाते हैं और बीच में ही इन्टरप्शन हो जाता है। अच्छा हो कि एक बार उनकी पूरी बात सुन लें, उसके बाद में इन्फौर्मेशन सीक करें अलग सवाल करके। मंत्री महोदय एक प्रश्न खत्म नहीं कर पाते कि दूसरा उठ जाता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य मेहरबानी करके जो कुछ कह रहे हैं वे उसको सुन लें।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्रीजी से यह बात १५ मिनट से चल रही है। स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। १० दफा वे बोल चुके हैं फिर भी स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। इसलिए स्पष्ट करें। आपके आने के पहले से यह प्रश्न चल रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : १० मिनट तो दूसरों ने समय ले लिया।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस स्थिति को स्पष्ट कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, मैं फिर निवेदन कर देना चाहता हूँ। एक ही स्टेज पर अगर किसी चीज पर लगा होगा और यह साबित हो जायगा कि मोठ पर लग चुका है तो उसको दूसरे रूप पर नहीं लगेगा। अगर मोठ पर इवेड कर लिया गया और पकड़ लिया गया कि इवेड किया है तो उसकी दाल पर लगेगा....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : फर्स्ट पोइन्ट पर है ?

श्री बालकृष्ण कौल : फर्स्ट पोइन्ट पर नहीं, फर्स्ट स्टेज पर है; इसलिए टैक्स एक ही दफा लिया जायगा। अगर कोई इस प्रकार ग्राम को इवेड करके बच जाय तो दाल पर लगेगा। मगर टैक्स नहीं छूटेगा, मतलब यह है लफ्ज़ का।

श्री मुरलीधर व्यास : पता कैसे लगेगा ?

Page No.83

श्री हरदत्तसिंह : यह कैसे पता लगेगा कि वह पर्टिक्युलर चने की ही दाल है। इसलिए दाल को छोड़ कर खाली चने पर ही रख दें।

श्री सभापति : पता लगाने का काम सरकार पर छोड़ दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : Point of information, Sir, कल जब मैं बोल रहा था तो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि चने पर जो टैक्स है उसका भार किसान पर नहीं पड़ेगा जब कि अभी यह कहा जा रहा है कि फर्स्ट पोइन्ट पर लगेगा तो डाइरेक्ट किसान पर बोझा आयेगा; जब कि वह चना बेचने आयेगा तो उससे सेल्स टैक्स लिया जायगा।

श्री बालकृष्ण कौल : उसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री दूसरे पोइन्ट पर चलें। इस विषय पर पहले १०-५ मिनट सोच लें उसके बाद में कहें।

श्री बालकृष्ण कौल : आज सोच नहीं सकता। अगर सोचा होता तो माननीय सदस्य जिनको अभी तक इसका अन्देशा है वह सारा समझ चुके होते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्री महोदय ! स्पष्ट नहीं हो रहा है। चने की दाल बन गई तो क्या एक एक दाल पर मोहर लगायेंगे जो यह साबित करेगी कि वही चने की दाल है।

और दाल का बन गया मैदा तो क्या उस पर भी वसूल होगा ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : दाल का मैदा नहीं होता, मैदा गेहूँ का बनता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दाल का बेसन बन गया, तो क्लियर कीजिये ?

श्री बालकृष्ण कौल: बेसन यदि उस वक्त बना कि पहले टैक्स नहीं लगा है तो बेसन पर लगेगा। माननीय सदस्य यदि ट्रान्ज़ेक्शन को समझें....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप ऐसा नियम क्यों बना रहे हैं जिसे आपके एम. एल. एज़. नहीं समझें तो आम जनता कैसे समझेगी ? यहां ही इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है कि चुने हुए नुमाइन्दे नहीं समझ सकते, इतना कॉम्पलीकेशन किया जा रहा है....

श्री बालकृष्ण कौल : कॉम्प्लीकेशन नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इसको स्पष्ट कीजिये। एक चीज पर लगाइये जो समझ में आनेवाली हो।

श्री सभापति : Try to understand.

श्री सतीशकुमार शर्मा : (अश्रव्य)

श्री सभापति : Order please ! आप स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : यदि बेसन पर नहीं लगा तो उसके पकोड़े बनेंगे उन पर लगेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं थोड़ी सी इजाजत चाहता हूं, मन्त्री महोदय को बताने

(श्री मुरलीधर व्यास)

के लिये कि गड़बड़ क्यों हो रही है। किसान बाजार में मोठ लेकर आया और व्यापारी ने उससे खरीद लिया। वहां पर तो व्यापारी ने जिस समय खरीदा उस समय तो किसान से टैक्स लेने का सवाल नहीं रहा और जब किसी दूकानदार को बेचा तो उसने कहा कि मैं माफ करता हूं; तो क्या करेगा ? मैं जानता हूं वैसे तो वह किसी को भी छोड़ देगा तो नतीजा क्या निकलेगा, रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिये इस पर पूरी तरह से सोच कर मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री सभापति : आप कृपया स्पष्टीकरण कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक प्रश्न और है जिसका मन्त्री महोदय साथ हो उत्तर दे दें तो अच्छा हो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थिति यह है कि चने की डेफिनिशन डिक्शनेरी में कुछ भी हो, लेकिन यह वास्तविकता है कि चना सीरियल्स की तरह भी इस्तेमाल में आता है और दाल के तौर पर भी। आपका इन्टेन्शन सीरियल्स पर टैक्स लगाने का नहीं है और दाल को टैक्स करना है। अब आप सीरियल्स पर टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं तो साबुत चना रहे उस पर सेल्स टैक्स नहीं लेना चाहिये। टुकड़े बना कर दाल करें तो टैक्स लगना चाहिये यदि आप पल्सेज पर लेना चाहते हैं। यदि आप सीरियल्स पर नहीं लेना चाहते हैं तो जो नीति है और गेहूं, जो आदि मुस्तसना रहे हैं तो चना ही ऐसा है, मोठ और मूंग को यह स्थिति नहीं है, सीरियल्स के तौर पर यही इस्तेमाल होता है....

श्री मुरलीधर व्यास : मोठ भी खाते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मोठ भी हो सकता है। तो जो सीरियल के तौर पर, आटे के तौर पर रोटी में इस्तेमाल होता है उसको मुस्तसना करें और जो दाल के तौर पर इस्तेमाल होता है उसको टैक्स करें, ऐसा प्रोविज़न करें।

श्री बालकृष्ण कौल : जो स्पष्टीकरण किया जा रहा है उसका उद्देश्य यह है कि किसी तरह से चना बच जाय टैक्स से। मैं अर्ज कर दूं कि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि टैक्स कहां से देना शुरू होगा; उस जगह से होगा जो रजिस्टर्ड डीलर्स हुए हैं। वे किस रूप में बेचते हैं, किसको बेचते हैं, फिर दाल, मोठ, बेसन, इन चीजों का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन यदि माननीय सदस्य टैक्स के विरोध में स्पष्टीकरण चाहते हैं तो आपका वित्त मन्त्री....

श्री मुरलीधर व्यास ; लाचार है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी स्पष्टीकरण नहीं करना चाहते हैं तो सोचने का टाइम दे दिया जाय।

श्री सम्पतलाल बोहरा (मावली) : आप इजाजत दें तो मैं स्पष्टीकरण कर दूं।

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं अर्ज कर रहा था, एक माननीय सदस्य ने इस टैक्स को सिम्प्लीफाई करने का सुझाव रखा।

(श्री बालकृष्ण कौल)

वह यह रखा कि खास तरह का एक टिकट हो जो उस चीज पर लगा दिया जाय ताकि टैक्स का इवेज़न न हो और जो लम्बा तरीका है रेकॉर्ड रखने का उससे बच जायं ट्रेडर्स। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुझाव तो बहुत अच्छा है और जो तरीका है वह एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स में चलता है लेकिन सरकार को यह देखना होगा कि क्या यह तरीका दूसरी चीजों पर भी लागू हो सकता है, चल सकता है और इसमें क्या दिक्कत है और इसको देखने के बाद सरकार यदि इस निर्णय पर आई कि वह तरीका मुमकिन है तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि सरकार को मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी।

एक माननीय सदस्य ने, श्रीमान्, सुझाव दिया यहां कि टैक्सेज़ लगाये जायं फोर्वर्ड ट्रान्जेक्शन्स पर। मैं माननीय सदस्यों से अर्ज कर दूं कि यहां इस किस्म के टैक्सेज की किसी स्टेज पर इजाजत नहीं है। यह सेन्ट्रल टैक्स हो सकता है। इसलिये बावजूद इसके कि वह एक बड़ा अच्छा सुझाव था, मैं इसे मानने के लिये, क्योंकि मेरी ताकत में है नहीं, इसलिये कासिर हूं।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि टैक्सेज़ को ज्यादा न बढ़ाया जाय और सरकार का ध्यान उन डिपार्टमेन्ट्स की तरफ उन्होंने आकर्षित किया जो सरकार में रेवेन्यू लाते हैं। मैं उन माननीय सदस्यों को निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस तरफ पहले से ही था और खास कर जब आपने यह ध्यान दिलाया है तो सरकार उससे पीछे नहीं रहेगी; हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वे डिपार्टमेन्ट्स जो इस स्टेट में रेवेन्यू लाते हैं, जहां तक मुमकिन है उनमें इवेज़न न हो और पूरी तरह से आवे और खर्च कम से कम हो। लेकिन एक बात की ओर उन्होंने और ध्यान दिलाया; वह यह कि जिन डिपार्टमेंट्स में इस किस्म का तालमेल नहीं है फाइनेन्स डिपार्टमेंट से उनमें तालमेल बैठाया जाय। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इस फाइनेन्स डिपार्टमेंट का यह पूरा विचार है कि उनसे पूरा सहयोग लेकर जितना स्टेट को फायदा हो सके वह फायदा करे।

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि करीब करीब जितनी आपत्तियां उठाई गई थीं....

एक माननीय सदस्य : पैसेन्जर टैक्स पर क्या कहना है ?

श्री रामकिशन (बैर) : तिलहन पर क्या रहा ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि तिलहन पर रहेगा।

श्री रामकिशन ; क्या क्या चीजें शामिल हैं तिलहन में ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, कुछ गलतफहमियां माननीय सदस्यों की हैं, शायद कुछ लोगों को; वे इस बात की कि जो यहां से हमारी एक्सपोर्ट होती है, वे यह समझते हैं कि उस पर शायद दो परसेन्ट टैक्स हो जायगा। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं उस एक्सपोर्ट में हमारी कोई वृद्धि नहीं हुई है, सिर्फ उस तिलहन पर, जो डॉमेस्टिक कन्ज़पशन में

(श्री बालकृष्ण कौल)

आती है, उस पर अलबत्ता १ प्रतिशत के बजाय २ प्रतिशत कर दिया है....

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आपके भाषण में जरूर बजता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : What about the Co-operative societies ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, एक माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान खींचा उस लिमिट पर कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए मुकर्रर की है और ज्यादा जोर उनका था कि उसमें हायर्ड लेबर पर जो एक शर्त लगा रखी है उसको निकाल दिया जाय। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो उद्देश्य है, जो सिद्धान्त है, उस सिद्धान्त को सामने रखते हुए ही वह कन्डीशन रखी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में वे वे आदमी होने चाहिए कि जो खुद काम करते हैं और उस काम का वे फायदा उठायें। लेकिन जो हायर्ड लेबर रख कर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, मैं समझता हूँ कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का सिद्धान्त है, उसके विपरीत पड़ती हैं; इसलिए....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गवर्नमेंट यह समझती है कि राजस्थान में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, वे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सिद्धान्त के खिलाफ बनी हुई हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : मैं वही समझता हूं, जो आप समझते हैं। इसलिए मैं आप से अर्ज कर दूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो आप दोनों समझ रहे हैं। वह हम नहीं समझ रहे हैं, साहब।

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो आपका कसूर है ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा समझना ठीक है तो मैं यह समझता हूँ कि आप फाइनेन्स के मामले में कुछ नहीं जानते।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस प्रकार हम भी समझ सकते हैं कि आप भी नहीं जानते इस मामले में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दोनों के दोनों एक से हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य आवेश में न आयें........

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने आवेश में आकर कहा है। आवेश में आने की बात है।

श्री बालकृष्ण कौल : फाइनेन्स मिनिस्टर इस भाष। में नहीं बोल सकता। आपको अधिकार है, आप चाहे जिस भाषा का इस्तेमाल करें; क्योंकि आप पर प्रिविलेज मोशन नहीं होता है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि उनको आदत है अदालत में कन्फेशन कराने के तरीके से सवाल-जवाब करने की....

Page No.87

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी क्या आदत है?

श्री बालकृष्ण कौल : मुझे आदत है नॉन-कमिटेड रिप्लाई करने की।

मैं समझता हूं कि करीब करीब मैंने, जो मेरे सामने प्रश्न उठे थे, अपने लिहाज से जवाब दे दिया है....

श्री हरिराम (तिजारा) : पैसेन्जर टैक्स के बारे में नहीं कहा।

श्री मुरलीधर व्यास : एक यह रह गया है; आपने कहा था बजट स्पीच में कि पचास हजार से अधिक टर्न ओवर होता है कि एक दफा सेल्स टैक्स का हिसाब देखना पड़ेगा, उसके बाद दो साल में देखने की आवश्यकता नहीं है, बजट स्पीच में यह है और फाइनेन्स बिल में इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैं अर्ज कर दूं कि इसका स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है। कानून में यह दिया हुआ है कि किस तरीके से असेसमेंट हो और यह सरकार का अधिकार होता है कि उस सेक्शन के लिहाज से किस तरीके से असेसमेंट करे। किस तरीके से करें, यह एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और जैसा मैंने अर्ज किया आपके सामने, ओन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस, वही तरीका है। इसके लिए कोई नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने क्लेरिफिकेशन नहीं किया कि पैसेन्जर टैक्स के सम्बन्ध में जो कहा गया था कि ग्रामीण जनता है और गांव के रास्ते जहां कच्चे रास्ते हैं वहां पर जो टैक्स लगाया है वह वहां पर नहीं लेंगे; क्योंकि पहले से ही उन रूट्स के ऊपर माइलेज के हिसाब से पैसा ज्यादा लिया जाता है और फिर उसके ऊपर टैक्स बढ़ जाता है तो ग्रामीण लोगों के ऊपर उस आधार पर टैक्स ज्यादा हो जाता है। तो यह ऐसा बुनियादी पोइन्ट था जिसे सरकार को विचारना था कि कच्चे रास्ते पर जहां पहले एक रुपया लगता था वहां एक रुपये की जगह दो रुपया लगता है, तो फिर आपका टैक्स उस हिसाब से रुपये के हिसाब से बढ़ जाता है। तो पांच पैसे कच्चे रास्ते पर कम करने के लिए अर्ज किया था। इस सम्बन्ध में क्लेरिफिकेशन नहीं किया।

श्री बालकृष्ण कौल : क्लेरिफिकेशन हर चीज का हर एक माननीय सदस्य को नहीं कर सकता; क्योंकि हम फैसला कर चुके हैं और जरूरत है कि पांच पैसे बढ़ाये जायं हमने चारों तरफ देखा कि वहां ज्यादा है। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं और हमने कर दिया। मैं यह भी कह देना चाहता हूं.......

श्री हरिराम चौहान : यह बतायें कि २० परसेन्ट किस....

श्री बालकृष्ण कौल : और किस बात से आपको सेटिसफाई करूं....

श्री हरिराम चौहान : यह बतायें कि २० पर्सेन्ट किस प्रान्त में है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्लेरिफिकेशन की जरूरत है, सेटिस्फेक्शन की जरूरत नहीं है।

श्री बालकृष्ण कौल : यह मान लीजिये कि जो एक आपकी ओर से स्टेटमेंट दिया है, उतने तक मुझे कहने का अधिकार था और मैं कह सकता था....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of order

श्री मुरलीधर व्यास : आपने....

श्री सभापति : श्री ज्वालाप्रसाद ।

श्री मुरलीधर व्यास : समान रूप से असर पड़ना चाहिए टैक्स का; यह नीति रखी है कि समान रूप से असर पड़ना चाहिए। अब पांच पर्सेन्ट बढ़ाते हैं तो उस पर पांच पर्सेन्ट बढ़ता है। आप जो टैक्स बढ़ाना चाहते हैं उसका नतीजा यह होता है; क्योंकि उस रूट पर, वे कच्चे रूट होने की वजह से, जो मोटर मालिक थे उनको ज्यादा पैसा वसूल करने का आपने अधिकार दिया है। वे जो पैसा ज्यादा वसूल करते थे वह उनके लिए था। परन्तु यह पर्सेन्ट जो पांच पर्सेन्ट बढ़ाया है यह पैसेन्जर टैक्स, उस रास्ते पर, जो मोटरों में जाते हैं, उन पर भी ज्यादा टैक्स बढ़ता है। और यह समान रूप का नहीं हुआ। तो अब आप समानता का दृष्टिकोण रखते हैं तो जब ज्यादा टैक्स होता है तो उस पर सोचना चाहिए।....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़! आपने तो बहस शुरु कर दी।

श्री मुरलीधर व्यास : तो इस पर आपको सोचना चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : On a point of Clarification, Sir, १ करोड़ ८७ लाख की जरूरत थी। उसके बाद हमने टैक्सेज़ में कुछ हेरफेर किया, कैटल पर बढ़ाये गये टैक्स को हटाया और विलायती शराब पर लगाया। उस हिसाब से जो कमी थी, १,८७,००,०००) रुपये की इस प्रकार पूरी की....

कई माननीय सदस्य : १ करोड़ २७ लाख।

(१२. मध्यान्ह)

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : १ करोड़, २७ लाख। परन्तु आज की स्थिति में आपके टैक्स बदल गये। इसलिए आज की स्थिति में आप बतलाने की कृपा करें कि किस तरीके से घाटे की पूर्ति की है? विलायती शराब से कितनी आमदनी की, कैटल टैक्स को छोड़ दिया है, उसके कारण किस तरह कितना गया और उसकी किस तरह से पूर्ति की? इस स्थिति को साफ कर दें कि किस तरह का वजन पड़ रहा है जनता के ऊपर?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान्, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि जो अधिकार इस सदन ने दिया है, उस अधिकार का मैं यहां भंडाफोड़ कर दूं। मैं इतना आश्वासन....

एक माननीय सदस्य : भंडाफोड़ का काम नहीं करना चाहिए।

श्री बालकृष्ण कौल : पर यह आश्वासन दे देना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को कि आपके वित्त मंत्री को जो अधिकार दिये हुए हैं, उसी सीमा में रह कर काम करेगा, जो भी करेगा वह सीमा के अन्दर करेगा........

Page No.89

श्री हरिराम चौहान : मैं यह जानना चाहता हूं।....

श्री सभापति : Order please !

श्री हरिराम चौहान : यह बता दें।....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा :- हांडा फोड़ने से मुझे भय होता है।

श्री हरिराम चौधरी: मैं जानकारी करना चाहता हूं कि २० पर्सेन्ट पैसेन्जर टैक्स कहां है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! आप अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक........

श्री मुरलीधर व्यास : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरा यह है........

श्री निरंजननाथ आचार्य : When the question has been put to vote there should be no point of order.

श्री मुरलीधर व्यास : यह इसलिए....

श्री निरंजननाथ आचार्य : When the question has been put...

श्री मुरलीधर व्यास ; क्वेश्चन पुट करने के बाद नहीं किया गया है, यह उसके पहले मैंने........

श्री सभापति ; Order please ! आप आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य ! अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरलीधर व्यास : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मैंने रखा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मुरलीधर व्यास : क्वेश्चन रख देंगे तो फिर पोइन्ट ऑफ ऑर्डर का महत्व नहीं होगा।

टैक्स बढ़ रहा है जनता के ऊपर। हम पूछना चाहते हैं कि बाकी के प्रांतों के अन्दर की लिस्ट हमें दी जाय जहां २० पर्सेन्ट टैक्स लगा रखा है।

श्री सभापति : सरकार की तरफ़ से स्पष्टीकरण हो चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति जी, टैक्सेज़ के बारे में जो प्रोपोज़ल्स हैं, उनको फाइनल स्टेज पर लेते हैं, उसके पहले उनके बारे में बतावें....

श्री सभापति : Under what rule you are going to move that motion ?

श्री मुरलीधर व्यास : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है....

श्री सभापति : Under what rule ?

श्री मुरलीधर व्यास : रूल्स। यह तो हाउस के रूल्स के अन्तर्गत है। मैं किताब लाया नहीं हूं....

श्री सभापति : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ ! कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य अब रूल्स देख रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे देखे हुए हैं। अब नम्बर याद नहीं रहा है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, १६६२ को विचारार्थ लिया जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

'Ayes' have it

कुछ माननीय सदस्य:'Noes' have it

श्री मुरलीधर व्यास : जब तक साफ नहीं होती दो-चार बातें....

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : हम डिवीज़न क्लेम करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : We oppose the Finance Bill completely and claim division.

श्री रामानन्द अग्रवाल : 'ना' पक्ष जीता है साफ तौर पर।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! डिवीज़न क्लेम करना चाहते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : टैक्सेज़ का सवाल है, उसका स्पष्टीकरण मांगते हैं। उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, मनमाने तरीके से बात होती है। कोई बात है तो उसका जवाब मिलना चाहिए।

श्री सभापति : जवाब दिया है। आप उससे सन्तुष्ट नहीं हों तो यह दूसरी बात है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, १६६२ को विचारार्थ लिया जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

कुछ माननीय सदस्य : 'Noes' have it.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Point of order, Sir, there can be no division at the stage of consideration of the Bill. This would be a bad precedent. It is in the interest of the Opposition that they should not claim a division at the stage of consideration or introduction.

श्री मुकुटबिहारीलाल : ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य जब बोलते हैं तो वे चेयरमैन की बात नहीं कह कर अपनी बात कहते हैं। अभी भी माननीय सदस्य यह समझते हैं कि वे डिप्टी स्पीकर हैं। अभी डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : My Hon'ble Member should understand my appeal to the Chair.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : I think, we are entitled to claim a division at this stage also.

श्री सभापति : I will again put the motion to vote.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह गलत प्रिसिडेन्ट होगा, अगर इस समय इस पर डिविज़न लिया जाएगा। मैं यह कहूंगा कि इससे ज्यादा नुकसान अॉपोज़ीशन को होने वाला है। दूसरी जगह ऐसा नहीं होता है। इससे यह होगा कि प्राइवेट बिल पर जब विचार होता है तो उस समय हमको भी मौका मिलता है। इसलिये यह प्रोसीजर गलत है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : हम इस पर डिविज़न लेने की बात को वापिस लेते हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इसको विचारार्थ लिया जाए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल को थर्ड स्टेज पर लेने से पहले इसे क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जाए। इस सम्बन्ध में यह कहा जाएगा कि एमेन्डमेन्ट नहीं आये हैं, मगर फिर भी क्लॉज़ेज़ को डिलीट करने की बात है, इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जावे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : रूल ७१....

श्री सभापति : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीडरेशन होगा।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं क्लॉज़ २ पर बोलना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, अभी अभी माननीय वित्त मन्त्री ने केजुअल ट्रेडर के सम्बन्ध में कुछ बातें बताईं और उनको राय ऐसी थी कि कई माननीय सदस्यों द्वारा और सदन के बाहर भी यह महसूस किया जाता है कि टैक्सों का लीकेज होता है, इसे रोका जावे और इसके लीकेज को रोकने के लिए ही यह रखा गया है....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : चेयरमैन महोदय, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आप किस क्लॉज़ को डिलीट करने पर बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं क्लॉज़ दो को डिलीट करने के बारे में बोल रहा हूँ।

एक माननीय सदस्य : कौन से क्लॉज़ पर ?

श्री भैरोंसिंह : दो पर।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) :

क्या इस स्टेज पर बोला जा सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : I am simply opposing for its deletion.

(श्री भैरोंसिंह)

तो यह निवेदन कर रहा था कि सदन के कई माननीय सदस्यों ने केजुअल ट्रेडर की जो डेफिनिशन की है और जिस प्रकार की परिभाषा की है उस परिभाषा पर आपत्ति करते हुए सरकार से निवेदन किया था कि यह परिभाषा जो रखी गई है यह बहुत ही वेग है और इस परिभाषा से कई दिक्कतें लोगों को होगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को या गवर्नमेंट के अधिकारी किसी भी व्यक्ति को परेशान करना चाहेंगे और जिस समय परेशान करने की उनकी इच्छा होगी तो केजुअल ट्रेडर की डेफिनिशन में फंसा कर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही फौरन कर सकेंगे। मगर मुझे हमारे वित्त मन्त्री के भाषण को सुन कर बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने यह कहा कि हम टैक्स के लीकेज को रोकने के लिए इसको रखना चाहते हैं। मैं उनकी यह दलील नहीं समझ पाया कि इस प्रकार से वे टैक्सेज़ के लीकेज को कैसे रोक पायेंगे? उन्होंने गलियों में छोटी छोटी दूकानों की मिसाल दी और दूसरी मिसाल उन्होंने मेलों में दुकानों की दी कि ये जो छोटे छोटे हॉकर्स हैं, केजुअल ट्रेडर्स की परिभाषा में आते हैं, मगर वे टैक्स नहीं देते और इस प्रकार टैक्सों का लीकेज होता है वह इसके द्वारा रुक जाता है। मैं फाइनेन्स मिनिस्टर को बताऊं कि जो लोग टैक्स की परिधि में नहीं आते उनको टैक्स देने की परिधि में लाने के लिए यह रखा गया है। उनके यह परिभाषा रखने का मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति, टैक्स जो इम्पोज़ किये गये हैं उनसे बच न जावे। आज डीलर को टैक्सेबल करते हैं। मगर सेल्स टैक्स है वह चीजों के सेल्स और पर्चेजेज़ के आइटम पर यह टैक्स इम्पोज़ किया है। आज मैं यह कहता हूँ कि यह कानून सरकार बना ले, मगर हाई कोर्ट में इसको चैलेन्ज किया जावेगा और फिर सरकार को इस मंशा को वापिस लेने के लिए मजबूर किया जावेगा। सरकार को सेल्स और पर्चेज़ेज़ पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। अगर सरकार चाहे तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल क्वोट कर सकता हूँ कि श्री एस. पी. मेहता, एडवोकेट ने कहा है कि किसी भी ट्रेडर को परिधि में नहीं ले सकते हैं। उसके सेल्स एण्ड पर्चेज़ेज़ को ले सकते हैं; लेकिन जो परिभाषा आपने दी है वह केजुअल ट्रेडर की यह कह कर चल सकते हैं कि वे सारे के सारे लीकेज के लोग थे। ये लीकेज वाले लोग नहीं थे मगर ऐसे लोग हैं जो लोग....

श्री सभापति : माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री भैरोंसिंह : समय का ध्यान है। मगर सरकार की जो कार्यवाही है उसका भी ध्यान रखना है। " 'Casual trader' means a person who has, whether as principal, agent or in any capacity, occasional transactions of a business nature involving the buying, selling, supply or distribution of such goods as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette whether for cash or for deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration."

अब आप जरा डीलर की परिभाषा देखें और केजुअल ट्रेडर की परिभाषा देखें। दोनों का अन्तर इस बात को स्पष्ट करेगा कि केजुअल ट्रेडर्स केवल इस प्रकार के बिज़नेस करने वाले

(श्री भैरोंसिंह)

छोटे छोटे व्यापारी, दूकानदार हैं, उनको फंसाने की चेष्टा कर रहे हैं। इससे सरकार को आमदनी हो, ऐसी बात नहीं है, आमदनी सरकार की गिरेगी, लीकेजेज़ रुकेंगे नहीं। डीलर की परिभाषा में जो लीकेज होता है उसको रोकने की आवश्यकता है। आपने कह दिया कि मध्यप्रदेश में ऐसा कानून है पर राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के कानून की नकल करे, यह जरूरी नहीं है। नकल में थोड़ी अक्ल की भी जरूरत है। किसी स्टेट ने कानून बना दिया इसलिये हमें उसकी नकल करने की जरूरत होती है, यह ठीक नहीं है। जो मंशा सेल्स टैक्स लगाने में सरकार की है, सेल्स टैक्स का प्रिएम्बल है उसकी भावना के विपरीत जाकर केजुअल ट्रेडर को इस परिस्थिति में लाने को कोशिश करते हैं जिससे कोई भी इसके खिलाफ रिट करके स्टे लाकर रुकवा सकता है।

इसी तरह आपने कमीशन एजेंट को भी शामिल किया है। केजुअल ट्रेडर, कमीशन एजेंट। इन सब परिस्थितियों में लाकर आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे बिज़नेस करता है या नहीं करता है उसको फंसा कर चलें। खासतौर से वित्त मंत्रीजी को मैं कहना चाहता हूं कि सेल्स टेक्स पर टैक्स लगाने से पहले श्री महावीर त्यागी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसको पढ़ लेते। उन्होंने यहां तक कहा है कि हिन्दुस्तान की अलग अलग स्टेट्स में सेल्स टैक्स है, अगर without any amendment or notification वे इम्प्लीमेंट किये जायं तो २५० करोड़ की आमदनी ज्यादा बढ़ सकती है। कैसे लीकेज को रोकना चाहते हैं? केजुअल ट्रेडर की डेफिनिशन बना दीजिये, पर जो लीकेज होता है उसको आप इससे नहीं रोक सकते, क्योंकि जितनी पाबन्दियां आप समाज पर ज्यादा डालेंगे, जितनी पाबन्दियों के जाल में आप समाज को फंसायेंगे उतना ही समाज उनसे निकलने की कोशिश करेगा। कम पाबन्दियां लगाइये ताकि लोगों में लीकेज की आदत नहीं पड़े। जितना लॉ को कॉम्प्लीकेटेड बनायेंगे उतना ही समाज उस कानून से बचने की कोशिश करेगा। कमीशन एजेंट और केजुअल ट्रेडर की परिभाषाएं की हैं; इससे सेल्स टैक्स के लीकेज को रोकना चाहते हैं, वह लीकेज इनसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा।

ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ से इन दो बातों को हटा दिया जाय, डिलीट कर दिया जाय; इसके बाद इस क्लॉज़ को पास किया जाय।

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्री।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं इस सम्बन्ध में एक मिनट के लिये कुछ निवेदन करना चाहता हूं। केजुअल ट्रेडर को हटा देने के बारे में बातें कही गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ। केजुअल ट्रेडर के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि इसमें कौन आयेगा। कोई भी केजुअल ट्रेडर हो सकता है। मान लीजिये मेरे पास कोई चीज है या किसी के पास एक मोटर है, उसने दूसरे आदमी को बेच दी....

श्री सभापति : आप उसी को रिपीट कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह नहीं कहा। मन्त्री महोदय ने कहा है कि बाहर से आने वाले माल में लोग चोरी करते हैं, इस लीकेज को रोका जाय। अब तक तो कई चीजों को शाया किया नहीं, गजट में नोटिफाइ नहीं किया; तो ऐसी दशा में अब आप जिसे चाहेंगे उसीको केजुअल ट्रेडर में शामिल कर लेंगे। कोई भी चीज इधर से उधर बेचें तो उसको इसमें ले सकते हैं। तो यह बड़ा वेग है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। और इसमें तो सीमा भी नहीं बंधी हुई है कि कितने रुपयों का केजुअल ट्रेडर हो, कितने का माल इधर से उधर करने वाला केजुअल ट्रेडर होगा। मान लीजिये कोई १००) रुपये का माल इधर से उधर करता है और इसके लिए गजट में शाया कर दिया तो वह भी केजुअल ट्रेडर में आ गया और इस तरह सेल्स टैक्स वाले उसे भी परेशान करेंगे। न इसमें परिभाषा है आगे हर आदमी भ्रष्टाचारी होगा। केवल केजुअल ट्रेडर कहने से टैक्स के अन्दर ले लें और सेल्स टैक्स की सीमा में ले लें। आखिर कानून में कोई न कोई स्पष्टीकरण होना चाहिये। इसमें किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं है। तो यह तो बिल्कुल वेग है। इसमें सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं है। मैं वित्त मंत्रीजी से कहूँगा कि आपको डेढ़ करोड़ जनता के दृष्टिकोण से सोचना चाहिये था, आपकी दलील इतनी लचर नहीं होनी चाहिये। कोई आदमी अपना मकान ही बेच दे तो वह भी केजुअल ट्रेडर में आ गया, किसी ने अपनी कोई चीज बेच दी तो वह भी केजुअल ट्रेडर में आ गया! तो इस प्रकार की गलत तरीके की जो चीज रखी है उसे हटा देना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव आपके सामने है उसमें से केजुअल ट्रेडर को बिल्कुल हटा देना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय वित्त मंत्री।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : एक मिनट मैं लूंगा। सभापति महोदय, इस क्लॉज़ में जो परिभाषा दी गई है वह अपने आप में खुद उलझनेवाली बात है। कानून की मंशा यह होनी चाहिये कि उसे सीधी और सच्ची भावना के साथ जनता के सामने नियमों का रूप दें, ताकि जनता उस जाल में फंस नहीं जाय। यहां ट्रेडर का, केजुअल ट्रेडर का या डीलर का सवाल है। इसकी व्याख्या देखेंगे तो ४ बातें आकर अड़ जायेंगी। एक आदमी वह है, जो अपनी चीजों को बेचना चाहता है। दूसरा वह है, जो कच्चा पक्का आड़तिया है, इसके लिये कमीशन एजेंट है। इसके अलावा बीच में ब्रोकर भी आ जाता है, पर्चेज़र भी आता है। ब्रोकर और पर्चेजर के बीच में एज़ेंट है तो वह भी आता है तो इस प्रकार छः:छः स्थितियां आ जाती हैं। तो आया टैक्स प्रिन्सिपल सेलर से लेना चाहते हैं या उसके मुनीम से, केजुअल ट्रेडर से लेना चाहते हैं या ब्रोकर से या कमीशन एजेंट से लेना चाहते हैं या पर्चेजर से वसूल करना चाहते हैं? आप किससे वसूल करेंगे? इस प्रकार की स्थिति अपने आप में होचपोच स्थिति है। सदन के माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि जो विकासशील अर्थ व्यवस्था है उसमें कर लगना चाहिये, क्योंकि पंचवर्षीय योजना पूरी होनी है। हमें टैक्स देने में गुरेज नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No.95

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

आधे मिनट में समाप्त करता हूं। टैक्स लेने का तरीका इस तरह अपनाया जाय कि जनता को टैक्स फीगर से कम से कम हैरेसमेंट का सामना करना पड़े। इन बातों पर विचार करते हैं तो यह क्लॉज़ अपने आप में बड़ा खराब मालूम पड़ता है। इसलिये इसको हटा दिया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): One point I would like to stress is that the definition of 'casual trader', to my mind, is unsatisfactory and I will, therefore, press for the deletion of clause 2.

श्री सभापति : Hon'ble the Finance Minister.

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमंत्री):श्रीमन्, मैं अपने विचार इस पर काफी रख चुका हूं। मैंने उस वक्त भी कहा था कि हर माननीय सदस्य को निश्चित ख्याल होना चाहिये कि टैक्सेबल कॉमोडिटीज़ हैं उन पर टैक्स इवेड नहीं हो। इस ख्याल को नजर में रखते हुए सरकार ने सोचा कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हो सकते हैं जिनसे कि टैक्स का इवेज़न होता है। उन रास्तों को रोकने के लिये यह कोशिश की गई है। कहा जाता है कि यह हाई कोर्ट में क्वेश्चन हो जायगा और यह रद्द हो जायगा। मैं तो नहीं कह सकता कि हाईकोर्ट क्या व्यू लेगा और क्यों लेगा। फिर भी हो जाता है तो हो जायगा। मध्य प्रदेश में यह कानून चल रहा है, वहां किसी ने क्वेश्चन नहीं किया।

मैं माननीय सदस्यों से इतना अर्ज कर दूं कि इसके पीछे सिर्फ एक भावना है और वह यह कि जो टैक्सेबल कॉमोडिटीज़ हैं उनको किसी न किसी तरह टैक्स किया जाय और उससे रुपया स्टेट को मिले।

दो बातें आपने रखी हैं। एक कमीशन एजेन्ट की रखी है। थोड़ी देर विचार करें कि जो माल दूसरे प्रान्तों में जाकर किसी एजेन्ट के जरिये बिक जाता है उससे किस प्रकार टैक्स वसूल करें? अगर कमीशन एजेन्ट, ब्रोकर के रूप में हो और उसको रजिस्टर्ड डीलर न बनायें तो उससे टैक्स नहीं ले सकते। इसलिये उनको केजुअल ट्रेडर माना है जो हजारों का माल बेच जाते हैं और हम टैक्स नहीं ले सकते हैं। इसलिए इसमें यह रखा है कि कोई चीज टैक्स होने से इवेड न हो जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a Point of Order, Sir.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : 'सेल' की परिभाषा में आता है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, केजुअल ट्रेडर्स की परिभाषा देकर एक नये डीलर पर टैक्स लगाने की व्यवस्था सरकार ने की है। इस बिल के यदि स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स को पढ़ा जाय तो उसमें लिखा है :

"The Bill provides for increase of rate of Passengers and Goods Tax and levy of Sales Tax on certain goods so far exempted with a view to raise additional revenues required for

(श्री भैरोंसिंह)

the effective execution of Third Plan".

अब इसमें जो टैक्स से एग्ज़ेम्पटेड गुड्स हैं केवल उन पर टैक्स लगाने के लिए स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स संकेत करता है। इसमें यह कहीं नहीं है कि केजुअल ट्रेडर्स पर टैक्स इम्पोज़ करना है या नहीं करना है। केवल स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स यह इन्डीकेट करता है कि जो टैक्स से एग्ज़ेम्प्टेड गुड्स हैं उन्हीं पर इम्पोज़ करना है। इसमें जो नयी बात जोड़ी गई है वह मैं समझता हूं कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के खिलाफ है और रूल्स और कॉन्स्टीट्यूशन के अनुसार कोई भी बिल यदि स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के खिलाफ जाता है तो वह पास नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में सदन में रूलिंग भी हुई है। अत: मैं चेयर से रूलिंग चाहूंगा कि केजुअल ट्रेडर की डेफिनिशन देकर नया क्लॉज़ एड किया जा रहा है वह कहां तक उचित है ? मैं ऐसा समझता हूं कि यह उचित नहीं है इसलिए इसको ड्रॉप किया जाय।

श्री सभापति : ऑनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर क्या कहना चाहते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : यह जो चीज उठाई है वह कोई टेनेबल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कैसे नहीं है टेनेबल, आप बतायें तो सही ? स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के यह बात खिलाफ है या नहीं ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह भी कह सकते हैं कि सुनना नहीं चाहते।

श्री भैरोंसिंह : I want a ruling from the Chair, Sir.

श्री सभापति : क्लॉज़ २ हाउस के कन्सीडरेशन में है। हाउस चाहेगा तो पास हो जायेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बजार, जयपुर) : सभापति महोदय, स्पेसिफिक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में लिखा हुआ है उसके विपरीत क्लॉज़ेज़ नहीं हो सकते। गुड्स के बारे में संकेत किया है तो कुछ गुड्स ऐसे हैं जो एग्ज़ेम्पटेड हैं और उन पर सेल्स टैक्स लगना चाहिये। जो गुड्स एग्ज़ेम्पटेड हैं उनकी सूची दीजिए और लिख दीजिये कि टैक्स लिया जावेगा। केजुअल ट्रेडर्स रखने से क्या मतलब है ? जो एग्ज़ेम्पटेड हैं उन पर लगा दीजिये और इन्क्रीज़ करना है तो उसकी सूची दे दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : 'केजुअल ट्रेडर्स' की डेफिनिशन, जैसा वित्त मन्त्री ने निवेदन किया कि टैक्स इवेज़न से बचने के लिए है, इसमें एड नहीं किया गया है। इसको जब आपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में एड नहीं किया है तो यह तो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है।

श्री सभापति : मैं समझता हूँ कि यह जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है इसको हाउस पास करेगा तो क्लियर हो जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो इस सम्बन्ध में वित्त मन्त्री का उत्तर चाहते हैं।

Page No.97

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : The objects are wide enough to cover the whole phase.

श्री भैरोंसिंह : यह मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहूँ कि उनकी इस सम्बन्ध में रूलिंग है, उसके विपरीत यह बात न कहें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : He is mistaken, Sir. I have not given any ruling.

श्री भैरोंसिंह : Not as Member, but as a Deputy Speaker.

श्री सभापति : मैं समझता हूँ कि यह स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स से कवर होता है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो क्लॉज २ है उसको स्वीकार किया जाय ?

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सभापति, कैसे कवर होता है, यह समझा दें ?

श्री सभापति : जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें व जो इसके विरोध में हों वे 'ना' कहें

(स्वीकृत)

हां पक्ष जीता। क्लॉज २ विधेयक में अंगरूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज ३

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : सभापति महोदय, क्लॉज ३ पर मुझे संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(विराम)

संशोधन इस प्रकार है : "Add the following proviso after the words, shall be liable to pay tax under this Act on his taxable turnover. oeccuring before the explanation to the newly substituted clauses :-'Provided that for the purpose of clause (a) the limit in respect of manufacturers of goods of such clauses as may be specified by the State Government by notification in the official Gazette shall be such not exceeding Rs. 10,000 as may be specified in such notification".

सभापति महोदय, जहां तक इसका प्रश्न है यह अमेन्डमेन्ट self contained है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : Has this amendment been circulated to the Members ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have sought permission of the House. I think the Hon'ble Finance Minister will have no objection.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : But the permission was never granted to you.

श्री सभापति : He is seeking permission. of the House.

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am seeking the permission, I have only read the amendment.

श्री सभापति : Order please !

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : आप क्या समझ रहे हैं, पहले पर्मिशन मांगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : I am sorry to say that the Hon'ble Member from Jaipur has gone through the amendment and he was agreeable to it when we were outside the House. He is always disagreeable when he is inside the House.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Because outside the House you sit side by side and here you sit at a distance.

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्मिशन तो अब देंगे ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : श्रीमान्, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : आपको आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति है ।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : आपको आपत्ति है तो हम इसको विड्रॉ कर लेंगे । आपको आपत्ति है, we withdraw it.

श्री भैरोंसिंह : आप इतने नाराज क्यों होते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपत्ति का प्रश्न उठना ही नहीं चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूँ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : बोलने का अधिकार नहीं है । स्वीकृति के बाद में स्थिति रख रहा था । फिर भी सभापति महोदय, मैं इसको स्वीकार करता हूँ जो समय बचे वह आपको दे दें ।

श्री सभापति : I allow the amendment to be moved.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : Let the amendment be read.

श्री सभापति : He has already read it.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह संशोधन वैधानिक नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहले पर्मिशन ले लें ।

श्री निरंजननाथ आचार्य ; माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो अमेन्डमेन्ट है वह सेल्फ कन्टेन्ड है और जहां तक राज्य सरकार के विचारों का सवाल है, विशेष प्रकार के व्यवसाय को दस हजार, "not exceeding Rs. 10,000/- का प्रावधान इस संशोधन में किया गया है उस सीमा तक अधिकार सिर्फ कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए देना चाहिए । यद्यपि 'दस हजार' बहुत कम हैं, लेकिन स्थिति को देखते

(श्री निरंजनाथ आचार्य)

हुए, जैसे मध्य प्रदेश में ३० हजार है, गुज-रात और महाराष्ट्र में २५ हजार है यू. पी. और देहली में ३० हजार है राजस्थान में आरम्भिक अवस्था में दस हजार का प्रावधान हो, इस सम्बन्ध में मैंने अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किया है। कोई संशोधन हो सकता है तो वह प्रोग्रेस के आधार पर हो सकता है। जहां तक इसका सम्बन्ध है यह माननीय सदस्यों को स्वीकार है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति महोदय, इस संशोधन पर थोड़ा सा संशोधन मैं भी रखना चाहता हूं दस हजार की जो सीमा रखी है....

श्री सभापति : इसमें आपका कोई संशोधन नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस तरह से माननीय सदस्य को आपने इजाजत दी है मुझे भी आप इजाजत दीजिये, ताकि मैं भी अपना संशोधन रख सकूं।

श्री सभापति : इसमें आपका कोई संशोधन नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब आपने इजा-जत दी है माननीय सदस्य को....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अमेन्डमेन्ट पर अमेन्डमेन्ट क्यों नहीं ला सकता ? आप इजाजत दें तो दो ही मिनट में कह दूं। दस हजार की जो सीमा रखी है....

श्री सभापति : Order ! Order !! Please resume your seat.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री निरन्जननाथ आचार्य ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्लॉज ३ के जो (बी) और (सी) सब-क्लॉज़ेज़ हैं उन पर बोलने का अधिकार है।

श्री सभापति : क्लॉज़ एज़ ए होल लिया जाता है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज ३ संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ४ से ६

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ से ६ विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

Page No.100

(श्री सभापति)

क्लॉज़ेज़ ४ से ६ विधेयक में अंग रुप से जोड़े गये।

(विराम)

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र इत्यादि

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १, अधिनियमन सूत्र इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र इत्यादि विधेयक में अंग रुप से जोड़े गये।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान फाइनेन्स बिल, १६६२ को पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान फाइनेन्स बिल, १६६२ को पारित किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां,' पक्ष जीता।

कुछ माननीय सदस्य : No Sir, 'Nose' have it.

कुछ अन्य माननीय सदस्य : 'Ayes' have it, Sir.

(विभाजन घंटी के पश्चात्)

श्री सभापति : I will again put the question.

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान फाइनेन्स बिल, १६६२ को पारित किया गया।

(मत-दान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता।

कुछ माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता।

कुछ अन्य माननीय सदस्य : 'हां' पक्ष जीता।

श्री सभापति : 'Ayes' in the 'Ayes' lobby and 'Noes' in the 'Noes' lobby.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of order, Sir दो माननीय सदस्य आपके निर्णय के बाद आये हैं। They should be out.

श्री सभापति : Order please ! There is no point of order.

'Ayes' to the 'Ayes' lobby and 'Noes' to the 'Noes' lobby.

(मत-विभाजन के पश्चात्)

समय बढ़ाने सम्बन्धी वाद-विवाद

(घंटी)

श्री सभापति : House in order...

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैं समय बढ़ाने के लिए निवेदन करता हूँ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Point of order, Sir, सदन का समय एक बजे तक का है और एक बजे के बाद जितनी भी कार्यवाही हुई है वह सब अनियमित और अवैधानिक है। उस आधार पर सदन का समय नहीं बढ़ाया गया और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब लगभग १ बज कर ८ मिनट हो चुके हैं। इस ८ मिनट में जो भी वोट्स का रेकॉर्डिंग हुआ है, that way or this way, यह सब बेकार है और इस दृष्टि से १ बजे बाद की यह सारी कार्यवाही अवैधानिक है।....

श्री सभापति : Order please !

एक माननीय सदस्य : २ घन्टे का टाइम बढ़ा दिया है।

(१. ०८ म. प.)

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पुनः पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समय बढ़ाने का बाद में आया है और पहले पोइन्ट ऑफ आर्डर मैंने रेज़ कर दिया है....

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है, सदन का समय १ बजे तक का है। १ बजे के पूर्व सदन का कोई समय नहीं बढ़ाया गया और न इस प्रकार का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया और न आसन की ओर से इस प्रकार कोई समय बढ़ाया गया। मेरी आपत्ति यह है कि १ बजे के बाद जो भी कार्यवाही हुई है वह अनियमित और अवैधानिक है और यह जो अब समय बढ़ाने की बातें हो रही है यह नियमानुसार नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर भी अवैधानिक है और वह सदन के समय के बाद उठाया जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, every thing. Your sitting there is also meaningless.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, सदन पहले यह जानकारी चाहता है कि जो माननीय सभापतिजी यहां पर आसीन थे उन्होंने वोट दिया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं दिया है। मत गणना होने के बाद वे यहां से गये हैं। इसमें भी आपको आपत्ति है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह भी जानकारी चाहते हैं कि यह जो इस पक्ष से कहा गया कि स्पीकर ने पहले ही सदन का समय बढ़ा दिया है....

श्री अध्यक्ष : समय नहीं बढ़ाया है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय एक घन्टे के लिए बढ़ाया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं आ सकता जब तक कि मैंने जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया है वह डिस्पोज़ ऑफ नहीं हो जाता।

श्री अध्यक्ष : आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं हो सकता, इसलिये कि डिवीज़न का अनाउन्समेन्ट नहीं हुआ है। उसके पहले कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं किया जा सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस दर्मियान में प्रस्ताव भी नहीं आना चाहिए।

राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२

(पूर्व क्रम से—पारित)

श्री अध्यक्ष : विभाजन का नतीजा इस प्रकार है :—

'हां' पक्ष—७८,

'ना' पक्ष—६६;

हां पक्ष जीता। विधेयक, संशोधित रूप से, पारित किया गया।

[विभाजन के अनुसार 'हां' व 'ना' पक्ष के सदस्य]

'हां' पक्ष

१. श्री अलदाराम मेंणा
२. श्री आनन्दसिंह कछवाहा
३. श्री बालकृष्ण कौल
४. श्री भगराज चौधरी
५. श्री भरतलाल
६. श्री भवानीशंकर नन्दवाना
७. श्री भीखाभाई
८. श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
९. श्री भीमसिंह
१०. श्री बृजसुन्दर शर्मा
११. श्री चन्दनमल वैद
१२. श्री चतुर्भुज उपाध्याय
१३. श्री छोटूराम
१४. श्री छुट्टनलाल
१५. श्री दलपतसिंह
१६. श्री दौलतराम सारण
१७. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा
१८. श्री देवीलाल मीणा
१९. श्री धर्माराम आर्य
२०. श्री दिनेशराय डांगी
२१. श्री गणेशलाल
२२. श्री गंगाराम चौधरी
२३. श्री गंगासिंह परिहार (हिन्डौली)
२४. श्री गणपतिलाल वर्मा
२५. श्रीमती गौरी पूनिया
२६. श्री घासीराम यादव
२७. श्री गिरधारीलाल व्यास
२८. श्री गोकुलचन्द
२९. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
३०. श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)
३१. श्री ज्ञानचन्द मोदी
३२. श्री हनुमानसिंह चौधरी
३३. श्री हरिभाऊ उपाध्याय
३४. श्री हरिदेव जोशी
३५. श्री हरिकिशन
३६. डॉ० हरिप्रसाद शर्मा (मंडावर)
३७. श्री हरिराम घारू (सिवाना)
३८. श्री हरिश्चन्द्र
३९. श्री हरलाल
४०. श्री जगनसिंह

(श्री अध्यक्ष)

४१. श्री जयकृष्ण शर्मा
४२. श्री जेठमल बरवड़
४३. श्री जुझारसिंह
४४. श्री ज्वालाप्रसाद
४५. श्रीमती कमला बेनीवाल
४६. श्री कानाभाई नुवाल
४७. श्री केशरिसिंह जोजावर (खारची)
४८. श्री किशनसिंह बाटड़
४९. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत
५०. श्री लालाराम
५१. श्री मजलिसखां
५२. श्री मालमसिंह
५३. श्री मनफूलसिंह
५४. श्री मथुरादास माथुर
५५. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
५६. श्री मोतीलाल चौधरी
५७. श्री मुक्तिलाल मोदी
५८. श्रीमती नगेन्द्रबाला
५९. श्री नाथूराम (बागीडोरा)
६०. श्री नाथूराम मिर्धा
६१. श्री निरन्जनाथ आचार्य
६२. श्रीमती निर्मला देवी नाहर
६३. श्री परसराम मदेरणा
६४. श्री फूलचन्द जैन
६५. डॉ० पोहूमल ईसरदास
६६. श्रीमती प्रभा मिश्रा
६७. श्री रघुनाथ बिश्नोई
६८. श्री रामचन्द्र
६९. श्री रामदेवसिंह
७०. श्री रामप्रसाद लड्ढा
७१. श्री रविशंकर याज्ञिक
७२. श्री रावतराम
७३. श्री शंकरलाल जाट
७४. श्रीमती सुमित्रा
७५. श्री स्वरूपनारायण पुरोहित
७६. श्री तेजाराम गहलोत
७७. कुमारी उमा माथुर
७८. श्री विरधाराम फुलवारिया

'ना' पक्ष

१. श्री अभयसिंह
२. श्री भैरोंसिंह शेखावत
३. श्री भानुप्रसाद कराड़िया
४. श्री चौथमल वर्मा
५. श्री छत्रसिंह
६. श्री चोसरसिंह बाबेल
७. श्री दयाचन्द सौन
८. श्री दिग्विजयसिंह
९. श्री डूंगाराम राजोरिया
१०. श्री दुर्गालाल बाड़दार
११. श्री फतहसिंह
१२. श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल)
१३. श्री गोपीलाल गोठवाल
१४. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन)
१५. श्री हरिराम चौहान (तिजारा)
१६. श्री हरफूल
१७. श्री हरिशंकर
१८. श्री हजारीलाल शर्मा
१९. श्री हीराभाई
२०. श्री जयलाल
२१. श्री जयनारायण सालोदिया
२२. श्री जावन्दसिंह
२३. श्री जुगलाल
२४. श्री केसरीसिंह (पाली)
२५. श्री कुमारानन्द
२६. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल
२७. श्री ललितमोहन
२८. महारावल श्री लक्ष्मणसिंह

(श्री अध्यक्ष)

२९. श्री लक्ष्मीचन्द
३०. कु० श्री महेन्द्रसिंह गांवडी
३१. श्री मांगीलाल रिणवा
३२. श्री मानिकचन्द सुराणा
३३. रावत श्री मानसिंह महार (आमेर)
३४. राजा श्री मानसिंह (डीग)
३५. श्री मथुरेशबिहारी माथुर
३६. श्री मावा
३७. श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ)
३८. श्री मोहरसिंह राठोड़
३९. श्री मूलचन्द चौधरी
४०. श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
४१. श्री मुरलीधर व्यास
४२. श्री नाना राठोड़
४३. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ)
४४. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर)
४५. श्री नाथूलाल करोल
४६. श्री प्रभुलाल 'सैन्टर'
४७. श्री राधाकृष्ण गोयल
४८. राव श्री रघुवीरसिंह (आड़ी)
४९. श्री रामानन्द अग्रवाल
५०. श्री रामकिशन
५१. श्री रामसहाय
५२. श्री रामसिंह
५३. श्री सागरमल
५४. श्री सम्पतलाल बोहरा
५५. श्री श्रवणलाल
५६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
५७. श्री सतीशकुमार शर्मा
५८. श्री सांवलियाराम
५९. श्री शिवनारायण छाछिया
६०. श्री श्योपतसिंह
६१. श्री सौभागसिंह
६२. श्री उदयलाल वर्दिया
६३. श्री उमरावसिंह ढाबरिया
६४. श्री विजयपाल कटारा
६५. श्री विट्ठल
६६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

सदन का समय बढाने सम्बन्धी वाद-विवाद

(पूर्व क्रम से)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Point of Order, Sir, I can raise a Point of Order now that the result of division has been announced.

श्री अध्यक्ष : But there cannot be any Point of Order in vacuum. There should be a motion on which you can raise a Point of Order.

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय एक घन्टे के लिये बढ़ाया जाये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव माननीय मन्त्री ने रखा है यह नियमों के अनुकूल नहीं है; क्योंकि विधान सभा की कार्यवाही १ बजे तक चालू रहती है और १ बजे के पहले यदि कोई भी प्रस्ताव आये तो वह नियमों के अनुसार समझा जाता है और १ बजे के बाद जब तक कि टाइम का एक्सटेन्शन नहीं होता है उस समय तक कोई भी प्रस्ताव आना नियमों के अनुकूल नहीं है। इसलिए जो प्रस्ताव रखा है वह अवैधानिक है और उस पर विचार नहीं किया जा सकता।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मैं समझता हूं कि हाउस सुप्रीम ऑथोरिटी है कि वह अपना समय रिट्रोस्प्रेक्टिव इफेक्ट से बढ़ा सकता है ।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : मुझे निवेदन करना है कि इस सदन में कोई पहली मर्तबा ही इस प्रकार का मोशन आया हो, ऐसी बात नहीं है । समय समय पर जब भी सदन को अनुभव हुआ है समय बढ़ाया गया । आपकी अनुमति से सदन का समय बढ़ाया गया है । इसलिए यह कहना कि समय पूरा हो गया है, यह बढ़ाया नहीं जा सकता, यह सही नहीं है । अलबत्ता सदन उचित नहीं समझता कि सदन नहीं बैठे तो नहीं बैठे । मगर एक प्रस्ताव रख दिया गया है तो जरूरी यह है कि उस प्रस्ताव के ऊपर मतदान होकर फैसला हो ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : जो समय बढ़ाया है यह अवधि समाप्त होने के बाद बढ़ाया गया है, अवधि समाप्त होने के पहले नहीं बढ़ाया गया है ।

श्री अध्यक्ष : Order please ! मेरा ऑब्ज़र्वेशन यह है ।

सदन के समक्ष एक प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाय और इस प्रस्ताव पर कई माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई है; क्योंकि सदन का समय समाप्त हो चुका है इसलिए इस तरह का प्रस्ताव सदन के सामने नहीं आ सकता । इस पर मेरी व्यवस्था है कि जिस समय सदन का समय एक बजे समाप्त हुआ उस समय विभाजन प्रक्रिया चल रही थी । उस समय सब माननीय सदस्य उसमें हिस्सा ले रहे थे । इसको हम ऐसा मानते हैं कि समय बढ़ाने की सब की इच्छा थी, सम्मति थी । उसको अब रेगुलराइज़ करने के लिए एक प्रस्ताव हमारे सामने है और यह माना जायगा कि एक बजे से समय बढ़ चुका है । अगर वह प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो ये आपत्तियां अस्वीकार की जाती हैं और जो प्रस्ताव रखा गया है वह मतदान के लिए रखा जायगा ।

जो इसके पक्ष में हों वे 'हां' कहें, जो विपक्ष में हों वे 'ना' कहें ।

(मतदान के पश्चात्)

'हां' पक्ष जीता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : We claim division, Sir.

श्री अध्यक्ष : हर पांच मिनट में डिवीज़न क्लेम नहीं किया जा सकता ।

It would be regarded as an abuse of rules and the privileges accorded to Hon'ble Members.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : And this is an abuse of majority.

श्री मुरलीधर व्यास : जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें हमारा अर्ज करना है कि समय काफी हो चुका है-एक बज चुका है, सवा बज चुका है । अब और जो एक घंटे का समय बढ़ता है तो वह ठीक नहीं होता है । हम अर्ज करना चाहते हैं वे भी अपनी तरफ से ठीक समझें कि इस समय को कल के लिए रख लें । जो

(श्री मुरलीधर व्यास)

काम आज करवाना चाहते हैं वह कल करवा लें।

श्री अध्यक्ष : यह प्रस्ताव पहले स्वीकार किया जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले कहां स्वीकार किया जा चुका है ?

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि जो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी है, जिसमें माननीय सदस्यों में से सदस्य रहते हैं, जिसमें सब पार्टीज़ के नुमाइन्दे रहते हैं, उसने प्रस्ताव किया है कि दो विधेयक दो दिन में पारित किये जायेंगे। उसके बाद वह प्रस्ताव सदन के सामने आया और सदन ने स्वीकार किया। फिर भी समय बढ़ा कर ग्यारह बजे तक किया गया था। उस समय को ज्यादा बहस करने की नीयत से बढ़ाया गया। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि इस तरह समय बढ़ाना जो खुद का निर्णय है उसके विपरीत जाना है। इसलिए ज्यादा समय चाहिए तो उस वक्त आपत्ति कर सकते थे कि दो दिन में नहीं कर सकते। दो दिन में नहीं हो सकता है तो हम और ज्यादा समय दे सकते थे, सदन ज्यादा बैठ सकता था। लेकिन हर दिन हम कार्यक्रम बदलें तो यह सदन की प्रतिष्ठा और माननीय सदस्यों की स्वयं की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप चाहे तो इसे एक घंटे के पहले पास कर लें। दर असल में यह होना चाहिए था। फिर भी चेयरमैन महोदय ने पास करने की इजाजत दी। वे चाहते तो सख्ती बरत सकते थे कि इनको आज पास करना है। वे ज्यादा डिरकशन अलाऊ नहीं करते और जो मोशन बिल को पारित करने का किया है उसे वे पुट कर सकते थे; यह उनके अधिकार में था। लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए अब आप सहयोग दें और जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिल है, इसके विषय में बहस की जायगी। कल समय मिलेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा....

श्री मथुरादास माथुर : इसका बजट कल है, साहब।

श्री अध्यक्ष : The same subject is going to be discussed tomorrow. इसलिए जो बहस आज करते हैं वह कल कर सकते हैं। इसलिए इसको पास कर दें ताकि समय बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो और जो आपके विचार हैं वे कल डिबेट के समय आ जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह निवेदन है कि जो समय बढ़ाया गया है और जो बिज़नेस हाउस के सामने है, उतना समय उस बिज़नेस के महत्त्व को देखते हुए कम है और उसके साथ इन्साफ नहीं किया जा सकता है। उतने समय में उस पर हम अपने विचार व्यक्त नहीं कर पायेंगे। इसलिए इस बिज़नेस को आप दूसरे समय में एडजस्ट कर लें और बिज़नेस एडवाइज़री ने जो समय रखा है, उसमें एडजस्ट करें तो यह उचित नहीं है; क्योंकि यह एक घंटे में....

श्री अध्यक्ष : एक घंटे में। चेयरमैन महोदय चाहते तो पन्द्रह मिनट में पास करा सकते थे। विषय की अहमियत को देख कर ही दो दिन निर्धारित किये थे, यह आप मानते

Page No.107

(श्री अध्यक्ष)

हैं। आपको उस समय ख्याल नहीं था कि ज्यादा बहस होगी या कम होगी? इसलिए जो समय रखा है उसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो बहस कर लें, चाहे जैसा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : परिस्थिति कभी कभी पेश हो जाती है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : परिस्थिति कभी....Order please!

राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, १९६२

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री बालकृष्ण कौल (वित मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय वित-मंत्री महोदय ने सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है उस विधेयक का मैं विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा सरकार ने एक नई ड्यूटी इम्पोज़ की है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। यह राजस्थान में अपने प्रकार का पहला टैक्स है और यह टैक्स भी सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के रिसोर्सेज़ इकट्ठे करने के लिए इम्पोज़ किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि सरकारी पक्ष की ओर से अब तक जो बातें कही जाती रही हैं कि हम राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट करना चाहते हैं। सरकार की ओर से कई बार यह भी कहा गया है कि हम राजस्थान को साथ ही साथ बिजली देना चाहते हैं। यदि उन दोनों आश्वासनों के साथ सरकार के इस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिल को देखा जाय तो ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की कथनी और करनी के अन्दर काफी अन्तर है। पन्द्रह लाख रुपये के टैक्सेज़ यहां इस बार वसूल किये जायेंगे। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार ने टैक्सेज़ और बढ़ाने की व्यवस्था इस कानून के द्वारा की है, राजस्थान में।

राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में इस बात का संकेत किया था कि ३ नये पैसे पर युनिट यह ड्यूटी लगाई जायेगी, लेकिन जिस प्रकार का एक्ट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है उसमें केवल ३ नये पैसे का ही नहीं; बल्कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि ६ नये पैसे तक सरकार इस प्रकार का टैक्स इम्पोज़ कर सकती है। मैं यह नहीं समझ पाया कि जो सरकार ३ नये पैसे को लेकर यह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का प्रावधान करना चाहती है वही सरकार ६ नये पैसे का प्रावधान करने के लिये इस कानून में क्यों व्यवस्था कर रही है? यह इस बात का सुबूत है कि हमारी सरकार इस बार केवल ३ नये पैसे की वृद्धि करेगी और अगली बार यह सरकार ३ पैसे और को बढ़ा कर ६ नये पैसे कर देगी और उन ६ नये पैसों के बारे में इस सदन को विचार करने का अधिकार नहीं रहेगा। एक बार यदि सदन ने सरकार को अधिकार दे दिया तो सरकार अगली बार बिना सदन के नोटिस में लाये एक नोटिफिकेशन के जरिये वृद्धि कर सकेगी।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, यदि इस मामले को इस आधार पर देखें कि जिन लोगों पर यह टैक्स इम्पोज़ कर रहे हैं उन लोगों में से कुछ को रियायत भी देना चाहते हैं या नहीं ? सरकार ने एग्ज़ेम्पशन्स रखे हैं उनमें सरकार के भवन सरकार के काम में खर्च होने वाली बिजली को रियायत दी है। लेकिन इसके साथ साथ एक इस प्रकार का क्लॉज़ रखा है जिसके द्वारा सरकार उचित समझे तो ऐसी इन्डस्ट्रीज़ को भी, जिनको अपनी दृष्टि से सरकार रियायत देना उचित समझे, उनको, रियायत दे सकती है। मैं ऐसा समझता हूं कि इस कानून के द्वारा हम सरकार को इस प्रकार की पॉवर्स दे रहे हैं जिनका इस्तेमाल अपने खुद के लिए नहीं; बल्कि इस प्रकार आर्बिट्रेरी ढंग से वह कर सकती, है जिसका दुरुपयोग होने का भी एतमाल है। जिस प्रकार आपने सेल्स टैक्स इम्पोज़ किया था उसमें कुछ कॉटेज इन्डस्ट्रीज़, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कुछ ऐसी इन्डस्ट्रीज़ हैं जिनका टर्न ओवर १० हजार या १५ हजार का है उनको भी रियायत दी है। लेकिन जो कानून लेकर चलते हैं उसमें यदि १ रुपये की बिजली कोई आदमी खर्च करता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ेगा और जो १ हजार रुपये की बिजली खर्च करता है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। आखिर आपकी मंशा यह है कि कोई भी बिजली खर्च करे, हम उससे टैक्स वसूल करेंगे, तो जो मान्यता है कि हम उनसे वसूल करना चाहते हैं जिनकी आमदनी ज्यादा है और उनको रियायत देना चाहते हैं जिनकी आमदनी कम है और इस प्रकार जो इन्कम में डिस्पेरिटी है उसको दूर करना चाहते हैं; तो सारी बातें इन मान्यताओं से दूर जाती है। मैं कहता हूं कि आज कई इन्डस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी आमदनी बढ़ी है। आमदनी बढ़ाने के जरिये यदि आप चाहें तो उनको आज भी फायदा दिला सकते हैं। वे मजदूरों को बोनस नहीं देते हैं, झूठे रेकॉर्ड बना कर घाटा दिखा कर सरकार से राहत पाने के लिये तैयार रहते हैं उनको फिर राहत मिलेगी और जो राहत पाना चाहते हैं गरीब लोग, जो थोड़ी सी बिजली जलाना चाहते हैं उनको आप महरूम रखना चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज जितने कानून बने हैं उन कानूनों को बनाने के टाइम एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्थ टैक्स जितने टैक्सेज़ के सिस्टम हैं उनमें आपने कम आमदनीवालों को, कम खर्चवालों को राहत दी है लेकिन इसमें आपने अमीर और गरीब का भेद बिना किये सब पर लागू करने की व्यवस्था की है।

इसी प्रकार इन्डस्ट्रीज़ में एक तरफ आप चाहते हैं कि कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ डेवलप हों और दूसरी तरफ उन पर इतना फाइनेन्शियल बर्डन लाया जाय कि उनका नेचुरल ग्रोथ रुक जाय ! सरकार ने टैक्सेशन पॉलिसी रखी है उसमें आपने व्यवस्था की है, आप कहेंगे भी कि जो क्लॉज़ एग्ज़ेम्पशन का है उसके अन्तर्गत हम कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को राहत देंगे, स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ को राहत देंगे और बड़ी इन्डस्ट्रीज को यदि राजस्थान सरकार चाहेगी तो उनको, भी राहत देगी, लेकिन यह एग्ज़ेम्पशन इस प्रकार का होगा जिसमें सदन का कहना किसी प्रकार भी मान्य नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार पहले डिफाइन करें, अपनी नीयत साफ करे कि आखिर

(श्री भैरोंसिंह)

हर कन्ज़्यूमर से टैक्स लेना चाहते हैं या जो ज्यादा बिजली खर्च करते है उनसे लेना चाहते हैं ? मैं चाहता हूं कि उदारता बता कर जो लोग ५) की बिजली खर्च करते हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जाय और जो कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ चलाते हैं, स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज़ चलाते हैं, जिनका केवल अभी ग्रोथ हुआ है उन पर आप टैक्ससेशन का बर्डन न डालें । इस प्रकार का सरकार आश्वासन दे ।

मैं समझता हूं, इस बिजली के शुरुआत में राजस्थान के कुछ शहरों को छोड़ कर बाहर गांवों में नहीं पहुंची है, छोटे छोटे कस्बों में नहीं पहुंची है । राजस्थान में बिजली का अभी एक टैरिफ नहीं है; कहीं पर रेट ज्यादा है और कहीं पर कम है ! मुझे भय है कि जिस टेरिफ की चिन्ता सरकार कर रही है यदि उसके आने के कारण राजस्थान में बिजली की रेट्स एक सी की गई तो सरकार की जो नीति रही है कि जो ज्यादा रेट्स होती हैं उनके आधार पर कम रेट्स को लाने की कोशिश करते हैं, यदि इस प्रकार का टैरिफ बनाया गया तो वह संकट आनेवाला है । लेकिन यह संकट अभी हमारे सामने नहीं है । इस हालत में मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में डिफरेन्ट रेट्स हैं उन पर इम्पोज़ करना चाहते हैं, आज जिनको ज्यादा देना पड़ता है उन पर भारी संकट के रूप में आयेगा । राजस्थान में बिजली की शुरुआत हो रही है । लोग बिजली कन्ज़्यूम करने की आदत डाल रहे है, आपको भी फायदा होगा, ऐसी बात करते हैं । यदि टैक्स इम्पोज़ कर दिया तो लोग बिजली के कन्ज़म्प-शन से दूर रहने की चेष्टा करेंगे । राजस्थान के गांवों में बिजली ले जानी है, छोटे छोटे गांवों में ले जानी है, कई शहरों में जहां नहीं पहुंच पाई है वहां ले जानी है । किसानों के पास बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां पर ऐसा वातावरण बन नहीं पाया है कि इन्डस्ट्रीज़ में और एग्रीकल्चर में कैसे बिजली कन्ज़्यूम की जाय, ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर पाये ऐसी हालत में टैक्स इम्पोज़ करेंगे तो राजस्थान में बिजली के द्वारा इन्डस्ट्रीज़, कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को पनपाने के लिये बिजली से जो समाधान हो सकता है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने केवल १५ लाख रुपयों को इकट्ठा करने की व्यवस्था की है; तो यदि सरकार चाहे कि हमें १५ लाख रूपये इकट्ठे करने हैं तो आज तो नहीं, लेकिन कल जब बिजली विभाग के बजट पर डिस्कशन होगा तो मैं उदाहरण पेश करूंगा कि १५ लाख रूपये ही नहीं, यदि लाखों रूपयों की फालतू खर्चे में कमी करने की चेष्टा करेंगे तो राजस्थान में बचत हो सकती है । मोटी व्यवस्था का सवाल नहीं है । राजस्थान पर एक बहुत बड़े संकट की जानकारी मिली है । ओवर ड्राफ्ट की हालत जिस समय बजट पेश किया गया था उस समय वित्त मंत्रीजी ने बताई थी ७ करोड़ की थी; वह भी बढ़ता जा रहा है । ऐसी हालत में राजस्थान में टैक्स लगाने के स्थान पर कमर कसने की बात कही है, टाइटन दी बेल्ट की बात कही है उसकी व्यवस्था करें और उसके साथ ही राजस्थान में टाइटन दी बेल्ट का दृष्टिकोण रख कर टैक्स न लगाने की बात करते हुए बाकी व्यवस्था करें तो अच्छा होगा ।

आपने बिजली पर टैक्स लगाने की

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था की है। मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान में बिजली पर टैक्स लगाने से निश्चित रुप से भारी असर होने वाला है। कन्ज्यूमर्स टैक्स का बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यह सही है कि आपने एग्रीकल्चर को टैक्स से एग्जेम्प्ट किया है, जिस तरह से एग्रीकल्चर में पंप को एग्जेम्प्ट किया है, उसी आधार पर इन्डस्ट्रीज़ को केटेगराईज़ करें कि किसको कानून के अन्तर्गत रिलीफ मिलना चाहिये, कितने ऐसे हैं जिनको सरकार के डिस्क्रिशन पर छोड़ना चाहिए। लेकिन आपने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को रियायत देने की बात अपने हाथ में रखी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आज से दो साल पहले इन्डस्ट्रीयलिस्ट्स के सामने यह घोषणा की थी कि बिजली की दर इन्डस्ट्रीज़ के लिए कुछ कन्सेशनल रेट्स पर होगी। मैं ऐसा सोचता हूं कि बिजली की दर कन्सेशनल रेट्स पर है, लेकिन टैक्स उनके ऊपर और बढ़ गये हैं, उससे उन पर आपत्ति आने वाली है। बड़ी इन्डस्ट्रीज को, मैं जानता हूँ, आप रिलिफ देंगे, लेकिन छोटी इन्डस्ट्रीज़वाले हैं उनको रीलिफ प्राप्त नहीं हो सकेगा। आप उनके सामने कई प्रकार की दिक्कतें पेश करेंगे कि कितना प्रोडक्शन है, कितना इन्वेस्टमेंट है, इस प्रकार के फॉर्म्स प्रेस्काइब करके आप उन लोगों के सामने समस्यायें पैदा करेंगे। और जिस तरह आज लोन नहीं मिल पाता है, इन्डस्ट्रीज़ के लिए कोटा नहीं मिल पाता है इसी तरह की दिक्कत इन इन्डस्ट्रीज़ के सामने पैदा कर देंगे। तो जो आप उनको रिलीफ देना चाहेंगे वह रिलीफ उनको नहीं मिलेगा। इसलिए कानून में प्रावधान करना चाहिये था कि कॉटेज इन्डस्ट्रीज़, स्मॉल स्केल इन्डस्ट्रीज को राहत मिलेगी। बाकी जो इन्डस्ट्रीज हैं, उनके बारे में सरकार इस प्रकार की राहत दे सकती है। इसके साथ ही पांच रुपये माहवार की जो बिजली कन्ज्यूम करते हैं, उनको भी राहत मिले और इस बिजली टैक्स से उनको मुक्त रखा जाय। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप यह नहीं कहेंगे कि मध्य प्रदेश में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है या हिन्दुस्तान में और स्टेट्स हैं जिन्होंने यह टैक्स इम्पोज़ किया है; हिन्दुस्तान में ऐसी स्टेट्स नहीं हैं जिन्होंने यह टैक्स इम्पोज़ किया है, केवल एक स्टेट की नकल करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप यह ध्यान रख कर चलिये कि बाकी स्टेट्स की असेम्बलीज़ में आपके प्रान्त का उदाहरण रखा जायेगा और कहा जायेगा कि हिन्दुस्तान में दो स्टेट्स हैं जिन्होंने....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय सदस्य ! यू० पी० में क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : आप दूसरी स्टेट का का नाम बता दीजिये।

श्री बालकृष्ण कौल : यू० पी० में क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : आप दूसरी स्टेट का नाम बता दीजिए, यू० पी० के अलावा कोई बता दीजिये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वह राजस्थान है।

श्री भैरोंसिंह : वही मैं कह रहा हूं। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आपने यह जो कानून बनाया है, इसकी बाकी की विधान सभाओं में आलोचना करेंगे कि राजस्थान ने नकल करके इस प्रकार का टैक्स इम्पोज़ कर दिया। यह आपने कर दिया तो बाकी की स्टेट्स में राजस्थान का नाम लोग लेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ऐसा उदाहरण हिन्दुस्तान में पेश न करें यह टैक्स लगाने के लिए। अन्त में मैं यह कहते हुए, बिल का विरोध करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल असामयिक है, जिन लोगों पर यह टैक्स लगाया जायगा उनके ऊपर भार होगा और इस भार को वहन करने की शक्ति जनता के ऊपर नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का माइन्ड लोगों का नहीं बन सका है। इसके साथ ही जो इन्डस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बढ़ा कर इस प्रोडक्शन के द्वारा देश में अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने की बात करते हैं उस स्थिति में अगर टैक्स को बढ़ाने की चेष्टा की तो वह स्कीम फेल होगी और जो पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर अचीवमेंट्स करना चाहते हैं, वह पूरा नहीं होगा। ऐसी हालत में इसका विरोध करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जो घाटे को पूर्ति करने का सवाल है, अगर आप चाहें तो मेरा सहयोग लेकर पन्द्रह लाख का घाटा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पूरा कर सकते हैं। मैं जो व्यवस्था आपके सामने रखता हूं, उसके आधार पर आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन आप गरीब और गरीब-इन्डस्ट्रीज़ को दबाने के लिए ऐसी व्यवस्था न करेंगे, जिससे लोगों के सामने एक आर्थिक संकट पैदा हो जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : Order please !

माननीय सदस्यों के सामने दो परिस्थितियें हैं। एक तो आपको कन्सीडरेशन की स्टेज पर जनरल डिस्कशन करने का अवसर मिलता है और आप कहते हैं। उसके बाद क्लॉज़ बाई क्लॉज़ के समय चाहिये। इसलिये अगर आप चाहें तो इस बहस को यहां समाप्त कर सकते हैं और क्लॉज़ बाई क्लॉज़ जिस समय चलेगा उस समय सारी बातों पर बहस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दो बजे तक रख सकते हैं। अगर यह दो बजे तक समाप्त नहीं होगी तो उसके बाद इस पर डिबेट बन्द कर दी जावेगी और सारी कार्यवाही जो होनी चाहिये, की जावेगी। अगर आप चाहें तो क्लॉज़ बाई क्लॉज़ बहस होने से पहले प्रभारी मन्त्री अपना उत्तर दे दें और उसमें बहुत सी बातें साफ हो जावेंगी, जिससे यह बहस जल्दी समाप्त हो सकती है और यह बिल जल्दी पास हो सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर अलग अलग क्लॉज़ेज़ का जवाब देने के बजाय सब का एक साथ दे दें तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पर तो अलग जवाब देना ही होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : एमेन्डमेंट तो एक ही है।

श्री अध्यक्ष : बहुत हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) मेरा भी एक एमेन्डमेंट लेट, हो जाने की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वजह से, नहीं आ सकता है। इसलिए कन्सीडरेशन को स्टेज पर मुझे भी मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अगर दो बजे तक समय रहा तो बोलने का आपको अवसर दिया जाएगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मेरा भी एक एन्मेंडमेंट था।

श्री अध्यक्ष : वह लेट आया था।

श्री भैरोंसिंह : मेरे से जो लेट आये थे वे पेश हो गये हैं।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जो एमेन्डमेंट इस पर रखे गये उनमें से कुछ 'हां' और 'ना' के मतलब के थे। वे इस चीज को मानते थे कि जो बजट स्पीच में मैंने अर्ज किया था कि इलेक्ट्रिक बिल पर ३ नये पैसे लिये जावेंगे इस पर उनकी स्वीकृति थी। मगर उनको आपत्ति थी वह यह कि ६ नये पैसे रखे हैं वह ज्यादा होगा और वह अधिकार सरकार को दे दिया गया तो सरकार उसका दुरुपयोग कहीं न करे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का ख्याल किसी चीज का दुरूपयोग करने का नहीं है। सरकार को जब कभी दिक्कत आती है तो सदन के सामने वह दिक्कत रखी जाती है और सदन उसको तय करता है। यह भी दिक्कत सरकार के सामने है और सरकार इसलिये यह चाहती है, ख्वाहिश सरकार की यह है कि तीन नये पैसे ही लिये जावें और अगर कोई ऐसी स्थिति आवे कि जिससे ६ नये पैसे लगाने पड़े और सदन नहीं बैठ सके; इसलिये यह पॉवर सदन से लेने के लिए रखा गया है। जो एग्जेम्प्शन्स सरकार ने रखे हैं वे मुनासिब तो हैं, लेकिन उनको इस बात का खतरा मालूम होता है कि कहीं ऐसा न हो कि कॉटेज इन्डस्ट्रीज को नुकसान हो जावे और सरकार उनको एकजेम्पशन नहीं दे। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार का यह ध्येय है कि जितनी इन्डस्ट्रीज़ पनपा सकें पनपाएं। इसलिए सरकार ने इन सभी इन्डस्ट्रीज़ को फिलहाल एग्ज़ेम्प्ट कर रखा है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उन पर पहले टैक्स नहीं था इसलिये एग्ज़ेम्पशन का प्रश्न नहीं आता।

श्री बालकृष्ण कौल : एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि जो ५) रु० की बिजली कन्ज्यूम करे उसको एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जावे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार इस सुझाव को मंजूर करने में असमर्थ है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि पांच रुपयों की बिजली कितने लोग कन्ज्यूम करते हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने इस बात के लिये जोर दिया कि यह जो इलेक्ट्रिक बिल आया है उसकी इस सरकार ने आखिर नकल की है वह मध्य प्रदेश से है और शायद इस देश में दो ही ऐसी रियासतें हो सकती हैं जहां

(श्री बालकृष्ण कौल)

इतने हैवी रेट चार्ज किये जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। यह बम्बई, मद्रास, यू. पी. आदि कई जगह पर है।

श्री भैरोंसिंह : और यह भी बता दें कि कितना है ?

श्री बालकृष्ण कौल : यू. पी. में २५ प्रतिशत है। इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह कोई नई चीज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की रेट्स क्या हैं ?

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमन् इन वजूहातों से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसको पास करना जरूरी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, इस एक्ट की तहत जो रूल्स बनने चाहिये वे बन गये हैं या नहीं ?

श्री बालकृष्ण कौल : एक्ट हो जावेगा तो रूल्स भी हो जावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : When ?

श्री बालकृष्ण कौल : They are under preparation.

श्री मानिकचन्द सुराणा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, आपने जो ३ नये पैसों से ६ नये पैसे तक का अधिकार सरकार को हस्तगत करने का रखा है इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संविधान के अनुसार यह नहीं हो सकता और हमारे संविधान के खिलाफ है। हमारे संविधान के अनुसार जब कभी भी टैक्सों में परिवर्तन का प्रोपोज़ल आता है तो मनी बिल के रूप में दुबारा सदन के सामने सरकार के द्वारा लाया जाना चाहिये और उस पर सदन को विचार करने का अधिकार है। सदन को संविधान के अनुसार उस पर विचार करने का अधिकार है और यह अधिकार नहीं है कि वह इस बात का अधिकार गवर्नमेंट को सुपुर्द कर दे क्योंकि जो डेलीगेट ऑथोरिटी है उसको फर्दर डेलीगेटेड करने का अधिकार नहीं है। इसलिये कान्स्टीट्यूशन के अनुसार गवर्नमेंट ने जो ३ नये पैसों के बजाय ६ नये पैसों का अधिकार रखा है वह गैर कानूनी है और सदन को भी उसे देने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) बिल, १९६२ को विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ २, श्री सतीश कुमार।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपकी तरफ से कोई व्यवस्था पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पर नहीं दी गई।

Page No.114

श्री अध्यक्ष : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया था ; पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ करने की तो कोई अवस्था थी नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : Because it involved a constitutional issue and there is a bar that even this House is not competent to...

श्री अध्यक्ष : कई ऐसे विधेयक हैं जिनमें ऐसे अधिकार दिये गये हैं कि सीलिंग तक बढ़ा सकते हैं। We have done in a number of cases.

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऐसे अधिकार सिर्फ राजस्थान की विधान सभा द्वारा ही दिये गये हैं और कोई जगह नहीं दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : It is open to go into a Court of Law and have them declared as illegal.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : इसको तय आप और हम यहां बैठ कर नहीं कर सकते । This House has a right to pass an unconstitutional provision also, and it belongs to the Court to declare it..:

श्री रामानन्द अग्रवाल : It is the duty of the Chair, Sir, to look to it.

श्री मानिकचन्द सुराणा : I think the position may be examined for furture, Sir.

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशकुमार !

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष, हमने हमारी समाजवादी कहलाने वाली सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी को भली प्रकार से देखने की कोशिश की है और हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारी सरकार जनता को एक लाठी से हांकने की कोशिश करती है।....

श्री अध्यक्ष : देखिये अमेंडमेन्ट पर इस तरह के भाषण नहीं होने चाहिये, समय बहुत कम है। अतः अमेंडमेंट पर ही सीधे बोलना चाहिये ।

श्री सतीशकुमार शर्मा : मैंने क्लॉज २ और ३ पर अमेंडमेंट्स पेश किये हैं।

[संशोधन इस प्रकार हैं:—

1. Clause 2.

Part (i) be renumbered as (j) and a new part (i) be inserted as follows:-

(i) "Luxury materials" mean coolers, heaters, refrigeraters and include such other materials as the State Government may from time to fime specify.

2. Clause 3.

(i) The words 'through power connection' be inserted after the words 'on the energy consumed' and before the words 'by a consumer'.

(ii) The words 'for use of Luxury materials' be inserted after the words 'by a consumer'.

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

(iii) At the end of the proviso to the clause the following words be added:—

'or to the energy consumed by any industry producing luxury goods.]'

इस अमेंडमेंट की मंशा यह है कि यह सरकार आंखें मींच कर जनता पर ऐसे टैक्स लगाने की कोशिश करती है, जो जनता पहले से ही टैक्सों से परेशान है और यह बिना देखे ही टैक्स लगाती है कि गरीब लोगों की कमर पहले से ही इन करों के भार से टूट चुकी है और यह देखे बिना टैक्स लगाती है कि जनता की हालत टैक्स देने की है कि नहीं। यह सब कुछ बिना देखे ही टैक्स लगाने की कोशिश करती है, उसकी खिलाफत करते हुए मैंने संशोधन पेश किया है।

क्लॉज़ २ में संशोधन दिया है उसमें लग्ज़री मेटीरियल को डिफाइन किया है। पॉवर कनेक्शन और दूसरे साधारण कनेक्शन में फर्क है। पॉवर कनेक्शन की ३ आना रेट है और साधारण कनेक्शन की हमारे यहां अलवर में पहले से ही ८ आना है और यहां ६ आना है और दूसरे प्रान्तों से यहां पर पहले से ही ज्यादा है। इसलिये यहां पर इसे बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है। हम यह समझते हैं कि हमारे यहां इतना फर्क है कि एक व्यक्ति को दो आने की चाय नहीं मिलती और दूसरा आदमी ५०) रुपये जेब में लिये हुए होटल-होटल पर घूमता है। इसलिये हम यहां सब लोगों को एक ही लाठी से नहीं हांक सकते। बिजली का सरप्लस बजट है, डेफिसिट बजट नहीं है। आपको जरूरत नहीं है कि कमजोर से कमजोर आदमी की कमर तोड़ने की कोशिश करें। इसलिये आप टैक्सेशन और लगाना चाहते हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि किसकी ताकत इसे देने की है और किसकी ताकत इसे देने की नहीं है। जो कमजोर से कमजोर है, जिसको ५०) रुपया तनख्वाह मिलती है वह भी चाहता है कि बिजली रखे। तो इस तरह आप उस पर बोझा और लाद कर उसको मना करना चाहते हैं कि वह बिजली नहीं ले।

मैंने संशोधन में इस बात की खिलाफत नहीं की है कि आप बिल्कुल नहीं लगायें, आप उन पर लगायें जिनके पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, कूलर्स हैं, उनसे लीजिये। कोई दो पोइन्ट बिजली जलाता है, पढ़ने के लिये या रोशनी में रहने के लिये ५ वॉट का लट्टू जलाता है उस पर भी यह टैक्स बढ़ाते हैं तो साफ आपको नीयत दिखती है कि आप एक ही लाठी से सब को हांकना चाहते हैं। इस अमेंडमेंट को रख कर मैं समाजवादी सरकार से निवेदन करूंगा कि एक ही लाठी से सब को न हांकें। टैक्सेशन देने वालों की हालत में जितना फर्क हमारे यहां है उतना आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। तो ऊपरवालों को नीचे लाने की कोशिश करें और जो गिरे हुए व पिसे हुए हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश करें। आप बड़े बड़े नारों और लेखों के हिसाब से सरकार को चलाना चाहते हैं। अगर नाम समाजवादी सरकार नहीं होता तो आप न मालूम क्या कर सकते थे? समाजवादी समाज होने के नाते तो आपको सोचना चाहिये। यह सही है कि आपकी संख्या एक ज्यादा है, विभाजन करके भी देख लिया है। सब को एक ही लाठी से न हांकिये वर्ना यह एक की मेजोरिटी भी खत्म होने का खतरा है। फालतू, एक्स्ट्रा टैक्स आप पैसे

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

वालों से लीजिये; जिनके पास देने को नहीं है उनसे मत लीजिये । इसीलिये लग्ज़री मेटीरियल्स को डिफाइन किया है, लग्ज़री मेटीरियल पर लगाइये ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ३ पर मन्त्री महोदय का स्वयं का संशोधन है ।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : एक क्लॉज़ ३ में है, एक १० में है और एक ११ में है ।

श्री अध्यक्ष : क्लॉज़ ३ पर जो आपका संशोधन है वह मूव कर दीजिये ।

श्री बालकृष्ण कौल : In proviso 2 to clause 3 after the existing sub-part (c) the following sub-part be added namely:—

"(a) By the following clause on institutions, namely:—

(1) Hospitals or dispensaries which are not maintained for private gain.

(2) recognised educational institutions,

(3) Places of public worship,

Subject to the condition that the exemption under this sub-clause shall not be applicable to energy consumed in the places or part of the place used for a commercial or residential purposes.

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : Subject to what conditions ?

श्री अध्यक्ष : Subject to the condition that the exemption in this sub-clause shall not be applicable to the energy consumed in the place or part of the place used for commercial or residential purposes.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैंने तो इनसे पहले अमेंडमेंट दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष : उनका स्वीकार हो गया, आपका स्वीकार नहीं किया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लॉज़ २ पर मैंने भी अमेंडमेंट दिये थे वे सर्कुलेट नहीं हुए; पर सजेस्ट करूंगा कि कन्ज्यूमर्स की डेफिनिशन में जो २० यूनिट तक कन्ज्यूम करते हैं उनको एक्सक्लूड कर दें ।

एक मेरा अमेन्डमेन्ट है जिसको मंशा यह है कि २० यूनिट्स तक कन्ज्यूम करने वाले छोटे २ लोग हैं वे इस टैक्स से बरी हो सकते हैं । दूसरा, इन्डस्ट्रीज़ को मदद देने के लिए जो छोटे इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं या १० होर्स पॉवर तक मोटर इस्तेमाल करते हैं उसमें जितनी एनर्जी हो उस पर टैक्स न लगायें इसलिए २ (सी) में यह संशोधन है कि इसमें यह जोड़ दिया जाय :

" But will not include any consumer who consumes 20 units of energy on an average per month throughout the year." और तीसरा यह भी जोड़ दिया जाय कि १० होर्स पॉवर की मोटर वाले ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ में मेरा अमेन्डमेन्ट यह था कि सरकार ने खुद जिस वक्त घोषणा की, वित्त मंत्री महोदय ने उस वक्त ३ नये पैसे इस पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। लेकिन अब जिस प्रकार से छः नये पैसे की बात कही गई है वे अपने हाथ में पॉवर लेना चाहते हैं जिससे छः नये पैसे तक रेट्स बढ़ा दी जाय। हमारे राजस्थान में बिजली की दरें दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में बहुत ही काफी हो चुकी हैं। हमारे राजस्थान के आम लोगों का लिविंग स्टेन्डर्ड काफी नीचा है और पहले ही बहुत कम क्षेत्रों में बिजली इस्तेमाल हो रही है और बिजली आने वाली भी है उससे एक्सटेन्शन करना चाहते हैं। इसलिए यह मुनासिब नहीं होगा कि इस टैक्स को भी सेल्स टैक्स की तरह आमदनी बनायें और हर साल रिवाइज़ करके आगे बढ़ते चले जायं। इसीलिए बजाय बढ़ाने के इसको कम करने का है। सरकार ने १५ लाख एस्टीमेट किया है। लेकिन मैं कहूंगा कि जब इसको नये रूप से ही शुरू कर रहे हैं तो इसको शुरुआत में एक नये पैसे से स्टार्ट कर दीजिये। काम एक्सटेन्ड हो रहा है।

दूसरा यह है कि नेट चार्जेज़ को लेते हुए ५० नये पैसे से न बढ़ें।

माननीय वित्त मंत्री जरा इसको सुनने की कोशिश करें।

श्री बालकृष्ण कौल : कान लगे हुए हैं और आपको तो खास तौर पर सुनना चाहता हूँ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नये रेट के हिसाब से और जो आप चार्ज लेना चाहते हैं उसको एड करते हुए पचास नये पैसे से अधिक नहीं होनी चाहिये, जहां रिबेट मिलता है या और तरीके से आप लेना चाहते हैं। हमारा सजेशन है कि इसमें 'नेट' शब्द को निकाल दीजिये और रेट चार्ज पचास नये पैसे से अधिक न हो। यह प्रोविज़न रिडन्डेन्ट करना चाहिये, क्योंकि आप समझते हैं कि नया टेरिफ आ रहा है वह इससे नीचे होगा और पचास नये पैसे से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए 'नेट' शब्द इसमें से हटा दीजिये। ये मेरे प्रोपोज़ल्स इसके अन्दर हैं जिस पर आप विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ में मैं सरकार के सामने यह सुझाव प्रस्तुत करता हूँ कि आपने जो अधिक से अधिक छः नये पैसे की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाने का प्रावधान रखा है उसके स्थान पर तीन नये पैसे कर दिये जायं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आपको अपनी घोषणा के अनुसार केवल तीन नये पैसे का टैक्स इम्पोज़ करना चाहिये। तीन की जगह छः नये पैसे तक इम्पोज़ करने के लिए एक व्यवस्था आपने अपने हाथ में ले ली। मुझे तो यह सुन कर दुःख हुआ कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा कि कभी कोई एमर्जेन्सी अराइज़ हो जाय और विधान सभा की बैठक न हो तब हम क्या करें? अब तक इस दलील से कोई टैक्स राजस्थान विधान सभा ने नहीं लगाया। आपके कोई फाइनेन्शियल क्राइसिस राजस्थान में पैदा हो गया और उसको टैक्स लगा कर हल करने की कोशिश करें तो वह बात दूसरी है। यह बात

(श्री भैरोंसिंह)

सही है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में फाइनेन्शियल क्राइसिस आ रहा है, ओवर ड्राफ्ट काफी बढ़ गया है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया को एश्योरेन्स दिये थे उनका किसी प्रकार कम्पलायेन्स नहीं किया है और रफली में कहूं तो ७ करोड़ का ओवर ड्राफ्ट बढ़ कर १३ करोड़ और १४ करोड़ तक पहुंच गया है। यह स्थिति राज-स्थान सरकार की है। उस फाइनेन्शियल क्राइ-सिस को मीट करने के लिए ये एमर्जेन्सी पॉवर्स अपने हाथ में लेना चाहते हैं। मैं उसका विरोध करूंगा कि एमर्जेन्सी अगर पैदा हो जाय तो विधान सभा का अधिवेशन बुलायें, आप अकेले बैठ कर तीन नये पैसे का टैक्स इम्पोज़ करके समस्या का समाधान करना चाहते हैं वह नहीं होना चाहिए ; बल्कि इससे तो ऐसा लगता है कि विधान सभा के जो पॉवर्स हैं उनको आप कर्व करना चाहते हैं। आप इसको छः नये पैसे तक करना चाहें तो विधान सभा में चर्चा की आवश्यकता नहीं होगी और पॉवर्स इसलिए अपने हाथ में लेना चाहते हैं कि आप बिना विधान सभा के अधिवेशन बुलाये बैठे बैठे ही नोटिफिकेशन्स के जरिये से इनको एन्हान्स करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। यदि आप इस प्रकार के अपने में पॉवर्स लेना चाहते हैं, बिना विधान सभा की स्वीकृति लिये, तो आज आपके हाथ में बहुमत है, आप जैसा चाहें करें। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप इस बहुमत का दुरुपयोग न करें, कभी कभी आदत डाल कर इस बहुमत का दुरुपयोग न करें।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : आपका सहयोग चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : दुरुपयोग में आपको सहयोग नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आपने बजट स्पीच में जो घोषणा की है उसमें स्पष्ट किया है कि तीन नये पैसे इम्पोज़ करना चाहते हैं। विधान सभा के जो पॉवर्स हैं वे उन्हीं के पास रहने देने चाहिये और आगे बढ़ाने-घटाने के जो पॉवर्स हैं उनको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये।

जहां तक इन्डस्ट्रीज़ और मामूली कन्ज्यू-मर्स का सवाल आता है तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति पांच रुपया तक बिजली कन्ज्यूम करता है तो आप उसको रिलीफ दीजिये। आप कहेंगे कि यह तो एक नयी बात आयी है और उस पर सरकार विचार करेगी। सरकार विचार करेगी, लेकिन इम्प्ली-मेन्ट करने में दिक्कत होगी। जिस वक्त यह सवाल आयेगा तो रूल्स से और नोटिफिके-शन्स से कवर नहीं होगा और आपको इस कानून में अमेन्डमेन्ट लाना पड़ेगा। जो अमेन्डमेन्ट लाना चाहते हैं उसके लिए मैं ऐसा समझता हूं कि उसका वायामीडिया हो सकता है। सरकार कन्ज्यूमर्स को रियायत देने के लिए, रिलीफ देने के लिए नोटिफिके-शन के जरिये रिलीफ दे सकती है ; कम से कम इतने पॉवर्स तो लें। जिस प्रकार ६ नये पैसे के पॉवर्स लिये हैं, जिनका कम कन्ज़म्प्शन है उनको एक गजट नोटिफिकेशन के अनुसार रिलीफ दे सकते हैं, बिना विधान सभा बुलाये रिलीफ दे सकते हैं; ये पॉवर्स तो ले सकती है। ये पॉवर्स सरकार नहीं लेती है तो इसका मत-

(श्री भैरोंसिंह)

लब यह है कि जो किसी प्रकार कन्ज़म्शन करने वाले हैं उनको रिलीफ देना चाहती है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन इश्यू करके सारी इन्डस्ट्रीज़ को एग्ज़ेम्प्ट किया है। सरकार के हाथ में यह एक अधिकार है। मेन्डेटरी प्रोविज़न नहीं होगा, सरकार को खुद को पॉवर्स होगी, जिस समय चाहेगी उस समय वैसा करेगी। जिस समय जिस प्रकार से इन्डस्ट्री को एग्ज़ेम्प्ट करना चाहेगी तो उसको एग्ज़ेम्प्ट करेगी। इसके लिए एक मेन्डेटरी प्रोविज़न लाकर स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को, कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ को जोड़ना चाहिए, जिस प्रकार से एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगता है उसी आधार पर इन पर टैक्स नहीं लगेगा। जो पॉवर्स सरकार ने लिये हैं उनको डिफाइन करने के लिये ये तीन संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैंने संशोधन दे रखा है। वित्त मंत्रीजी को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। चाहें तो स्वीकार कर लें और उनमें यदि उदारता की भावना है और समयाभाव के कारण इस समय वे कोई उदारता प्रकट नहीं कर सकते तो थोड़े समय के लिए इस बिल को डेफर करा लें और रिलीफ देने की जो बात मैंने प्रस्तुत की है उसको स्वीकार कर लें। जिस प्रकार उन्होंने थोड़ी बहुत उदारता फॉरिन लिकर के बारे में बतायी उसी प्रकार की उदारता इस मसले पर भी बता कर गरीब कन्ज्यूमर्स को रिलीफ देंगे।

(२.० म० प०)

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दोनों अमेन्डमेन्ट्स जो सदन में पेश हैं अफसोस है कि मैं इनको स्वीकार नहीं करता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : स्टेट गवर्नमेन्ट के बारे में [illegible] गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया रेलवेज़, [illegible] ये तो हैं-स्टेट गवर्नमेन्ट और लोकल ऑथोरिटीज़ के लिये क्या होगा?

श्री बालकृष्ण कौल : जैसा लिखा है उसके मुताबिक मान लीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप इस बात का क्लेरिफिकेशन करिये कि स्टेट गवर्नमेन्ट बिल्डिंग्ज़ पर भी टैक्स लगेगा या नहीं?

श्री अध्यक्ष : आप एक्ट पढ़ लीजिये।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ में जो संशोधन श्री सतीशकुमार शर्मा ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ में जो संशोधन श्री सतीशकुमार शर्मा ने रखा है उसे स्वीकारकिया जाय।

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ में वित्त मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ ४ से १०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ ४ से १० तक विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज ४ से १० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ ११

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : "After Clause 10 add the following new Clause:—

"Repeal. The Bombay Finance Act, 1932, in so far as it applies to Abu area, is hereby repealed."

प्रश्न यह है कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित क्लॉज़ ११ विधेयक के अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ११ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें !

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) बिल, १९६२ पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

सदन की बैठक कल ८ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित की जाती है

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० २. बज कर ३ मिनट पर, दिनांक ४ मई, १९६२ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, ३ मई, १९६२)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ५८४४

सीमेंट कम्पनी लाखेरी।

बिजली की दरें

विकास-प्रदर्शनियां।

नगरपालिका, नाथद्वारा के लिये स्वीकृत कर्ज।

म्युनिसिपैलिटी, उनियारा के चुनाव।

गबन के मामले।

नगरपालिका, कुचामन।

टी० बी० सील्स की बिक्री।

सीमेन्ट वर्क्स, लाखेरी के मजदूरों की गृह निर्माण सहकारी समिति।

सिकराय में खुजली रोग का प्रकोप।

जिला पाली के सरपंचों के विरुद्ध गबन की शिकायतें।

अस्पताल, बांदीकुई।

डिस्पेन्सरी-सिकराय के लिये भवन की व्यवस्था।

विश्व-ज्योति सिनेमा, बीकानेर।

ग्रामपंचायतों का नगरपालिकाओं में परिवर्तन।

पाडली ग्राम पंचायत चांदेरा (सिकराय) के सरपंच को स्कूल भवन के लिये दिया गया अनुदान।

नगरपालिका में प्रशासकों की नियुक्ति।

अस्पताल, बारां।

पुलिया-निर्माण।

सहायक रजिस्ट्रार के हैड-क्वार्टर्स का स्थानान्तरण।

हरिजन कॉलोनी, बारां।

कृषि सहकारी समिति, ग्राम हरिपुरा, तहसील उदयपुरवाटी।

नगरपालिका, टोडारायसिंह द्वारा आक्ट्रॉय टैक्स की वसूली।

पुलिया-निर्माण

प्राथमिक विद्यालय, ग्राम बरलीयां (उदयपुरवाटी)

वैक्सीनेटर्स का प्रशिक्षण।

बस परमिट।

स्थगित प्रश्नोत्तर

दिनांक १२-४-६२ का स्थगित प्रश्न

नगरपालिकाओं में प्रकाशकों की नियुक्तियां

२. स्थगन प्रस्ताव ५६११

श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री हरि-राम चौहान, सदस्य, विधान सभा, ने अलवर व भरतपुर जिलों के निष्क्रान्त भूमि के काश्तकारों को बिना मुआवजा दिये खातेदारी हक्कों से वंचित रखने संबंधी जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी उन्हें सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

इस संबंध में मुख्य मंत्री स्थिति को स्पष्ट करने हेतु दिनांक ४ मई, १९६२ को एक वक्तव्य देंगे।

३. सदन की मेज पर रखे गये पत्र ५६१६

निम्नांकित पत्रादि सदन की मेज पर रखे गये :—

(१) श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री ने राजस्थान हेबिचुअल ऑफेन्डर्स एक्ट, १९५३ की धारा ८ (४) के अन्तर्गत होम 'बी' विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १५(१) होम।बी।जी. आर. २।६१, दिनांक ५ जनवरी, १९६२ को, जिसके द्वारा राजस्थान हेबिचुअल ऑफेन्डर्स रूल्स, १९५५ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखा।

(२) श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री, सहकारिता विभाग ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस (डेवलपमेन्ट एण्ड वेयर-हाउसिंग कॉर्पोरेशन) एक्ट, १९५६ की धारा ४२ (६) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जयपुर से संबंधित निम्नांकित प्रतिवेदनों को सदन की मेज पर रखा :—

(1) Audit Report together with copies of Balance Sheet and Profit and Loss Accouut of the Rajasthan State Warehousing Corporation for the period ending 31st March, 1959.

(2) Audit Raport together with copies of Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Rajasthan State Warehousing Corporation, for the year, 1959-60.

४. प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२०

श्री नाथूराम मिर्धा, सभापति, प्रवर समिति ने राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, १९६२ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का (असहमति पत्रों सहित) उपस्थापन किया।

स्कम्भ

५. अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना। ५६२१

श्री फतहसिंह सदस्य, विधान सभा, ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत जिला जैसलमेर के ग्राम मोढ़ा मण्डाई में पुलिस द्वारा चार ढाणियां जला देने तथा एक बरात के कुछ व्यक्तियों को बन्दी कर लेने से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

गृह मंत्री श्री मथुरादास माथुर ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

६. विधाई कार्य—विचारार्थ लिये गये विधेयक

(१) राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२ ५६३२

उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर आज भी वाद-विवाद किया गया, जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री जयनारायण

(२) श्रीमती नगेन्द्रबाला

(३) श्री हरिशंकर

(४) श्री मानिकचन्द सुराणा

स्कम्भ

(५) श्री मुक्तिलाल मोदी

(६) श्री आनन्दसिंह

(७) श्री हरिराम चौहान

(८) श्री गिरधारीलाल व्यास।

वित्त मंत्री श्री बालकृष्ण कौल के उत्तर के पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड-२ स्वीकार किया गया।

खण्ड-३ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-४से ६ स्वीकार किया गया।

खण्ड-१ प्रियम्बल आदि स्वीकार किये गये विधेयक संशोधित रूप में विभाजन के पश्चात् ('हां' पक्ष ७८, 'ना' पक्ष ६६) पारित किया गया।

(२) राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, १९६२ ६०५६

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, १९६२ विचारार्थ लिया जाय, सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

स्कम्भ

तत्पश्चात् विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-२ स्वीकार किया गया।

खण्ड-३ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड-४से१० स्वीकार किये गये

खण्ड-११ वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर एक नवीन खण्ड भी सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

खण्ड-१ प्रिएम्बलआदि स्वीकार किये गये विधेयक सदन द्वारा संशोधित रूप में, पारित भी किया गया।

तत्पश्चात् सदन की बैठक २ बजकर ३ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक ४ मई, १९६२ को प्रातः ८ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शुक्रवार, दिनांक ४ मई, १९६२ की कार्य-सूची

(१) राजस्थान लोक सेवा आयोग का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन (१ अप्रेल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक) सदन की मेज पर प्रस्तुति।

(२) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना।

(३) राजस्थान सेल्स ऑफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६२

(४) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), १९६२-६३-पर विचार।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४०३ का उत्तर देखिये)

'अ'

नगरपालिका कुचामन ने जो स्वीकृत बजट से मदों में ज्यादा व्यय किया है वह निम्न मदों की बचत या अधिक आय होने से किया है :—

१. मनोरंजन कर सहायता	१,३००) रु०
२. सड़कों हेतु दी गई सहायता	७,५००) रु०
३. चुंगी दर के मद से विशेष आय	३,०००) रु०
४. जमीन बेचने के मद से विशेष आय	४,५७०) रु०
५. भवन किराया मद से बचत	८५०) रु०
६. फर्नीचर मद से बचत	४००) रु०
७. ऑडिट फीस का चुकारा नहीं करने से इस मद से रुपया काम में लिया गया	५००) रु०
८. उद्यान व्यवस्था के मद से बचत	६५७) रु०
९. साइकिल एवं हैन्ड कार्ट्स के मद से बचत	३००) रु०
१०. पार्क निर्माण के लिये दान से प्राप्त	१०,०००) रु०
	२६,३७०) रु०

'ब'

सूची १९६१-६२ के बजट की स्वीकृत मदों से अधिक खर्च

क्रमांक	मद का नाम	स्वीकृत रकम	वास्तविक खर्च	अन्तर	कारण
१	२	३	४	५	६
१.	वेतन कर्मचारी	५,०००	७,६७३	२,६७३	३,०००) रु० पुराने एडहॉक के चुकाये गये, जो कि बजट में नहीं थे।
२.	सवारी अलाउन्स	१००	१५३	५३	—
३.	यात्रा–व्यय	१,०००	१,६७६	६७६	पार्क व बोर्ड पर लगाये आरोपोंकी सुनवाई हेतु आना जाना पड़ा।
४.	वेतन कर्मचारी (कर वसूली)	४,५५०	४,६६१	१११	—
५.	पशुओं का दाना चारा (जन स्वास्थय)	८००	१,१६८	३६८	एक भैंसा मर गया था इसलिए दूसरा नया भैंसा खरीदा गया, जिससे अधिक खर्च हुआ।
६.	पटोल	१,०००	१,००५	५	—
७.	गाड़ी-ट्रैक्टर मरम्मत	७००	७८७	८७	ट्रैक्टर की टूटफूट अधिक होने से खर्च हुये।
८.	वेतन कर्मचारी (फाटक)	६००	६१५	१५	—
९.	समाचार पत्र एवं पुस्तकें	१२०	१२६	६	—
१०.	रोशनी विभाग (बत्तियों की टूटफूट)	२,०००	८,६६०	६,६६०	यह अधिक खर्च वार्ड १, २, ५, ६, १३ में नई लाइनें खींची गई जिससे हुआ।
११.	बिजली का व्यय	६,४००	७,३६०	९६०	—

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६
१२.	स्वतंत्रता दिवस	१००	१२४	२४	—
१३.	जन स्वागत समारोह	१००	४२७	३२७	यह खर्च गणतंत्र दिवस व गनगौर मेले पर इस मद में ३५०) रु० की निर्देशक स्थानीय निकाय द्वारा अलग से स्वीकृति दी गई।
१४.	विविध	५००	१,१५२	६५२	—
१५.	सार्वजनिक निर्माण कार्य	११,२००	११,५८५	३८५	—
१६.	उद्यान किनोई पार्क	११,१२१	१६,३४२	८,२२१	यह रकम पार्क निर्माण में दी गई-विशेष स्वीकृति के अन्तर्गत खर्च की गई है।
	टोटल	४५,२६१	६६,६१७	....	

परिशिष्ट २

(कृपया स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या ११८ का उत्तर देखिये)

सूची 'क'

नगरपालिकाओं की सूची जहां प्रशासक कार्य कर रहे हैं :—

१. अजमेर

२. बांदीकुई

३. पिलानी

४. बारां

५. बिसाउ

६. हिन्डौन

७. राजगढ़ (अलवर:)

८. डीग

९. बीकानेर

१०. भीनासर

११. रतनगढ़

१२. डूंगरगढ़

१३. रतननगर

१४. गंगानगर

१५. करणपुर

१६. हनुमानगढ़

१७. रायसिंहनगर

१८. गजसिंहपुर

१६. नोहर

२०. भादरा

२१. जोधपुर

२२. मेड़ता

२३ डीडवाना

२४. बाड़मेर

२५. माउन्ट आबू

२६. डूंगरपुर

२७. राजसमन्द

२८. कपासिन

२९. भीलवाड़ा

३०. बूंदी

३१. पिंपाड़

३२. इन्द्रगढ़

३३. करोली

३४. नोखा

३५. रामगंज मंडी

३६. सांभर

३७. तारानगर

१	२	३	४
६.	बूंदी	१—६-६१ से ३०-९-६१, १-१०-६१ से प्रशासक	वार्ड विभाजन में देरी व आम चुनाव।
७.	बारां	२६—६-६१ से ३१-१२-६१, १—१-६२ से ३०—४-६२, १—५-६२ से प्रशासक	वार्ड विभाजन में देरी।
८.	बागड़	११-१२-६१ से ३०—४-६२ १—५-६२ से ३०—९-६२	”
९.	भादरा	२८—१-६२ से ७-२-६२ ८-२-६२ से एडमिनिस्ट्रेटर	”
१०.	चित्तौड़	६-९-६२ से ३०-९-६२	सीटों का पुनः निर्धारण
११.	डूंगरगढ़	१३-१२-६० से २८-२-६१, १-३-६१ से ३१-५-६१, १-६-६१ से ३१-७-६१, १-८-६१ से ११-१२-६१, १२-१२-६१ से एडमिनिस्ट्रेटर	११ (२) धारा के अनुसार।
१२.	डूंगरपुर	२१-९-६० से ३१-१२-६०, १-१-६१ से २८-२-६१, १-३-६१ से ३१-५-६१, १-६-६१ से २०-९-६१, २१-९-६१ से एडमिनिस्ट्रेटर २७-७-६१ से चार्ज)	सीमा वृद्धि।
१३.	डीग	१४-२-६१ से ३१-५-६१, १-६-६१ से ३०-९-६१, १-१०-६१ से ३१-१२-६१, १-१-६२ से ३-२-६२, ४-२-६२ से एडमिनिस्ट्रेटर	वार्ड विभाजन में देरी व आम चुनाव।
१४.	धौलपुर	१७-७-६१ से ३१-१२-६१, १-१-६२ से ३०-६-६२	वार्ड विभाजन में देरी।

१	२	३	४
१५.	गजसिंहपुर	२-१-६१ से २८-२-६१,	वार्ड विभाजन
		१-३-६१ से ३१-५-६१,	में देरी ।
		१-६-६१ से ३१-७-६१,	
		१-८-६१ से ३१-१२-६१,	
		१-१-६२ से एडमिनिस्टेटर	
१६.	गंगानगर	१६-१२-५६ से एडमिनिस्ट्रेटर	सीमा वृद्धि ।
		(१६-१-६१ को नियुक्ति,	
१७.	हिन्डौन.	२७-४-५६ से २८-२-६१,	वार्ड विभाजन में
		२६-२-६१ से २६-४-६१,	देरी, आम चुनाव ।
		२७-४-६१ से एडमिनिस्ट्रेटर	
१८.	इन्द्रगढ़	२६-१०-६१ से २८-४-६२,	वार्ड विभाजन में
		२६-४-६२ से ३०-६-६२,	देरी ।
१९.	जोधपुर	१०-६-६१ से ३१-१२-६१,	
		१-१-६२ से एडमिनिस्ट्रेटर	सीमा वृद्धि ।
२०.	कपासिन	१६-११-६० से २८-२-६१,	,,
		१-३-६१ से ३१-५-६१,	
		१-६-६१ से ३०-६-६१,	
		१-१०-६१ से १४-११-६१,	
		१५-११-६१ से एडमिनिस्ट्रेटर	
२१.	करोली	२०-६-६१ से ३१-१२-६१,	वार्ड विभाजन में
		१-१-६२ से ३०-४-६२,	देरी, आम चुनाव ।
		१-५-६२ से प्रशासक	
२२.	कुचामन	२६-२-६२ से ३०-४-६२,	,,
		१-५-६१ से ३०-६-६२,	
२३.	मेड़ता	११-११-६१ से २८-२-६१,	,,
		१-३-६१ से ३१-५-६१,	
		१-६-६१ से ३०-६-६१,	
		१-१०-६१	

१	२	३	४
२४.	नोखा	१५. ५. ६१ से ३१. ५. ६१,	वार्ड विभाजन में।
		१. ६. ६१ से ३०. ६. ६१,	देरी व आमचुनाव
		१. १०. ६१ से ३१. १२. ६१,	
		१. १. ६२ से ३०. ४. ६२,	
		१. ५. ६२ से प्रशासक	
२५.	नागोर	५. ७. ६१ से ३१. १२. ६१	वार्ड विभाजन में
		१. १. ६२ से ३०. ४ ६२	देरी।
२६.	नोहर	१. ५. ६२ से ३. ७. ६२,	,,
		२४. ६. ६१ से ३१. १२. ६१	
		१. १. ६२ से एडमिनिस्ट्रेटर	
२७.	पर्वतसर	७. ५. ६२ से ३०. ६. ६२	,, ,,
२८.	राजलदेसर	२८. २. ६२ से ३०. ६. ६२	वार्ड विभाजन में देरी।
२९.	रामगंजमंडी	१६. ११. ६१ से ३०. ४. ६१	
		१. ५. ६२ से प्रशासक—	
३०.	राजगढ़ (अलवर)	२५. १०. ६० से २८. २. ६१,	वार्ड विभाजन में देरी।
		१. ३. ६१ से ३१. ५. ६१,	
		१. ६. ६१ से ३०. ६. ६१,	
		१. १०. ६१ से २३. १०. ६१,	
		२४. १०. ६१ से एडमिनिस्ट्रेटर	
३१.	राजसमन्द	६. ६. ५६ से ३१. १२. ५६,	सीमा वृद्धि।
		१. १. ६० से ३०. ६. ६०,	
		१. ७. ६० से ३१. १०. ६०,	
		१. ११. ६० से	

१	२	३	४
३२.	रतननगर	५. ६. ५६ से ४. ८. ६०, ५. ८. ६० से २८. २. ६१, १. ३. ६१ से ३१. ५. ६१, १. ६. ६१ से २६. ११. ६१, २७. ११. ६१ से एडमिनिस्ट्रेटर	वार्ड विभाजन में देरी आम चुनाव।
३३.	रतनगढ़	१६. ६. ५६ से २६. २. ६०, ३०. २. ६० से २६. ८. ६०, ३०. ८. ६० से २६. ३. ६१, २७. ३. ६१ से एडमिनिस्टेटर	हाई कोर्ट के चुनाव स्थगन आदेश।
३४.	रायसिंहनगर	२. १. ६१ से ३१. १. ६१, १. २. ६१ से ३०. ४. ६१, १. ५. ६१ से ३१. ५. ६१, १. ६. ६१ से ३०. ६. ६१, १. १०. ६१ से एडमिनिस्ट्रेटर	वार्ड विभाजन में देरी।
३५.	सांभर	३०. ६. ६१ से ३१. १२. ६१, १. १. ६२ से ३०. ४. ६२, १. ५. ६२ से प्रशासक	वार्ड विभाजन में देरी।
३६.	तारानगर	१६. २. ६० से १६. ६. ६०, २०. ६. ६० से ३१. १२. ६०, १. १. ६१ से ३१. ५. ६१, १. ६. ६१ से प्रशासक आगे ११ (२) धारा में मियाद का स्वतः बढ़ना।	हाई कोर्ट के चुनाव स्थगन आदेश के कारण।
३७.	उदयपुर	२१. ८. ६१ से ३१. १२. ६१, १. १. ६२ से ३०. ४. ६२, [illegible] ६२.	वार्ड विभाजन में देरी।

सूची 'ग'

नगरपालिकाएं जहां चुनाव नहीं हुए और जहां चुनाव तिथि निश्चित करने के बाद चुनाव स्थगित कर दिये गये:–

बीकानेर	सीमावृद्धि के प्रश्न के कारण।
भीनासर	नगरपालिका को बीकानेर नगरपालिका में मिलाने के प्रश्न के कारण।
बाडमेर	आम चुनावों के कारण चुनाव को रोक देना।
हिन्डौन	वार्डों के विभाजन के विरूद्ध शिकायतों के कारण।
मेड़ता	हाईकोर्ट में रिट हो जाने के कारण (अनुसूचित जातियों की सीट के लिए)
कपासिन	सीमावृद्धि के कारण व वार्ड विभाजन के प्रकाशन के न होने के कारण।
पिलानी	सीमा वृद्धि का प्रश्न पैदा हो जाने के कारण।
डूंगरपुर	१. सीमा वृद्धि के कारण, २. चुनाव तिथि तथा रिटर्निंग ऑफीसर की नियुक्ति की विज्ञप्ति का एक ही दिन प्रकाशित होने के कारण।
बूंदी	वार्ड विभाजन कार्यवाही सम्पूर्ण न होने के कारण।
गजसिंहपुर	हरिजन सीट के विवाद के कारण।
इन्द्रगढ	वार्डों के प्रकाशन होने के पहले चुनाव तिथि घोषित कर देने के कारण।
राजगढ़ (अलवर)	वार्डों के प्रकाशन न होने के कारण।
डीग	वार्डों के प्रकाशन में त्रुटि होजाने के कारण।
राजसमंद	सीमा सम्बन्धी विवाद के कारण।

सूची 'घ'

नगरपालिकाएं जहां चुनाव हो गये और जहां चुनाव तिथि निश्चित होने के बाद चुनाव स्थगित कर दिये गये :–

अलवर	वार्डों का प्रकाशन होने के पहले आम चुनाव तिथि घोषित करना।
जयपुर	निर्वाचन पत्रावलियों में त्रुटि
झुंझुनूं	हाई कोर्ट के निर्णय से चुनाव को स्थगित किया गया।
पिंडवाड़ा	नोमीनेशन पेपर्स की अवैधनिकता।
सिरोही	वार्ड विभाजन के ठीक न होने से।
शिवगंज	१. वार्ड विभाजन के ठीक न होने से, २. चुनाव के नोटिस की अपर्याप्तता।
टोडाभीम	१. वार्डों के विभाजन के प्रकाशन के पहिले चुनाव तिथि का घोषित हो जाना, २. पंचायत समिति व नगरपालिका के चुनाव की एक ही तिथि निश्चित होने के कारण।
उनियारा	नोमीनेशन के नोटिस की अपर्याप्तता।
आबूरोड	१. नोमीनेशन पेपर्स की अवैधानिकता, २. चुनाव की कार्यवाहियों को शुरू से न चलाने के कारण।
बड़ी सादड़ी	चुनाव के खर्चे को बर्दाश्त न करने की स्थिति एवं चुनाव तिथि और रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की विज्ञप्तियों का एक ही दिन प्रकाशन।
सागवाड़ा	चुनाव तिथि तथा रिटर्निंग ऑफिसर के चुनाव की तिथि का साथ २ प्रकाशन।
लाखेरी	वार्डों का प्रकाशन न होना।
देवगढ़	निर्वाचन नामावली तैयार करने के नियम के प्रकाशन न होने के कारण।

बांसवाडा	पंचायतों के चुनाव के कारण स्थगन ।
राजगढ़ (चुरु)	चुनाव तिथि का समय पर प्रकाशन न होना ।
केकड़ी	प्रशासनिक दृष्टिकोण से ।
लक्ष्मणगढ़	वार्डों का निर्धारण ठीक तरह से न होना ।
रामगढ़	चुनाव की विज्ञप्ति का गजट में प्रकाशन समय पर नहीं होना ।
देवली	प्रकाशन दृष्टिकोण से ।
कामां	आम चुनाव की वजह से ।
वैर	आम चुनाव की वजह से ।
सरदारशहर	वार्डों के सम्बन्ध में विवाद ।
संगरिया	रिटर्निंग ऑफिसर के तबादले के कारण ।
प्रतापगढ़ नीम्बाहेड़ा छोटीसादड़ी,	चुनाव तिथि और रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की विज्ञप्तिया की एक ही दिन प्रकाशन होने के कारण ।
कुशलगढ़	चुनाव नामावली में शुद्धि करने हेतु ।
झालावाड़	चुनाव नामावली के प्रकाशन में देरी ।
झालरापाटन	चुनाव नोटिस की अपर्याप्तता ।
सुनेल	,, ,,

शुद्धि-पत्र

(गुरूवार, दिनांक ३ मई, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
५८५१	६ व १३	अप्रले	अप्रेल
,,	अन्तिम	३०५	४०५
५८५२	१	वताने	बताने
५८५३	१५	मांग है	मांगी है,
५८५८	८	प्राप्त हैं	प्राप्त हैं,
,,	१६	होती है	होती है,
,,	२१	पार्ट है	पार्ट है,
५८६५	अन्तिमसे ६	जावे,	जावे।
५८७२	शीर्ष १०	श्री हरदत्तसिह	श्री हरदत्तसिंह
५८७६	अंतिम से ५	हो गया-	हो गया,
,,	,, ८	जायगा	जायगी
५८८५	अंतिम से १	बेंक	बैंक
५८८६	शीर्ष १६	(दीगाद)	(दीगोद)
५८९०	शीर्ष	(दोलतराम सारण)	(श्री दौलतराम सारण)
५८९१	१४	सुनबाई	सुनवाई
,,	१३	दिये है	दिये हैं
,,	१६	गिरता है।	गिरता है,
,,	२४	मोर्टे	मोटरें
५८९६	१०	नही	नहीं
५९१५	शीर्ष १२	श्री रामानन्द	श्री रामानन्द
५९२०	अंतिम से ९ -१०	Rajassthan	Rajasthan
५९२५	१	मग	ग्राम

१	२	३	४
५६२५	४	लोन लोकर,	लोन लेकर
५६२७	अंतिम	ooncerned	concerned
५६३२	१६	स्वीकृत के।	स्वीकृत के,
५६३३	३	लगाती है	लगाती है।
५६३५	अंतिम से६	सकते हैं।	सकते हैं,
५६४५	अन्तिम	रहते है	रहते हैं
५६४६	अंतिम से१०	नीत	नीति
५६६८	८	५६:५७	१६५६-५७
५६७०	२	आदि न	आदि है
५६७७	१	कॉन्स्टीट्यएन्सी	कॉन्स्टीट्यूएन्सी,
५६८४	११	फिल्टग	फिल्टिग
५६८६	अंतिम	हुए हैं।	हुए हैं ?
६००२	१४	मायने है।	मायने हैं।
६००३	अन्तिम से७	आती है।	आती हैं।
६०१०	,, ४	'हे	रहे
६०१५	,, ६	भाप।	भाषा
६०२६	२१	दुकानों	दूकानों
६०२६	अन्तिमसे ७	केज्युअल	केजुअल
६०३०	३, ५	केज्युअल	केजुअल
६०३७	६	oeccuring	occuring
६०३८	७	मांगे	मांगें
६०४२-४३	शीर्षक	संक्षिप्त विवरण	राजस्थान वित्त विधेयक, १९६२
६०५८	१६	सकती, है	सकती है,
६०६०	शीर्ष	श्री भैरोसिह	श्री भैरोंसिंह
,,	३	करते है	करते हैं
६०६३	अन्तिम से ४	अलावा कोई	अलावा और कोई

१	२	३	४
६०६३	अन्तिम से ८	दीजिये ।	दीजिये ?
६०६८	१२-१३	इलेक्ट्रीसिर्टी	इलेक्ट्रिसिटी
६०८६	१३	किया गया	किये गये
,,	१४	,, ,,	,, ,,
६०६३	क्रमसंख्या(१)	भैसा	भैंसा
६१०१	६	एडमिनिस्टेटर	एड्निस्ट्रेटर